शनिवार,
६ दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शनिवार, ६ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्थापितों की डाक जीवन बीमा पालिसियां

*९७२. **डा० रामसुभग सिंह : संचरण मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके पास अविभाजित भारत सरकार द्वारा जारी की गई डाक जीवन बीमा पालिसियां हैं और जो फरवरी १९५० से भारत आ गये हैं, भारत सरकार भुगतान कर रही है ?

संचरण उपमन्त्री (श्री राज बहादुर) : उत्तर अस्वीकारात्मक है। दिसम्बर १९५० में दोनों डोमिनियनों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, उन विस्थापितों की, जो ३१ मार्च १९४८ को या उससे पहले भारत नहीं आ गये थे, डाक जीवन बीमा पालिसियों का दायित्व पाकिस्तान सरकार पर है। बीमा कराने वाले ऐसे लोगों को, जिनकी पालिसी पाकिस्तान सरकार का दायित्व हो गई हैं, सुविधा देने के लिये पाकिस्तान सरकार से यह प्रस्ताव किया गया था कि भारत सरकार पाकिस्तान सरकार की ओर से उन पालिसियों के प्रीमियम वसूल करने और उनके सम्बन्ध में दावे तय करने के लिये तैयार है और पाकिस्तान सरकार भी इसी तरह भारत सरकार की ओर से दावे तय करने का प्रबन्ध करेगी। पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच भारत सरकार ऐसे पालिसी रखने वालों को, जिनके पास जीवन निर्वाह का और कोई साधन नहीं है, अस्थायी रूप से सहायता दे रही है।

डा० राम सुभग सिंह : जब तक ये लोग पाकिस्तान में थे तब तक क्या इन लोगों को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा था ?

श्री राज बहादुर : निस्सन्देह, यदि उनके दावे परिपक्क हो गये होंगे तो उन्हें भुगतान किया गया होगा।

डा० राम सुभग सिंह : क्या माननीय मन्त्री डाक जीवन बीमा पालिसी रखने वाले उन व्यक्तियों की संख्या बता सकते हैं जो भारत आ गये हैं ?

श्री राज बहादुर : मेरे लिये उन लोगों की संख्या बतलाना सम्भव नहीं जो भारत आ गये हैं और जिनकी पाकिस्तान में जीवन बीमा पालिसियें हैं। मैं उन लोगों की संख्या बतला सकता हूं जिन्होंने इन पालिसियों के बारे में प्रार्थनापत्र दिये हैं; उनकी संख्या २५ है।

श्री गिडवानी : क्या कोई तारीख निश्चित कर दी गई है जिसके बाद सरकार इन पालिसी रखने वालों के बारे में कोई उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं ?

श्री राज बहादुर : तारीख सूचित कर दी गई है और वह ३१ मार्च १९४८ है।

श्री गिडवानी: इस तारीख का विशेष महत्व है, क्योंकि लोग पाकिस्तान में नेताओं की राय से रहे चले आ रहे थे और यदि अब उन्हें आना पड़ा.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं। इस तरह कहने की बजाय, मन्त्री महोदय से यह पूछा जा सकता है कि उसी तारीख को विशेष रूप से क्यों निश्चित किया गया। माननीय सदस्य पूछना यही चाहते हैं।

श्री राजबहादुर: यह दोनों डोमिनियनों में हुए समझौते के आधार पर है। उन्होंने एक खास तारीख तक उत्तरदायित्व मंजूर किया है, उसके बाद नहीं।

श्री गिडवानी: क्या सरकार उन लोगों की दयनीय दशा पर ध्यान देगी जो उस तारीख के बाद आये हैं और उनको भी शामिल करेगी ?

श्री राज बहादुर: इस पर विचार किया जा चुका है और हम अन्तरिम सहायता देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सारंगधर दास: पाकिस्तान सरकार के पास वह प्रस्ताव कब भेजा गया था जिसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ?

श्री राज बहादुर: २५ अगस्त १९४९ के लगभग।

श्री गिडवानी: कब तक प्रतीक्षा करने का इरादा है ?

श्री राज बहादुर: इस बीच, उनके पास से भी प्रस्ताव आये जिन्हें हमने नहीं माना है। हमारे पुराने प्रस्तावों का अभी उत्तर नहीं आया है।

रेडियो लाइसेंसों की जांच

*९७३. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) **संचरण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रेडियो लाइसेंसों की जांच पिछली बार कब हुई थी ?

(ख) देश में ऐसे कितने व्यक्ति पाये गये जो बिना लाइसेंस के रेडियो का प्रयोग कर रहे थे ?

(ग) क्या सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिनके पास रेडियो लाइसेंस नहीं थे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जांच का यह काम रेडियो का अनधिकृत प्रयोग करने की रोक करने के लिये नियुक्त विशेष रोक-थाम कर्मचारियों द्वारा पूरे वर्ष किया जाता है।

(ख) जनवरी से अक्तूबर, १९५२ के दस महीनों में १,६७,१०६ व्यक्ति बिना लाइसेंस के रेडियो का प्रयोग करते हुए पकड़े गये।

(ग) जी हां।

डा० राम सुभग सिंह: क्या एक लाइसेंस किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा रखे गये एक से अधिक रेडियो के लिये, यदि सारे रेडियो एक ही मकान के अन्दर हों, काम में लाया जा सकता है ?

श्री राज बहादुर: एक ही इमारत के अन्दर सामान्यतः काम में लाया जा सकता है। यही चीज़ व्यापारिक रेडियो या सार्वजनिक रेडियो के बारे में है।

श्री बोगावत: कितने लोगों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया अथवा कितनों को दण्ड दिया गया ?

श्री राज बहादुर: २८३ मुकद्दमे चलाये गये।

श्री राघवाचारी: देश में जितने रेडियो आयात किये गये उनके मुकाबले में कितने लाइसेंस जारी किये गये ?

श्री राज बहादुर: मैं अधिकृत रूप से कह सकता हूं कि इस तरह से रेडियो का आयात अब नहीं होता।

चावल (ऋण)

*१७४. **डा० राम सुभग सिंह : खाद्य तथा कृषि** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ पड़ोसी देशों को चावल उधार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस देश या देशों को यह चावल दिया गया है;

(ग) कुल कितना चावल उधार दिया गया है; और

(घ) यह चावल कब तक वापस कर दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) लंका।

(ग) १५,००० टन।

(घ) मार्च १९५३ में।

डा० राम सुभग सिंह : लंका को चावल कब दिया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सितम्बर में ७,५०० टन दिया गया था और गत मास ७,५०० टन और।

डा० राम सुभग सिंह : क्या किसी अन्य सरकार ने भारत सरकार से चावल के लिये कहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : लगभग तीन महीने हुए, नैपाल सरकार ने हम से कुछ चावल मांगा था। जब हम उनको चावल देने की स्थिति में हुए, उस समय उनकी आन्तरिक स्थिति में सुधार हो गया था।

श्री पी० टी० चाको : लंका को चावल देते समय क्या सरकार को पता था कि दक्षिण के कुछ राज्यों में राशन केवल ५ औंस प्रति व्यक्ति था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां। उस समय हमारी खाद्य स्थिति संतोषजनक बिल्कुल नहीं थी। परन्तु पड़ोसियों से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि लंका ने भी १९५० में जबकि दक्षिणी भारत में चावल की बहुत ज़रूरत थी, हमें १०,००० टन चावल दिया था, हमने उन्हें १५,००० टन देना मंजूर कर लिया था। उन्होंने ४०,००० टन चावल मांगा था पर हम केवल १५,००० देने पर राजी हुए।

श्री ए० एम० टॉमस : क्या जो चावल भेजा जाता है और जो अब वापिस लिया जायेगा उसके बारे में कोई ठीक ठीक क़िस्म निश्चित की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम उसी क़िस्म का चावल लेंगे और उसी पत्तन पर जहां से हमने दिया था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जो चावल लंका को भेजा गया था वो भारत में ही पैदा किया गया चावल था या किसी और देश से आयात किया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जो चावल हमने उन्हें दिया, वो हमें बरमा से मिला था।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या चावल किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की सिफ़ारिश पर दिया गया था या भारत और लंका के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के कारण ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : भारत और लंका के बीच जो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं उनके कारण।

श्री पी० टी० चाको : क्या कारण है कि महंगा चावल जो अन्य देशों से मंगाया जाता है दक्षिणी राज्यों में बांटा गया और इस अपेक्षाकृत सस्ते चावल को लंका भेजा गया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मूल्य का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि यह तो ऋण है। उन्हें हमें उतना ही चावल वापस करना होगा और यदि वह मस्ता है तो वही चावल दक्षिणी राज्यों को दे दिया जायेगा।

श्री पी० टी० चाको : मूल्य का प्रश्न इस प्रकार उत्पन्न होता है.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्यों को उत्तर से सन्तोष नहीं और वे यह सोचते हैं कि सरकार ने कुछ सौदा करके नफ़ा उठाया है, तो इसकी चर्चा के लिये उन्हें आगे अवसर मिलेगा।

श्री कास्लीवाल : यह ऋण कब तक चुका दिया जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मार्च १९५३ में।

सहायक खाद्य का उत्पादन

*९७५. **श्री एस० एन० दास** : **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारें सहायक खाद्य उत्पादन समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप सहायक खाद्य का बड़े पैमाने पर उत्पादन करा सकी हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो प्रत्येक राज्य में विभिन्न सहायक खाद्यों के क्षेत्रों में और उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सहायक खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में जो प्रचार किया गया था उसके नतीजों का अन्दाज लगाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) क़रीब क़रीब सारे राज्यों ने सहायक खाद्य का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है।

(ख) विभिन्न राज्यों में सहायक खाद्यों के क्षत्रों तथा उत्पादन के बारे में सूचना देता हुआ एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४**] उन राज्यों में जिनके बारे में पूरी सूचना उपलब्ध है, आलू, शकरकन्दी और टेपियो का जैसी सहायक खाद्य फ़सलों के उत्पादन में सामान्यतः वृद्धि हुई है।

(ग) यह बतलाना सम्भव नहीं कि प्रचार के फलस्वरूप कितनी वृद्धि हुई है।

श्री एस० एन० दास : सदन पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि बिहार में केवल शकरकन्दी उगाई गई है। क्या आम और केले जैसे अन्य सहायक खाद्यों को नहीं उगाया जाता या उनके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने समस्त उपलब्ध आंकड़े सदन पटल पर रख दिये हैं

श्री एस० एन० दास : क्या अनुपूरक खाद्य सम्बन्धी अखिल भारतीय महिला परिषद् ने इन खाद्यों के उत्पादन को बढ़ाने में कोई योग दिया था या उस संस्था का काम केवल सहायक खाद्यों के प्रयोग तक ही सीमित था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उनका काम देश भर में सहायक खाद्य के उत्पादन तथा खपत में अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिये जोरदार प्रचार करना है।

श्री एस० एन० दास : क्या 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन निधि में से भी कुछ रुपया इस पर खर्च किया गया था; यदि हां तो निधि में से कितना प्रति शत रुपया खर्च हुआ है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन निधि में कुछ रुपया

इस पर खर्च हुआ है जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

१९५१–५२	आसाम	१५,२०० रु० ।
	बिहार	२,०६३ रु०
	मद्रास	१२,०५० रु० ।
	अजमेर	५५० रु० ।
	कुर्ग	७,८७५ रु० ।
१९५२–५३	आसाम	१५,२०० रु० ।
	कुर्ग	१,१२५ रु० ।

श्री ए० एम० टॉमस : क्या टेपियोका जैसे सहायक खाद्य के देश में एक राज्य से दूसरे में लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, प्रतिबन्ध हैं क्योंकि टेपियोका, जो ट्रावनकोर कोचीन में पैदा किया जाता है, माड़ी बनाने के लिये पहले बम्बई भेजा जाता था । इससे टेपियोका के दाम बढ़ने लगे और चूंकि टेपियोका ट्रावनकोर कोचीन के गरीब लोगों का खाना है, इसलिये इस पर वहां आन्दोलन हुआ । अतः ट्रावनकोर कोचीन से बम्बई और अन्य राज्यों को माड़ी बनाने के लिये टेपियोका भेजने पर प्रतिबन्ध है ।

श्री ए० एम० टॉमस : क्या सरकार को पता है कि इन प्रतिबन्धों के कारण टेपियोका उगाने वालों को बहुत नुकसान हो रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : चूंकि टेपियोका ट्रावनकोर कोचीन के गरीब लोगों का खाना है, इसलिये टेपियोका जितना सस्ता होगा उतना ही उनके लिये अच्छा है । परन्तु माननीय सदस्य के कहने पर मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि प्रतिबन्ध के कारण ट्रावनकोर कोचीन में टेपियोका उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है ।

श्री ए० एम० टॉमस : उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ा है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय महिला परिषद् का काम केवल नगरीय क्षेत्रों में और उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उनके केफ़िटेरिया में सब तरह के लोग आ सकते हैं और खा सकते हैं ।

श्री दामोदर मेनन : क्या यह केवल नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस समय ये केवल नगरीय क्षेत्रों में हैं परन्तु अब उनका इरादा गांवों में भी उन्हें जल्दी से जल्दी खोलने का है ।

कुमारी ऑनी मस्करीन : क्या सरकार ने टेपियोका के अधिक उत्पादन के लिये कोई सहायता दी थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये । वैसे मैं समझता हूं कि नहीं दी गई थी ।

श्री पी० टी० चाको : क्या भारत में टेपियोका का कहीं से आयात हो रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास : सहायक खाद्यों के उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि होने के फ़लस्वरूप क्या अनाज की मांग में कमी हुई है; यदि हां तो कितनी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं बता सकता परन्तु यह जरूर है कि खाद्यान्नों की निकासी में कमी होने और देश में अनाज का एक स्टॉक बनाने में समर्थ हो सकने का कारण कुछ सीमा तक यह भी है कि लोग अन्य सहायक एवं अनुपूरक खाद्य का प्रयोग करने लगे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री वी० पी० नायर ।

श्री वी० पी० नायर: श्रीमान्, इस प्रश्न (संख्या ९७६) के बारे में क्या मैं आपका ध्यान इस ओर दिला सकता हूं कि सूची में जो प्रश्न छपा है उसमें और जो प्रश्न मैंने दिया था उसमें काफी अन्तर है ? जो प्रश्न मैंने पूछा था उसकी एक प्रतिलिपि मेरे पास है।

उपाध्यक्ष महोदय: बात यह है कि कोई माननीय सदस्य किसी रूप में कोई प्रश्न पूछता है परन्तु हो सकता है कि नियमों के अन्तर्गत उनका प्रश्न उस रूप में स्वीकार न हो। ऐसे मामलों में प्रश्नों को बिल्कुल रद्द कर देने के स्थान पर उनमें कुछ हेर-फ़ेर करके उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। यदि कभी उसमें इतनी अदल-बदल कर दी जाये जिससे उसमें और मल प्रश्न में बहुत अन्तर हो जाये तो माननीय सदस्य फ़िर दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बाद में उसकी अनुमति दे दूंगा।

श्री वी० पी० नायर: यह चीज़ नहीं है। कुछ बातें जो मैं जानना चाहता था प्रश्न में नहीं हैं और वे बातें जिन के बारे में मैं सूचना नहीं चाहता था, उसमें शामिल कर दी गई हैं। मैं डाक्टरी पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों की संख्या जानना नहीं चाहता जो सरकारी खर्चे पर बाहर जाते हैं। मैं डाक्टरी पढ़ने वाले उन भारतीय विद्यार्थियों के बारे में सूचना चाहता था, जो बाहर पढ़ने जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे देख लेने दीजिये। ".....भारत के उन विद्यार्थियों की संख्या जो केन्द्रीय सरकार के खर्चे पर विदेशों में डाक्टरी पढ़ रहे हैं"। यह आप नहीं चाहते ?

श्री वी० पी० नायर: जी नहीं। मैं डाक्टरी पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों की संख्या जानना चाहता था जो बाहर जाते हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय: तो इस प्रश्न को अभी छोड़ दिया जाये।

एक माननीय सदस्य: क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि इस प्रश्न का इसी रूप में उत्तर दे दिया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय: जिन महाशय ने प्रश्न पूछा था, वह एक दूसरे प्रश्न का उत्तर मांगते हैं।

श्री के० के० बसु: अब तो यह सारे सदन की सम्पत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह माननीय सदस्य की इच्छा पर है कि वह इस प्रश्न को न पूछें।

श्री वी० पी० नायर: ऐसे मामलों में जहां प्रश्नों में इस प्रकार की अदल बदल की जाये, यह ज़रूरी है कि सम्बन्धित सदस्य को एक पूर्वसूचना दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं देखंगा। पहले मैं यह तो मालूम कर लूं कि प्रश्न में अदल बदल की गई है। अगला प्रश्न।

मासिक टिकट

*९७७. **श्री एस० एन० दास**: (क) रेल मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली के उपनगरों से विभिन्न कार्यालयों में काम करने के लिये आने वाले दैनिक यात्रियों से मासिक टिकट के लिये एक व्यक्ति का २४ बार आने जाने का किराया लिया जाता है जबकि कलकत्ते और बम्बई में ऐसे यात्रियों से केवल १२ बार आने जाने का किराया लिया जाता है ;

(ख) इस विभेद के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यात्रियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उस पर विचार हुआ है ?

रेल तथा यातायात मन्त्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) दिल्ली में मासिक टिकटों के लिये जो किराया लिया

जाता है वह एक व्यक्ति के २४ बार आने जाने के मेल के किराये पर आधारित होता है जबकि कलत्ता, बम्बई और मद्रास क्षेत्रों में मासिक सीज़न टिकटों के लिये किराया कम दरों पर लगाया जाता है जो तीनों क्षेत्रों की स्थानीय दशाओं के अनुसार अलग-अलग हैं परन्तु यह किराया १२ बार आने जाने के किराये के बराबर नहीं है।

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकता और मद्रास जैसे बड़े शहरों के बराबर बड़ा नहीं है जहां कि उपनगरों से काम करने के लिये प्रतिदिन आने वालों की संख्या बहुत अधिक है।

(ग) जी हां।

श्री एस० एन० दास: कलकत्ता और बम्बई क्षेत्रों में क्या विशेष स्थिति है?

श्री शाहनवाज़ खां: कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बहुत बड़े बड़े शहर हैं और दिल्ली इनमें से किसी का मुकाबला नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: दिल्ली में अभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आते जाते नहीं हैं। आपका अभिप्राय यही है।

श्री एस० एन० दास: दिल्ली के उपनगरों से आने वालों और कलकत्ते तथा बम्बई के उपनगरों से आने वालों के लिये जाने वाले किरायों में इतना अन्तर होने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वर्तमान किरायों के बारे में फ़िर से विचार कर रही है?

श्री शाहनवाज़ खां: कलकत्ते, बम्बई और मद्रास में किराये की जो इतनी कम दर है वह बहुत अनार्थिक है। यह अतीत को देन है जिसको सरकार आगे अपनाना नहीं चाहती।

श्री ए० एम० टॉमस: क्या सीज़न टिकटों को ज़ारी करने में सरकार एकरूप नीति अपनाने का विचार रखती है?

श्री शाहनवाज़ खां: इन तीन शहरों को छोड़ कर एक रूप नीति तो पहले से ही है।

श्री नम्बियार: इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि दिल्ली के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले लोगों को भी इन रियायती किरायों का फ़ायदा हो, मैं जान सकता हूं कि क्या जो रियायतें मद्रास, बम्बई और कलकत्ते में हैं वे दिल्ली में भी दी जायेंगी?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): श्रीमान्, इसका उत्तर 'नहीं' में दिया जा चुका है।

श्री नम्बियार: क्यों और इसका कारण क्या है? जब कर्मचारियों को वही वेतन मिल रहा है तो उनको वही अधिकार भी मिलने चाहियें। दिल्ली में वे विशेषाधिकार क्यों न दिये जायें?

श्री अलगेशन: मैं समझता हूं कि इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। इन तीन बड़े शहरों में कम किराये जान बूझ कर रखे गये हैं जिससे कि उपनगरीय क्षेत्र विकसित हो सकें और शहर में काम करने वालों को उपनगरों में अधिक से अधिक संख्या में बसाया जा सके। यह चीज़ अन्य शहरों में लागू नहीं होती। वास्तव में कम किरायों के लिये नागपुर, अहमदाबाद, तरुचिरपल्ली आदि शहरों द्वारा भी मांग की गई है। परन्तु हम इन्हें मंजूर नहीं कर सकते।

श्री नम्बियार: दिल्ली में मकानों की सख्त कमी को दृष्टि में रखते हुए.....

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर आगे तर्क करना उचित नहीं होगा।

कोयला खान श्रम कल्याण निधि

*९७८. **श्री एन० पी० सिन्हा**: (क) **श्रम** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि में से १९५१-५२

में भारत के कोयला क्षेत्रों में कितने मकान बनाये गये हैं ?

(ख) वर्ष १९५१–५२ में कोयला खान मालिकों को भारत सरकार द्वारा सहायक अनुदानों के रूप में कितना रुपया दिया गया ?

श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) : (क) ३३४ ।

(ख) कोई रुपया नहीं दिया गया क्योंकि खान मालिकों द्वारा सहायक अनुदानों के लिये अब तक कोई मांग नहीं की गई है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : वर्ष १९५१–५२ में मकानों के लिये कितने रुपये की मंजूरी दी गई ?

श्री आबिद अली : कोई रुपया नहीं दिया गया क्योंकि कोयला खान मालिकों से सहायक अनुदान की अब तक कोई मांग नहीं आई है ?

श्री अब्दुरसत्तार : पश्चिमी बंगाल में कितने मकान बनाये गये ?

श्री आबिद अली : विभिन्न स्थानों में बनाये गये मकानो की संख्या इस प्रकार है :

बुखारो में	१०४
करगली में	१४०
गिरीडीह में	४०
भुरकुंडा में	५०

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या झरिया कोयला क्षेत्र के भूली नगर में बने लगभग १५०० या १६०० मकानों में या तो लोग गये नहीं हैं या एक बार जाकर उन्हें छोड़ आये हैं क्योंकि वे कार्य करने की जगहों से बहुत दूर हैं ?

श्री आबिद अली : भूली क्षेत्र में बने १५०० मकानों में से ५०० में तो लोग चले गय हैं और शेष के लिये आवश्यक यातायात सुविधायें दिये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है । आशा है कि शेष मकानों में भी लोग जल्दी चले जायेंगे ।

श्री एस० पी० सिन्हा : क्या उन मकानों से काम करने की जगहों तक कोई सड़क है ?

श्री आबिद अली : जी नहीं । कोई ठीक सी सड़क तो नहीं है परन्तु अब एक अच्छी सड़क बनाने का विचार है जिससे लोग उन मकानों में जा सकें ।

श्रीमती ए० काले : यातायात व्यय कौन देगा ?

श्री आबिद अली : इस समय जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है उसके अनुसार मालिक यातायात व्यय देंगे ।

श्रीमती ए० काले : क्या बस्ती बसाने के लिये वह स्थान ठीक समझा गया था ?

श्री आबिद अली : बस्ती के लिये वह बहुत उपयुक्त स्थान समझा गया था ।

श्री आर० बी० शाह : मध्य प्रदेश के पेंच वैली कोलफील्ड में कितने मकान बनाये गये हैं ?

श्री आबिद अली : जो मकान बनाये गये हैं उनकी फेहरिस्त तो मैंने अभी पढ़ दी है ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या यह बतलाया जा सकता है कि जिस वक्त कि यह मकानात बनाये गये थे तो मजदूरों से, जिनके लिये कि यह मकान बनाये गये थे, या उनकी यूनियन वगैरा से मशविरा कर लिया गया था ?

श्री आबिद अली : वहां तो एक एडवाइज़री कमेटी है । उसमें मजदूरों के भी नुमायन्दे हैं और सबके मशविरे से यह काम किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे पूरी सूची पढ़ कर सुना चुके हैं ।

श्री के० के० बसु : मकानों का कितना किराया लिया जाता है और निकटवर्ती क्षेत्र में जो किराये हैं उन के मुक़ाबले में क्या यह किराये उचित हैं ?

श्री आबिद अली : जी हां। मज़दूरों के लिये किराये उचित ही हैं। मज़दूर केवल २ रु० देते हैं और मालिक ६ रुपये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : एक मकान में कितने मज़दूरों को रखा गया है ?

श्री आबिद अली : एक मकान चार अकेले मज़दूरों या पत्नी सहित दो ऐसे मज़दूरों के लिये है जिनके बच्चे न हों या एक ऐसे मज़दूर के लिये है जिसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे हों।

श्री वी० पी० नायर : एक मकान जितनी ज़मीन पर बना है उसका क्षेत्र कितना है ?

श्री आबिद अली : लगभग ५०० वर्ग फुट।

तारघर

*९७९. **श्री बी० के० दास** : सचरण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२ में खोले गये तारघरों की संख्या;

(ख) इन पर हुआ कुल व्यय; तथा

(ग) एक नया तारघर चलाने के लिये अनुमानित आवर्त्तक व्यय ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख)। पंजाब और हैदराबाद को (जहां की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है) छोड़ कर १९५२–५३ में खोले गए तारघरों की कुल संख्या ४४ है जिनका पूंजीगत व्यय लगभग १,३४,००० था। इसमें कर्मचारियों तथा स्टेशनरी पर होने वाला १७,००० रुपये का वार्षिक खर्चा शामिल नहीं है। सारे क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी का एक विवरण यथा समय माननीय सदस्य को दे दिया जायेगा।

(ग) तारघरों पर आवर्त्तक व्यय हर मामले की जो परिस्थितियां होती हैं उन पर निर्भर करता है। गत तीन या चार वर्षों का औसत लेते हुए एक तारघर का औसत अनुमानित आवर्त्तक व्यय १२०० रु० वार्षिक आता है।

श्री बी० के० दास : एक नये तारघर खोलने में सरकार कितना नुक़सान उठाने के लिये तैयार होती है ?

श्री राज बहादुर : नवम्बर, १९५१ से ५०० रुपये।

श्री बी० के० दास : क्या यह अधिकतम राशि है जिसके बराबर सरकार नुक़सान उठाने को तैयार है ?

श्री राज बहादुर : हम नया तारघर तब खोलते हैं जब नुक़सान ५०० रु० से ज्यादा न हो जब ५ मील के अर्द्धव्यास में कोई तारघर न हो और जब उस गांव की या गांवों के एक समूह की जनसंख्या ५००० से अधिक हो।

श्री बी० के० दास : चालू वर्ष में कितने तार घर खोले गये ?

श्री राज बहादुर : ४४।

श्री बी० के० दास : राज्यवार ?

श्री राज बहादुर : मैं सदन पटल पर एक विवरण रख दूंगा।

श्री बी० के० दास : नया तारघर खोलने के लिये क्या कोई अनुदान मांगा जाता है ?

श्री राज बहादुर : यदि नुक़सान निर्धारित सीमा से अधिक हो तो हम गारंटी मांगते हैं।

श्री ए० एम० टॉमस : मैं समझता हूं हर २००० व्यक्तियों के लिये एक डाक घर होगा। क्या तारघर खोलने के बारे में भी कोई ऐसी चीज़ है ?

श्री राज बहादुर: मैं पहले बता चुका हूं कि यदि किसी यूनिट या गांव या गांवों के समह की जनसंख्या ५००० या इससे अधिक हो तो वहां हम एक तार घर खोलने का प्रयत्न करते हैं।

श्री एस० एन० दास: क्या अगले वर्ष के लिये कार्यक्रम बना लिया गया है; यदि हां, तो १९५३ में कितने तारघर खोले जायेंगे ?

श्री राज बहादुर: मैं ठीक ठीक संख्या तो नहीं बता सकता; हमने कार्यक्रम बना तो लिया है परन्तु वह हमेशा वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच है कि कडाक्कवूर और वक्कोम में तारघर खोलने की जनता द्वारा बार बार मांग की जाती रही है; क्या १९५२ में वहां पार-घर खोला जायेगा ?

श्री राज बहादुर: मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता। ऐसे हज़ारों स्थान हैं जिनके बारे में विचार करना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को इतनी छोटी सूचनाओं के लिये सदन में प्रश्न नहीं पूछने चाहियें। वे मन्त्री महोदय को लिख सकते हैं और यदि वहां से कोई उत्तर न मिले तो मन्त्री महोदय उसका उत्तर यहां देंगे। मैं मानता हूं कि हर माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में दिलचस्पी रखता है परन्तु यदि हर सदस्य अपने यहां के तारघर के बारे में पूछने लगे तो बड़ी कठिन समस्या हो जायेगी क्योंकि माननीय मन्त्री २००० तारघरों को याद नहीं रख सकते।

श्री चट्टोपाध्याय: परन्तु जब पत्रों के उत्तर न आयें तो क्या किया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय: तो माननीय सदस्य निस्सन्देह कह सकते हैं "अमुक पत्र के बारे में क्या उत्तर है ? अमुक प्रश्न का उत्तर न देने का क्या कारण है ?"

श्री पी० एन० राजभोज: हम गवर्नमेंट को खते हैं तो जवाब ही नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय: ठहरिये महाराज।

श्री राज बहादुर: यदि माननीय सदस्य एक भी उदाहरण ऐसा दें जिसमें मैंने या मेरे मन्त्रालय ने पत्रों का उत्तर न दिया हो तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

नई रेलवे लाइनें

*१८०. **श्री बेली राम दास**: (क) रेल मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अगले पांच वर्षों में कितनी नई रेलवे लाइनें बनाई जायेंगी ?

(ख) क्या आसाम राज्य में कोई नई रेलवे लाइन बनाई जायेगी ?

(ग) क्या इस काल में पांडू से गारो पहाड़ियां तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग)। अगले पांच वर्षों में बनाई जाने वाली नई लाइनों के बारे में अभी तक अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है।

श्री बेली राम दास: क्या आसाम राज्य में नई रेलवे लाइन खोलने के बारे में कोई परिमापन किया गया है ?

श्री अलगेशन: यह कहना अभी बहुत जल्दी है।

श्री बेली राम दास: राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए क्या सरकार पांडू से गारो पहाड़ियों तक एक नई रेलवे लाइन खोलेगी ?

श्री अलगेशन: आप एक विशेष लाइन के बारे में पूछ रहे हैं। यह कितनी आर्थिक होगी और इसको कहां तक प्राथमिकता मिलेगी, यह बताना अभी जल्दी है।

श्री सी० आर० नरसिंहन्: क्या नई रेलवे लाइनों के बनाने से टूटी हुई लाइनों को फिर से चालू करने के कार्यक्रम को स्थगित करना होगा ?

श्री अलगेशन: टूटी हुई लाइनों को फिर से चालू करने का हमें बहुत ख्याल है।

श्री बेलीराम दास: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को कोयला देना मंजूर कर लिया है और गारो पहाड़ियों में लाखों टन कोयला उपलब्ध है, क्या गारो पहाड़ियों से कोयला निकालने के लिये पांडू से गारो पहाड़ियों तक एक नई रेलवे लाइन खोलना लाभदायक सिद्ध न होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: आप तो सुझाव दे रहे हैं।

श्री वैलायुधन: ट्रावनकोर-कोचीन में बनाई जाने वाली रेलवे लाइन मीटर गेज की लाइन होगी या ब्रॉड गेज की ? यदि ब्रॉड गेज की नहीं, तो इसे मीटर गेज की बनाने का कारण क्या है ?

श्री अलगेशन: मैं समझता हूं कि अभी इसका फ़ैसला नहीं किया गया है कि यह ब्रॉड गेज की हो या मीटर गेज की।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: नई लाइनों के बनाने में क्या उपनगरीय लाइनों पर रेलों को बिजली से चलाने की व्यवस्था को प्राथमिकता मिलेगी ?

श्री अलगेशन: मैं यह नहीं बता सकता कि उसको प्राथमिकता कब मिलेगी। कलकत्ते के उपनगरों में रेलों को बिजली से चलाये जाने में हमें काफ़ी दिलचस्पी है।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या सरकार इस बारे में किसी निश्चय पर पहुंची है कि भविष्य में रेलवे लाइन किस गेज की बनाई जाये, मीटर गेज की या ब्रॉड गेज या नैरो गेज की ?

श्री अलगेशन: इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह सब उस क्षेत्र की परिस्थिति आदि पर निर्भर होगा

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: ऐसे क्षेत्रों में जहां अकाल की स्थिति पाई जाती है, लोगों को सहायता देने और काम दिलाने की दृष्टि से क्या सरकर ने मद्रास, मैसूर और रायलासीमा में नई लाइनें बनाने का कोई कार्यक्रम बनाया है ?

श्री अलगेशन: इसका एक बड़ा उदाहरण क्विलोन-एरणाकुलम लाइन है ?

एंग्लो-इंडियन रेलवे स्कूल अध्यापक वेतन-श्रेणी

* ९८१. **श्री फ्रैंक एन्थोनी**: **रेलवे मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रेलवे बोर्ड ने ५ फ़रवरी १९५२ को सारी रेलों को एंग्लो-इंडियन रेलवे स्कूलों में अध्यापकों की निर्धारित वेतन श्रेणियों को क्रियान्वित करने के लिये अनुदेश जारी किये थे;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह सत्य है कि दक्षिण रेलवे ने इस अनुदेश को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना सोचती है; तथा

(घ) क्या अध्यापकों को बढ़ी हुई श्रेणियों के अनुसार वेतन की बक़ाया राशि मिलेगी; यदि हां, तो कब से ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). दक्षिण रेलवे में एंग्लो-इंडियन स्कूलों में निर्धारित वेतन श्रेणियों को क्रियान्वित करने का काम प्रारम्भिक स्कूलों के बारे में पूरा हो गया है।

मिडिल स्कूलों के बारे में क्रियान्विति की जा रही है। अध्यापकों के वेतन में नयी वेतन श्रेणियों के अनुसार हेर-फेर करने तथा इन श्रेणियों को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कुछ अनियमितताओं को दूर करने में देर लगना आवश्यक ही था। रेलवे प्रशासन इस मामले में शीघ्रता करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है और इसमें किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है।

(घ) जी हां। सम्बन्धित अध्यापक अपने विकल्प के अनुसार पहली जनवरी १९४७ या १६ अगस्त १९४७ से बक़ाया वेतन प्राप्त करने के हक़दार हैं। यह चीज़ उन अध्यापकों पर लागू नहीं होगी जिनके वेतन पहली जनवरी १९४७ के बाद से एक बार पहले बढ़ाये जा चुके हैं। ऐसे मामलों में, यदि कोई बक़ाया वेतन होगा तो वह नयी वेतन श्रेणियों में लागू होने की तारीख से यानी ५ फरवरी १९५२ से दिया जायेगा।

श्री फ्रैंक एन्थोनी: प्रारम्भिक स्कूलों के बारे में बढ़ी हुई वेतन श्रेणियां कब लागू हुई थीं?

श्री अलगेशन: यह लागू कर दी गई हैं और १ जुलाई १९४७ से बक़ाया राशि के वेतन पत्र तैयार किये जा रहे हैं। इस काम में शीघ्रता की जा रही है।

श्री फ्रैंक एन्थोनी: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि दक्षिण रेलवे में प्रारम्भिक स्कलों में नयी वेतन श्रेणियां कब लागू कर दी गई थीं।

श्री अलगेशन: यह पहली जुलाई १९४७ से लागू की गई थीं। आदेश ५ फ़रवरी १९५२ को जारी किया गया था। पिछले वेतन और बक़ाया का हिसाब लगाया जा रहा है। ये उन्हें बहुत जल्दी मिल जायेंगे।

श्री फ्रैंक एन्थोनी: क्या अन्य रेलों में जैसे केन्द्रीय रेलवे में गैर प्रारम्भिक स्कूलों में नयी वेतन श्रेणियों को लागू किया गया था?

श्री अलगेशन: मेरे पास इस समय सूचना नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह: क्या नयी वेतन श्रेणियां अन्य स्कलों में, जो एंग्लो-इंडियन स्कूल नहीं है, लागू होंगी?

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न एंग्लो-इंडियन स्कलों के बारे में है।

श्री अलगेशन: मैं यह बता दूं कि वेतन श्रेणियों में कोई अन्तर नहीं है।

श्रीमती ए० काले: इन एंग्लो-इंडियन अध्यापकों का वेतन क्या है और गैर एंग्लो-इंडियनों की तुलना में वह कितना है?

श्री अलगेशन: मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं, वेतन श्रेणियों में कोई अन्तर नहीं है।

श्री बैरो: क्या माननीय मन्त्री को पता है कि दक्षिण रेलवे में १९४१ से पहले नियुक्त कई अध्यापकों को उन अध्यापकों के मुक़ाबले में कम वेतन मिलेगा जो योग्यता तो वही रखते हैं और उसी पद के भी हैं परन्तु जिनको अनुभव उनसे कम है?

श्री अलगेशन: यह भी एक कारण है जिससे मिडिल स्कल के अध्यापकों के बारे में देर हुई है। यह सारी अनियमिततायें दूर की जायंगी।

श्री फ्रैंक एन्थोनी: क्या सरकार को पता है कि गैर एंग्लो-इंडियन रेलवे स्कूलों में १९४७ के आसपास बढ़ी हुई वेतन श्रेणियां लागू की गई थीं?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: एंग्लो-इंडियन और गैर एंग्लो-इंडियन स्कलों के बीच अन्तर क्यों है? क्या सुविधाओं में कोई अन्तर है?

श्री अलगेशन: जी नहीं।

श्री सारंगधर दास: क्या इन एंग्लो-इंडियन स्कूलों में गैर एंग्लो-इंडियन बच्चे भरती किये जाते हैं ?

श्री अलगेशन: मैं समझता हूं वे भी पढ़ सकते हैं परन्तु मुझे ठीक ठीक पता नहीं। मैं माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे दूंगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी: क्या यह सच नहीं कि संविधान के अन्तर्गत, इन स्कलों में कम से कम ४० प्रतिशत गैर एंग्लो-इंडियन अवश्य भरती किये जाने चाहियें ?

उपाध्यक्ष महोदय: हम अब बहस कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई कठिनाई है ?

श्री फ्रैंक एन्थनी: मैं इसलिये कह रहा हूं कि.....

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। माननीय सदस्य चाहें तो सभाकक्ष (लॉबी) में चले जायें और बहस कर लें। श्री श्रीकान्तन नायर।

श्री फ्रैंक एन्थनी: मैं जानना चाहता था

उपाध्यक्ष महोदय: यह गलत है। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया और उसका उत्तर दे दिया गया। यदि सुझाव अनुचित होता तो मैं उसकी अनुमति नहीं देता। साथ ही यदि माननीय सदस्य उस मामले पर बहस जारी रखते हैं तो अच्छा यह होगा कि इसके लिये वह कोई दूसरा स्थान ढूंढ़ें।

श्री फ्रैंक एन्थनी: मैं यह कहना चाहता था कि प्रश्न बिना पूरी जानकारी के पूछे गये हैं जिससे भ्रान्त धारणा होने का डर है.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अब सूचना न दें, नहीं तो मन्त्री महोदय के स्थान पर मुझे उत्तर के लिये उनकी ओर देखना होगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: मैं जान सकता हूं कि पांच साल क्यों निकल जाने दिये जिससे सरकार को पिछले पांच वर्षों की बक़ाया देनी पड़ रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय: वह ब्याज थोड़ी दे रही है। अगला प्रश्न।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: लेकिन पांच साल तो निकल गये हैं।

सरकारी डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक

*९८२. **डा० रामा राव**: (क) स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सरकारी डाक्टरों की निजी प्रेक्टिस पर रोक लगाने के बारे में १९४८ में हुए स्वास्थ्य मन्त्री सम्मेलन की सिफ़ारिश को मान लिया है ?

(ख) यदि हां, तो इस फ़ैसले के कारण क्या हैं ?

(ग) भारत में हर एक लाख व्यक्ति पर कतने डाक्टर हैं ?

(घ) देश में रजिस्टर्ड डाक्टर कितने हैं।

स्वास्थ्य उपमत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्री सम्मेलन की सिफारिश से सिद्धान्त रूप में सहमत हैं।

(ख) सम्मेलन के संकल्प की एक प्रतिलिपि, जिसमें इस सिफ़ारिश के कारण दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्य ५५]।

(ग) लगभग १७।

(घ) सूचना राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

डा० रामा राव: इन सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या क़दम उठाये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: केन्द्रीय सरकार ने सम्मेलन की उक्त सिफ़ारिश सिद्धान्त रूप में

मान ली है और उस निश्चय के फलस्वरूप उसने दिल्ली राज्य के चार अस्पतालों में—इरविन, विलिंगडन, सफ़दर जंग और हिन्दू-राव में—सरकारी डाक्टरों की निजी प्रेक्टिस पर रोक लगा दी है; केवल उक्त अस्पतालों के स्टाफ़ सर्जनों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों की डाक्टरी देखभाल करने का अधिकार दिया गया है।

डा० रामा राव: राज्यों द्वारा भी यही नीति अपनाने के लिये सरकार ने क्या किया है?

श्रीमती चन्द्रशेखर: राज्य सरकारों से इसे लागू करने के लिये कहा गया है और इस पर विचार हो रहा है। कुछ राज्यों ने इसे मान लिया है और कुछ इस के लिये व्यवस्था कर रहे हैं।

डा० रामा राव: कौन कौन से राज्यों ने इस नीति को अपनाया है?

श्रीमती चन्द्रशेखर: बिहार तथा कुछ अन्य राज्य। यदि माननीय सदस्य कुछ अधिक सूचना चाहते हैं तो मैं उसे सदन पटल पर रख सकती हूं।

श्रीमती ए० काले: इन डाक्टरों की वेतन श्रेणी क्या है?

श्रीमती चन्द्रशेखर: यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है।

श्रीमती ए० काले: उनका प्रारम्भिक वेतन कितना है?

श्रीमती चन्द्रशेखर: मेरे पास सूचना नहीं है। मैं इसे दे सकती हूं।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच नहीं है कि सरकारी डाक्टर अपने अस्पतालों में बीमार से सलाह के १६ रु० और घर जाने के ३२ रु० लेते हैं?

श्रीमती चन्द्रशेखर: मुझे ठीक पता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न उत्पन्न कैसे होता है?

श्री नामधारी: क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री सरकारी डाक्टरों को जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का अनुभव करायेंगी और उनसे अपने कर्त्तव्यों का अधिक उत्तरदायी रूप से पालन करवायेंगी? जहां तक मेरा अपना अनुभव है, डाक्टरों की अत्यधिक लापरवाही से.....

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री नामधारी: मेरा लड़का नस फटने के कारण मर गया। यह एक कड़ा गम्भीर प्रश्न है और माननीय मन्त्री को इसका उत्तर देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य बैठ जायें। आप इस समय कोई भाषण नहीं दे सकते। यह सब बातें आप आय व्ययक सत्र में स्वास्थ्य मन्त्रालय पर होने वाली बहस में कह सकते हैं। प्रश्न तो छोटे और संक्षिप्त होने चाहियें। उनमें किसी बात का सुझाव नहीं होना चाहिये और न ही उनसे कोई बहस शूरू करनी चाहिए। प्रश्नों में इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये। माननीय सदस्य को यह नहीं चाहिये कि एक बात यन्त्र की तरह बराबर बोलते रहें और मेरी ओर न देखें।

श्री नामधारी: जब डाक्टरों की लापरवाही से मेरा अपना ही लड़का मर गया तो फिर जनता की क्या बात?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का प्रश्न इतना लम्बा है कि उसके समाप्त होने तक हम यह भल जाते हैं, कि उसका आरम्भ क्या था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या यह सत्य है कि इंडियन मेडीकल एसोसियेशन से इस विषय में राय ली गई थी और उसने कहा था कि यह प्रस्ताव इस समय इसलिये नहीं माना जा सकता। क्योंकि सरकार.....

माननीय सदस्य: यह प्रश्न भी लम्बा है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य एक बुरे दृष्टान्त का अनुकरण कर रही हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं नहीं कर रही । मैं पूछना चाहती हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय: तो मैं उस प्रश्न को पूछे लेता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या इंडियन मेडीकल एसोसियेशन ने यह कहा था कि डाक्टरों का वेतन बढ़ाये बिना निजी प्रेक्टिस रोकना बहुत कठिन होगा और क्या सरकार को.....

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न क्या है ? माननीय सदस्य सूचना न दें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इस विषय में क्या करने का प्रयत्न कर रही है ।

उपायक्ष महोदय: क्या सरकार चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के केन्द्रीय मन्त्रणा पर्षद् की सिफ़ारिश को क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: माननीय सदस्य का पहला प्रश्न यह था कि जिन डाक्टरों को प्रेक्टिस की अनुमति नहीं है उन्हें कुछ अधिक वेतन दिया जाये । यह चीज़ भी सारे राज्यों में और केन्द्र तक में लागू की जा रही है, जहां डाक्टरों को निजी प्रेक्टिस की अनुमति नहीं है । निजी प्रेक्टिस पर रोक लगने के कारण डाक्टरों की हानि को पूरा करने के लिये उन्हें अपने वेतन का २५ प्रतिशत भत्ते के रूप में दिया जायेगा ।

अस्पताल तथा चिकित्सा संस्थायें
(सहायता)

*९८३. **डा० रामा राव** : (क) **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में कितने राज्यों ने केन्द्र से विशिष्ट अस्पतालों तथा चिकित्सा संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये प्रार्थना की है ?

(ख) उसमें से कितनों को सहायता दी जा रही है और कितनी ?

(ग) क्या भारत सरकार से उक्त कार्य के लिये पंजाब सरकार ने कोई विशेष प्रार्थना की है और उसे कहां तक पूरा किया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ग) जी हां । इस मामले पर पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा विचार हो रहा है ।

डा० रामा राव : क्या पंजाब सरकार ने अमृतसर मेडिकल कालिज को सहायता देने के लिये प्रार्थना की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: जी हां । इसके लिये भी प्रार्थना की गई है ।

डा० रामा राव : विवरण में दिया गया है कि कहां कहां से प्रार्थना की गई है और कितना रुपया दिया गया । क्या इसका मतलब यह है कि विवरण में दी गई प्रार्थनाओं के अलावा कोई और प्रार्थना नहीं की गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय: विवरण में दिया हुआ है कि कहां से कहां प्रार्थनायें आईं और कितना रुपया मंजूर किया गया । क्या आपका मतलब यह है कि जिन प्रार्थनाओं को मंजूर नहीं किया गया, उन्हें भी विवरण में शामिल किया जाना चाहिये था ?

डा० रामा राव: जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय: तो फिर आपका प्रश्न क्या है ?

डा० रामा राव: मेरा प्रश्न यह था :

"(क) **स्वास्थ्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में कितने राज्यों ने केन्द्र से विशिष्ट अस्पतालों तथा चिकित्सा संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये प्रार्थना की है ?

उपाध्यक्ष महोदय: भाग (क) का क्या उत्तर है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: भाग (क) और (ख) के उत्तर में दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। एक में दिया गया है कि १९५२–५३ में कितनी सहायता दी गई; दूसरे में वे मामले दिये गये हैं जिन पर अभी विचार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: दोनों को मिला लीजिये तो पूरी सूची बन जायेगी।

डा० रामा राव: मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय: इसका उस तरह उत्तर दे दिया गया है। माननीय सदस्य को सारे उत्तर मिल गये हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या कलकत्ते के मेडिकल कालिज को केन्द्र से सहायता नामंजूर कर दी गई थी; यदि हां तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: मेरे पास सूचना नहीं है। मैं बाद में आपको इसका उत्तर दे दूंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कोई अलग मामले निर्दिष्ट किये जायेंगे तो उसका उत्तर अवश्य मिल जायेगा।

टेलीफोन एक्सचेंज

*९८५ **श्री रामजी वर्मा**: **संचरण मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि संसद् के सदस्यों ने दिल्ली में टेलीफ़ोन एक्सचेंज के काम के खिलाफ़ शिकायत की है और वे यह मांग भी करते रहे हैं कि मेनुअल टेलीफ़ोनों (हाथ से मिलाये जाने वाले टेलीफोन) को बदला जाये ; तथा।

(ख) क्या यह भी सत्य है कि कुछ लोगों ने एक्सचेंज टेलीफ़ोनों के काम से तंग आकर अपने टेलीफ़ोन वापस कर दिये हैं और उनके स्थान पर स्वयंगतिक टेलीफ़ोन मांगे हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां, कुछ सदस्यों ने शिकायत की है। यह शिकायतें एक्सचेंज के काम के खिलाफ़ इतनी नहीं हैं जितनी टेलीफ़ोनों की मेनुअल प्रणाली (हाथ से मिलाने की प्रणाली) के खिलाफ़ हैं। विभाग ने उन सारे संसद्-सदस्यों को जिनके पास मेनुअल टेलीफ़ोन हैं, एक पत्र भेजा था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि वे शीघ्र कार्यवाही के लिये दिल्ली टेलीफ़ोनों के पार्लियामेंट एसिस्टेंट के पास अपनी शिकायतें भेजें। अभी तक पार्लियामेंट एसिस्टेंट के पास किसी सदस्य से कोई शिकायत नहीं आई है। पत्र की एक प्रतिलिपि तथा एक्सचेंज वार शिकायतों का एक तुलनात्मक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५७**]।

(ख) जी हां, दो सदस्यों ने अपने मेनुअल टेलीफ़ोन कटवा दिये हैं परन्तु उन्होंने उनकी ठीक तरह से अज़माइश नहीं की। कनेक्शन काटने की मांग इसलिये नहीं की गई थी कि टेलीफ़ोन ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे बल्कि जैसा उनमें से एक ने कहा, इसलिये कि मेनुअल टेलीफ़ोनों से उन्हें घृणा थी।

श्री राम जी वर्मा: गवर्नमेंट कब तक आटोमेटिक टेलीफ़ोन देने की कोशिश कर रही है।

श्री राज बहादुर: जैसे ही तीस हज़ारी एक्सचेंज खुल जाता है, उसके बाद फ़ौरन कोशिश की जायेगी, और आशा है कि फ़रवरी के अन्त तक यह सम्भव हो सकेगा।

सरदार हुक्म सिंह: उस सदस्य और इस मेनुअल टेलीफ़ोन के बीच कोई मेल जोल कराने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री राज बहादुर: प्रयत्न किया गया था

श्री के० के० बसु: क्या माननीय मन्त्री सदन को विश्वास दिला सकेंगे कि इन शिकायतों की सुनवाई तुरन्त हो जाया करेगी जिससे सदस्य अपनी शिकायतें भेजने में अधिक चुस्ती से काम लेने लगें ?

श्री राज बहादुर: मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं, परन्तु यह तो पहले से किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसे सुन्दर हास्य के लिये हमारे पास पर्याप्त समय नहीं हैं।

हैदराबाद में चावल का विनियन्त्रण

*९८६. **श्री पी० रामास्वामी**: **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि हैदराबाद सरकार ने ज्वार-बाजरा और गेंहूं पर से नियन्त्रण हटा लिया है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप ज्वार-बाजरे के दाम बढ़ गये हैं या घट गये हैं;

(ग) क्या हैदराबाद में चावल का विनियंत्रण करने का प्रस्ताव है; तथा

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद सरकार को चावल देने का विश्वास दिलाया है जिससे वह चावल का ६ औंस का राशन बनाये रख सके ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) राज्य के अन्दर ज्वार-बाजरे के लाने ले जाने और विक्री पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। गेंहूं के बारे में केवल प्रत्येक ज़िले के अन्दर उसको लाने ले जाने और बिक्री पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है।

(ख) नियन्त्रण हटाने के बाद अगस्त और सितम्बर में दाम कुछ बढ़े थे परन्तु अक्टूबर में दाम गिरने लगे। अगस्त और सितम्बर में, जो खाली महीने होते हैं, दामों में वृद्धि होना सामान्य है।

(ग) जी नहीं।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने १९५२ में हैदराबाद के लिये चावल का कोटा बढ़ा दिया है। इससे वह ६ औंस चावल का राशन बनाये रख सकेंगे।

श्री पी० रामास्वामी: १९५३ में हैदराबाद ने कितना चावल मांगा है और केन्द्रीय सरकार ने कितना देने का निश्चय किया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: १९५३ के लिये मांग ४०,००० टन चावल की है। परन्तु हमने अभी यह फ़ैसला नहीं किया कि कितना कितना कोटा दिया जाये। फिर भी, यदि हमारे पास स्टॉक होगा तो हम उन्हें ४०,००० टन दे सकेंगे।

श्री पी० रामास्वामी: क्या हैदराबाद सरकार ने समाहार का एकाधिकार छोड़ दिया है; यदि हां तो केन्द्र से उन्हें जो चावल मिलेगा क्या इससे वह ६ औंस का राशन बनाये रख सकेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: कुल राशन १२ औंस का है, जिसमें चावल ६ औंस है। स्थानीय रूप से, समाहार 'लेवी' प्रणाली द्वारा किया जायेगा और उन्हें हम से जो चावल मिलेगा वह लगभग ४०,००० टन होगा। इस स्टॉक से वे ६ औंस चावल का राशन बनाये रखने की आशा करते हैं।

श्री पी० रामास्वामी: स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधा डाले बिना हैदराबाद सरकार कितना ज्वार-बाजरा निर्यात करने को राज़ी हुई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इस वर्ष वह हमें मद्रास लिये १५,००० टन और मैसूर के लिये १०,००० टन दे सकेगी। अगले वर्ष

के बारे में अभी आखिरी फ़ैसला नहीं हुआ है, परन्तु अन्य राज्यों को ज्वार-बाजरा भेजने के लिये उनके पास अतिरिक्त मात्रा है।

श्री बोगावत: क्या हैदराबाद और बम्बई के बीच ज्वार-बाजरा लाने ले जाने की अनुमति है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्ध अभी नहीं हटाये गये हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति: कुल कितना चावल मौजूद है और क्या जब तक और मात्रा नहीं दी जायेगी तब तक के लिये वह पर्याप्त होगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हैदराबाद की मासिक निकासी केवल ६५०० टन है और उसके पास लगभग १९००० टन हैं। इस वर्ष के अन्त तक उनके पास १०,००० टन बच रहेगा। चावल के समाहार का काम राज्य में शुरू हो चुका है।

श्री नम्बियार: क्या हैदराबाद राज्य में अकाल ग्रस्त क्षेत्र या ज़िले हैं, यदि हां, तो इन क्षेत्रों को सहायता देने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हर राज्य में अकालग्रस्त तथा कमी वाले क्षेत्र हैं। हैदराबाद में नालगोंडा क्षेत्र में इस वर्ष शुरू में कुछ कमी की हालत पाई गई थी; हम वहां सहायता भेजने के लिये पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। विदेशों से जो सहायता या भेंट के रूप में वस्तुएं आती हैं उनमें से १५ प्रतिशत को हम उन क्षेत्रों में उचित रूप से वितरण किये जाने के लिये भेज रहे हैं।

श्री नम्बियार : क्या उन्हें बिना मूल्य के बांटा जा रहा है या मजूरी के रूप में।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: भेंट की वस्तुएं तो बिना मूल्य लिये ही बांटी जाती हैं।

श्री नम्बियार: परन्तु.....

उपाध्यक्ष महोदय: यदि "परन्तु" की बात है तो इसके लिये आपको दूसरा अवसर मिलेगा।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या माननीय मन्त्री को पता है कि ज्वार बाजरे पर से नियन्त्रण हटाने के फलस्वरूप औरंगाबाद ज़िले की अकाल की हालत हो गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: अकाल की हालत होने का कारण देश में ज्वार बाजरे के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध हटाना नहीं है। यह तो हमेशा होता है कि अगस्त और सितम्बर के ख़ाली महीनों में हर अनाज के दाम कुछ बढ़ जाते हैं और फिर एक दम से उनमें कमी हो जाती है। जो भी हो, अकाल की हालत का कारण राज्य में ज्वार बाजरे पर से प्रतिबन्ध हटाना नहीं है।

गोरखपुर का रेलवे वर्कशाप

*९८७. **श्री बी० एन० राय** : रेलवे मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चालू वित्तीय वर्ष में गोरखपुर के रेलवे वर्कशाप के विस्तार का काम तथा इस सम्बन्ध में नये निर्माण कार्य आरम्भ किये जायेंगे ?

रेलवे तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : जी हां।

श्री बी० एन० रॉय: निर्माण में देर क्यों हो रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कोई देर नहीं हो रही है। इस वर्ष लगभग २० लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। तीन वर्ष के अन्दर काम पूरा हो जायेगा।

देवरिया और ननखार स्टेशनों के बीच रेलवे स्टेशन

*९८८. **श्री बी० एन० रॉय**: रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी रेलवे पर देवरिया और ननखार स्टेशनों के बीच एक नया रेलवे

स्टेशन बनाने का काम बन्द कर दिया है या स्थगित कर दिया गया है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख) . ननखार और देवरिया सदर के बीच एक क्रॉसिंग स्टेशन बनाने का काम स्थगित नहीं किया गया है। यह काम कुछ दिनों के लिये इसलिये रुक गया था कि ठेकेदार उसको ठीक तरह से नहीं चला रहा था। इस काम के लिये नये टेंडर बुलाने पड़े और नया ठेकेदार नियुक्त होने पर उसे फिर शुरू कर दिया जायेगा।

रामगपारा-तेजपुर रेलवे लाइन

*१८९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : रेलवे मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेजपुर-बोलीपुर की नैरोगेज रेल को बन्द करके उत्तर पूर्वी रेलवे को रामगपारा उत्तर से तेजपुर तक बढ़ाने का फैसला किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसका काम कब तक शुरू हो जायेगा।

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तेजपुर-बालीपारा नैरोगेज रेलवे को बन्द करके या उसको मीटरगेज में बदल कर उत्तर पूर्वी रेलवे की रंगपारा उत्तर से तेजपुर वाली लाइन को मीटरगेज में बदलने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री के० पी० त्रिपाठी : तेज़पुर-बालीपारा रेलवे को इसी तरह चलाते रहने में आवर्त्तक हानि कितनी होगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : हमने इसका हिसाब नहीं लगाया है।

कुलू वैली ट्रांसपोर्ट कम्पनी

*१९०. **श्री हेम राज** : रेलवे मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुलू वैली ट्रांसपोर्ट कम्पनी पठानकोट मनाली सड़क पर सीधी सर्विसें नहीं चला सकी है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो तो क्या उत्तर रेलवे उसे पूरी तरह से अपने प्रबन्ध में चलाने को तैयार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी किन परिस्थितियों के कारण यह अपनी सर्विस नहीं चला सकी है, इसकी पड़ताल एक विशेष जांच समिति कर रही है। उसकी रिपोर्ट आने पर ही यह तय किया जायेगा कि उसे फिर से चलाना सम्भव है या नहीं और यदि है तो उसे कौन चलाये।

श्री हेम राज : जांच समिति की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री अलगेशन : बहुत जल्दी ही।

मार्ग में माल को होने वाली हानि तथा क्षति संम्बन्धी रिपोर्ट

*१९१. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या रेलवे मंत्री २२ जुलाई १९५२ को मार्ग में माल को होने बाली हानी कें सम्बन्ध में मेरें द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९७६ के उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या रेलवे बोर्ड के डाइरेक्टर ने कोई रिपोर्ट पेश की है ?

(ख) यदि हां, तो यात्रियोंके और माल के बुकिंग बारे में क्या सुधार सुझाये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) मासिक उपनगरीय सीज़न टिकटों का मशीन से जारी करना और स्टेशन रेट रजिस्टरों का रखा जाना ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या माननीय मंत्री रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगेशन : मैं रख दूंगा, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी० पी० नायर ने जो प्रश्न पूछा था उसमें अदल बदल इस प्रकार की गई है । कोई भी व्यक्ति विदेश जा कर पढ़ सकता है । इन बातों के उत्तर के लिये केन्द्रीय सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है । माननीय अध्यक्ष के पास इसका तरीका इस सारे प्रश्न को नामंजूर कर देने का था परन्तु ऐसा न करके उसमें अदल बदल कर दी गई है । अगर वह चाहते तो इसको नामंजूर कर सकते थे । माननीय सदस्य चाहें तो भविष्य में मैं इसी तरीके को अपनाया करूं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या आप कृपा करके सारे प्रश्न को पढ़ेंगे जिसमें अदल बदल की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

"क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे

(क) भारत के उन विद्यार्थियों की संख्या जो विदेशों में डाक्टरी पढ़ रहे हैं······"

इसकी सूची बनाना संभव नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जिसे विदेशी मुद्रा मिलने में कठिनाई नहीं होगी चाहे तो बाहर जा कर पढ़ सकता है । इसके बाद,

" (ख) डाक्टरी पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों द्वारा वार्षिक खर्च की जाने वाली राशि ;..."

यह तो पिता और पुत्र के बीच निजी मामला है । प्रश्न तीसरा भाग इस प्रकार है :

"(ग) क्या सरकार ने भारत के मेडिकल कालिजों का स्तर ऊंचा करने के बारे में कोई निश्चित कार्यवाही की है जिससे कि भारतीय विद्यार्थियों को बाहर इतना रुपया बर्बाद न करना पड़े ? "

यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

यह प्रश्न, जैसा प्रस्तुत किया गया था, नामंजूर हो जाना चाहिये था परन्तु दुर्भाग्य से इसे मंजूर कर लिया गया है और माननीय सदस्य को यह अवसर दिया गया है । यदि वह उत्तर चाहते हैं तो दे दिया जायेगा वरना इस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा । कोई संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और इसको बिल्कुल नामंजूर कर दिया जायेगा ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न पर, जिसमें बहुत कुछ अदल बदल कर दी गई है, कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, तो मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

चीन से चावल का आयात

*९७१. **सरदार हुक्म सिंह** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ के समझौते के अन्तर्गत चीन की लोक सरकार ने जितना चावल देने का वादा किया था क्या उसने उसे दे दिया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम बी० कृष्णप्पा) : जी हां, दोनों समझौतों के अन्तर्गत खरीदे गये १५०,००० टन चावल में से लगभग १४२,००० टन चीन से रवाना किया जा चुका है और बाक़ी भेजा जा रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या चीन से चावल लिय जाने के बारे में समझौता केवल १ वर्ष यानी १९५२ के लिये है या कुछ और वर्षों के लिये भी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वर्त्तमान ऊंचे मूल्यों के कारण हम ऐसे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं । केवल बरमा के साथ हमारा ऐसा समझौता है जिसके अनुसार वह प्रति वर्ष हमें ३ १/२ लाख टन चावल देगा । जहां तक चीन का प्रश्न है, जब और जैसे हमें आवश्यकता होती है तो यदि चीन में मूल्य थाइलैंड तथा चावल का निर्यात करने वाले अन्य देशों के मुकाबले में कम होते हैं तो हम वहां से ख़रीदते हैं । चावल के बारे में चीन से हमारा कोई स्थायी समझौता नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : चीनी चावल के मुकाबले में बरमां में आयात किया गया चावल कैसा है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क़िस्म का जहां तक प्रश्न है, चीनी चावल अच्छा माना जाता है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह द्विपक्षीय समझौता है ? यदि है तो चावल के बदले चीन को क्या वस्तुएं भेजी जा रही हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वे वस्तुओं की अदल-बदल नहीं चाहते थे । वे नगद रुपया चाहते थे और नगद रुपये के बदले हमने लगभग १,५०,००० टन चावल ख़रीदा है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : जो चावल दिया गया है क्या वह सारा का सारा एक क़िस्म का है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : तीन क़िस्में थीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया और मोटा । इन तीनों क़िस्मों का चावल दिया गया है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या यह सत्य है कि विभिन्न किस्मों के लिये एक ही मूल्य लिया गया था और भारत में प्रचलित मूल्यों के मुकाबले वे मूल्य अधिक थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे यहां का चावल आयात किये गये चावल से कुछ सस्ता है । जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, तीनों क़िस्मों का एक ही मूल्य दिया गया है । जब हमने पहले समझौता किया तो एक खास दर तय हुई थी और इस दर पर वे हमें चावल भेजते रहे जैसे जैसे उनके पास विभिन्न क़िस्मों का चावल आता रहा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : चीन से आये चावल में क्या टूटा चावल है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसके साथ मिला हुआ ?

श्री बी० एस० मूर्ति : बरमा ने टूटा चावल दिया हैं; क्या चीन ने भी, समझौता से या समझौते के बिना, टूटा चावल दिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : चीन से हमें यही तीन क़िस्में मिलती हैं ; लेकिन बरमा से टूटा चावल भी मिलता है ।

श्री हुक्म सिंह : क्या चीनी चावल की ललाई कम करने के लिये उसे 'फ्यूमिगेट' किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह और लाल हो जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, मैं एक सूचना चाहती हूं । मैं ने निर्मला कालिज की हड़ताल के बारे में जहां, कहा जाता है, कि एक अमरीकन प्रोफ़ेसर ने एक विद्यार्थी को लात मार दी थी एक अल्प सूचना प्रश्न भेजा था क्या उसे मंजर कर लिया गया है ? मेरे काग़ज़ों में तो वह नहीं है ।

उपायक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न यहां नहीं रखा गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि उसे भेज दिया होगा। सबसे पहले उसे मंत्री महोदय के पास भेजा जाता है और उन से पूछा जाता है कि क्या वह उसका उत्तर अल्प सूचना पर दे सकेंगे या उन्हें और अधिक समय चाहिये। माननीय सदस्य को कार्यालय से सूचना मिल जायेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसमें काले और गोरे के बीच भेद-भाव करने के आरोप लगाये गये हैं और एक अमरीकन प्रोफ़ेसर ने एक विद्यार्थी के लात मारी है। यह एक नीति-सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कब दिया गया था ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कल सवेरे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य देखेंगी कि इसमें कुछ समय लगता है। आपको इसकी बहुत चिन्ता है कि हड़ताल जारी न रहे ; मुझे भी उतनी ही चिन्ता है। परन्तु इसमें समय लगता है। मैं यहां सारे माननीय सदस्यों को बता दूं कि हमारे पास बहुत से अल्पसूचना प्रश्न आते हैं हमें उनको देखना होता है और इसमें समय लगता है। मंत्री महोदय को भी उसे देखने में और पता लगाने में कि उनके पास उसकी सूचना तैयार है या नहीं समय लगता है। यदि कोई माननीय सदस्य इस बात के उत्सुक हों कि उनका प्रश्न जल्दी ही लिया जाये तो उन्हें मुझ से कहना चाहिये। मैं उनसे दूर थोड़ी हूं।

श्रीमती रेंणु चक्रवर्ती : मेरे विचार में तो कार्यालय से अपने आप ऐसा हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हर अल्प सूचना प्रश्न अपने आप तो मंजूर होता नहीं है। हमें देखना होता है कि उसे मंजूर किया जाना चाहिये या नहीं और फिर मंत्री महोदय से पूछना होता है। यह सब करना होता है। यदि कोई माननीय सदस्य चाहता है कि उसका प्रश्न शीघ्र लिया जाये तो वह अध्यक्ष के पास आकर उस पर विशेष रूप से ज़ोर दे सकता है और फिर वह ले लिया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिपुरा में मालगुज़ारी का बक़ाया वसूल करने के लिये बेदखली के नोटिस

* **९८४. श्री दशरथ देव :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में किसानों को मालगुज़ारी की बकाया वसूल करने के लिये इस वर्ष बेदख़ली के कितने नोटिस दिये गये हैं ?

(ख) कितने किसानों ने मालगुज़ारी की बक़ाया छोड़ देने के लिये और कितनों ने मालगुज़ारी में कमी करने के लिये लिखित प्रार्थनायें की हैं ?

(ग) क्या इन प्रार्थनापत्रों पर सरकार ने कुछ कार्यवाही की है, यदि हां, तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) ९०।

(ख) मालगुज़ारी छोड़ देने के लिये १९४ और उस में कमी करने के लिये ९ प्रार्थना-पत्र आये हैं।

(ग) मालगुज़ारी छोड़ने के बारे में जो प्रार्थना-पत्र थे उन्हें जांच करने के बाद नामंजूर कर दिया गया। मालगुज़ारी में कमी के लिये प्रार्थना-पत्रों पर विचार हो रहा है।

रेल के डिब्बे (पंखे)

३७१. श्री मादिया गौडा : (क) रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक खंड में तीसरे दर्जे के कितने डिब्बों में पंखे लगे हुए हैं ?

(ख) प्रत्येक खंड में कितने डिब्बों में पंखे अभी लगाये जाने हैं ?

(ग) सारे डिब्बों में पंखे लगाने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५८]**

सामाजिक बीमा अधिनियम

३७२. श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १९४८ के सामाजिक बीमा अधिनियम को, जैसा उसे १९५१ में संशोधित किया गया है, लागू किया जा रहा है, यदि हां, तो कहां तक ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना दिल्ली और कानपुर में लागू की गई है । इस संबंध में माननीय सदस्य क्रमशः ४ मार्च, २२ मई और २४ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२२, १०० और २०५० के बारे में दिये गये उत्तरों को देखने की कृपा करें ।

भारतीय व्यापारिक जलपोतों के कर्मचारी

३७३. श्री एस० सी० सामन्त : **यातायात** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से (प्रतिवर्ष) भारतीय व्यापारिक जलपोतों के कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ;

(ख) प्रशिक्षण के लिये काम में लाये गये जलपोतों के नाम ;

(ग) प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम ;

(घ) प्रशिक्षण का काल,

(ङ) क्या यह सत्य है कि भारतीय नाविकों के रहने के लिये एक नई इमारत बनाई जा रही है ; तथा

(च) यदि ऐसा है तो यह इमारत कहां बनाई जायेगी और उसके बनाने का खर्चा क्या होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ङ) से (च). जी हां । लगभग २६० नाविकों के रहने के लिये बहाला, कलकत्ते में लगभग १० लाख रुपये की लागत पर एक इमारत बनवाने का प्रस्ताव है ।

रेल के इंजन, डिब्बे आदि (बदला जाना)

३७४. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (क) **रेल** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे इंजनों, सवारी के डिब्बों तथा वैगनों की कुल संख्या कितनी है जिनको चालू वर्ष में बदला जाना है ; इस वर्ष बदले जाने वाले डिब्बों आदि का कोटा कितना है और पिछले वर्ष के बचे हुए कितने है ?

(ख) पहली अप्रैल १९५१ को कितने इंजन, सवारी के डिब्बे और वैगन बदले जाने थे और वास्तव में कितने बदले गये ?

(ग) पिछले वर्ष इंजन तथा डिब्बों के बदलने पर कितना रुपया खर्च हुआ और चालू वर्ष में कितना खर्च होने का अनुमान है ?

(घ) हमारे देश में बनाये गये कितने इंजन व डिब्बे लिये गये तथा किन किन देशों से और कितने मंगाने पड़े ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६०]**

भारत-अमरीका टेकनिकल सहयोग समझौता (नल-कूप)

३७५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत अमरीकी टेकनिकल सहयोग समझौते के अन्तर्गत अगले दो वर्षों में जो २००० नल कूप बनाना तय हुआ है उसे कौन बनायेगा ?

(ख) इन नल कूपों को कैसे और किन किन राज्यों को बांटा गया है और क्या राज्यों ने वे क्षेत्र निश्चित कर लिये हैं जहां नलकूप बनाये जायेंगे ?

(ग) हर एक नल कूप के बनाने पर कितना रुपया रखा गया है और काश्तकारों को किन शर्तों पर पानी दिया जायेगा ?

(घ) सारे कुएं कब तक बन जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारत अमरीकी टेकनिकल सहयोग समझौते के अन्तर्गत २००० नल-कूप चार राज्यों में इस प्रकार बनाये जाने हैं :—

राज्य	राज्य को निर्धारित नलकूपों की कुल संख्या	ठेकेदार द्वारा बनाये जाने वाले कुओं की संख्या	विभाग द्वारा बनाये जाने वाले कुओं की संख्या
उत्तर प्रदेश	९९५	७००	२९५
बिहार	३५०	२५०	१००
पंजाब	३५५	२५५	१००
पैप्सू	३००	३००	—

उत्तर प्रदेश में ५०० नलकूप बनाने के बारे में राज्य सरकार और मेसर्स जर्मन वाटर डेवेलपमेंट कारपोरेशन के बीच एक संविदा पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और पैप्सू में बाकी कुओं के बनाने का काम सौंपने के लिये नलकप बनाने वाली अनुभवी फर्मों के साथ बात चीत हो रही है।

(ख) जिन राज्यों को २००० नलकूप बांटे गये हैं और जिन स्थानों में वे बनाये जाने हैं, वे इस प्रकार हैं :—

	नलकूप
उत्तर प्रदेश .	९९५
बस्ती	१३०
गोरखपुर .	१६५
देवरिया	
फ़ैज़ाबाद . . .	३६०
सुलतानपुर-मैनपुरी. .	३४०
कुल	९९५

	नलकूप
बिहार	३५०
समस्ती पुर	१५०
बिहारशरीफ़	५०
अर्रा-बक्सर	१००
बिहता	५०
कुल	३५०

	नलकूप
पंजाब	३५५
समराला	१४०
रादौर	५५
पानीपत-गानौर	७५
सोनीपत	८५
कुल	३५५

	नल कूप
पैप्सू	३००
धूरी में ग्राम्य तथा नगरीय सामुदायिक परियोजनाओं के अन्तर्गत स्थित धर-मालिर कोटला तथा पायल तहसील	३००
कुल	३००

(ग) नलकूप पर कितनी लागत आती है, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है जैसे नलकूप की गहराई, बिजली पैदा करने तथा पहुचाने के खर्च आदि । फिर भी, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक नलकूप पर लगभग ४०,००० से ६०,००० रुपये खर्चा आता है । साधारणत: यह नलकूप राज्य सरकारों के होते हैं और वे किसानों से पानी के दाम वसूल करती हैं । यह दो प्रकार से किया जाता है, या तो मीटर के आधार पर या दिये गये पानी के आधार पर। वास्तविक दरों को राज्य सरकारें परियोजना की लागत तथा आवर्त्तक व्यय का हिसाब लगाने के बाद निश्चित करेंगी।

(घ) १९५५ तक ।

रेलों में डकैती

३७६. **श्री दाभी** : रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में हर एक रेलवे की सवारी गाड़ियों में कितनी डकैतियां हुईं ;

(ख) इन डकैतियों में कितने यात्री घायल हुए या मारे गये ;

(ग) कितने मूल्य का माल लूट लिया गया और कितने का पुनः प्राप्त किया गया; तथा

(घ) इन डकैतियों के सिलसिले में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और कितनों को सजा हुई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१**]

तीसरे दर्जे के डिब्बे (पंखे)

३७७. **श्री दाभी** : रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिम रेलवे के प्रत्येक खंड में तीसरे दर्जे के कितने डिब्बों में अब तक पंखे लगाये जा चुके हैं ; तथा

(ख) उक्त रेलवे के प्रत्येक खंड में ऐसे डिब्बे कुल डिब्बों के कितने प्रतिशत हैं ?

रेल तथा यातायता उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

	तीसरे दर्जे के डिब्बों की कुल संख्या	तीसरे दर्जे के डिब्बे जिनमें पंखे लगे हैं	कुल डिब्बों से पंखे लगे डिब्बों की प्रतिशतता
बिजली की गाड़ी के डिब्बे			
पुराने	२२२	७०	५०
नये	८४	८४	
	३०६	१५४	
कोयले से चलने वाली गाड़ी के डिब्बे			
ब्रांड गेज	३२८७	१५३३	४६.५
मीटर गेज	२९४७	६९६	२३.६
नैरो गेज	३३१	२	०.६

रेलवे लाइनों का निर्माण

३७८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ के बाद बनाई गई नयी रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई क्या ;

(ख) १९४७ से अब तक उखाड़ी गई जिन लाइनों को फिर से बनाया गया है, उनकी लम्बाई क्या है; तथा

(ग) उखाड़ी हुई जिन लाइनों को अभी बनाया जाना है उनकी लम्बाई कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग ५५९ मील ।

(ख) तथा (ग). युद्ध के दौरान में लगभग २५५ मील लम्बी कुल २६ ब्रांच लाइनों को उखाड़ा गया था । इनमें से १०४ मील लम्बी चार ब्रांच लाइनों को फिर से बिछा दिया गया है और उन पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है । ८ ब्रांच लाइनों पर जिनकी कुल लम्बाई लगभग ३९४ मील होती है, काम शुरू कर दिया गया है । १९५३-५४ में एक ब्रांच लाइन पर जिसकी लम्बाई लगभग ४४ मील है, काम आरम्भ करने का विचार है । शेष १३ ब्रांच लाइनों में, ५ लाइनों को, जिनकी लम्बाई लगभग १४२ मील है, फिर से बनाने का विचार नहीं है और बाकी २ ब्रांच लाइनों के बारे में, जिनकी लम्बाई १७१ मील है, बाद में विचार किया जायेगा ।

टेकनिकल सहायता योजना

३७९. श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रम मंत्री सदन पटल पर संयुक्त राष्ट्र तथा विशिष्ट एजेन्सी टेकनिकल सहायता योजना की एक प्रतिलिपि रखेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के टेकनिकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रवीण कारीगरों को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है, जिसके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने घोषणा की थी कि वह पिछड़े हुए देशों के लिए १९५३ के दौरान में अधिक सहायता देना सोच रहा है और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के अनुसार भारत में कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो कौन से;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यक्रम क्या है और भारत को इससे क्या लाभ होगा;

(घ) २४० विशेषज्ञों में से भारत को कितनों की सेवायें प्राप्त होंगी और किन शर्तों पर; तथा

(ङ) प्रशिक्षार्थियों को जो ३०० छात्रवृत्तियां दी जायेंगी उनमें से भारत का हिस्सा कितना होगा ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : प्रवीण मजदूरों के प्रशिक्षवी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का टेकनिकल सहायता कार्यक्रम सम्बन्धी कोई एक प्रलेख नहीं है । इसका निर्देश कई प्रलेखों में किया गया है । फिर भी टेकनिकल सहायता समिति को टेकनिकल सहायता बोर्ड द्वारा सौंपी गई चौथी रिपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वर्ष १९५३ के बारे में जो टेकनिकल सहायता कार्यक्रम है उसके सम्बन्ध में एक पुस्तिका सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(क) जी हां ।

(ख) पिछले वर्ष बंगलौर में हुए एशियाई टेकनिकल जनशक्ति सम्मेलन ने यह सिफ़ारिश की थी एशिया में दो प्रादेशिक केन्द्र खोले जायें, एक प्रवीण कारीगरों के शिक्षकों के लिए और दूसरा घरेलू उद्योग तथा दस्तकारी का प्रशिक्षण देने वाले कर्मचारियों के लिए । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एशियाई सरकारों से यह पता किया है कि इस सम्बन्ध में उनकी कितनी आवश्यकता है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस बात का भी परीक्षण कर रहा है कि भारत में वर्तमान प्रशिक्षण सुविधायें क्या हैं जिससे यहां एक या दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा सकें ।

(ग) कार्यक्रम इस प्रकार है : प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संगठन, विदेशों में निरक्षिक कर्मचारियों तथा प्रवीण कारीगरों को प्रशिक्षित करवाना तथा सरकारों को उनके राष्ट्रीय, टेकनिकल और व्यवसायी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता देना । इसका उद्देश्य उन कारीगरों की उत्पादन सम्बन्धी कुशलता में वृद्धि करना है जो पहले से ही कुशल हैं तथा नये कारीगरों को कामधंधों में प्रवीण करना है ।

(घ) २४० विशेषज्ञों में से भारत को १९५३ में चार विशेषज्ञ मिलेंगे । भारतीय सरकार उनके रहने के भारत के अन्दर यात्रा करने के तथा कार्यालय सम्बन्धी खर्चे के लिए ज़िम्मेदार होगी ।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विचार १९५३ में ३०० नहीं, बल्कि ८०० छात्रवृत्तियां देने का है । इन छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपनी आवश्यकताओं को अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया है ।

चिली से सोडियम नाइट्रेट

३८०. डा० राम सुभग सिंह : खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस वर्ष जो भेंटें मिली हैं उनमें चिली से प्राकृतिक सोडियम नाइट्रेट भी आया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है; तथा

(ग) उसका कैसे प्रयोग किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) जी हां । फरवरी १९५० में कारपोरेशन डी वेन्टास डी सेलीटर योडो डी चिली ने भारत सरकार को प्रयोग करने तथा कृषिसार पर अनुसन्धान करने के लिए ३०० टन सोडियम नाइट्रेट मफ्त भेजने का प्रस्ताव किया था । इसमें से १९५१ में १०० टन आ गया था और फ़रवरी-मार्च १९५३ में १०० टन और आने वाला है ।

(ग) कृषिसार उन राज्यों को दिया गया है जहां उस पर प्रयोग किये जा रहे हैं । उनके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बम्बई-विशाखापटनम् रेलवे लाइन

३८१. श्री तेलकीकर : रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई को विशाखापटनम् से मिलाने के लिए एक नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस लाइन का वास्तविक परिमापन किया गया था;

(ग) क्या यह सत्य है कि अर्थ प्रस्तावित लाइन को कुरडूवाड़ी से रामगुंडम तक रेलरोड बनाने के बाद ही बनाया जायेगा;

(घ) क्या यह लाइन हैदराबाद राज्य से होकर गुज़रनी थी;

(ङ) क्या उस लाइन पर लटूर, ऊदागिर, डगलूर तथा बोधन (हैदराबाद राज्य) को मुख्य स्टेशन बनाने का विचार था;

(च) क्या योजना अभी भी विचाराधीन है;

(छ) यदि हां, तो कार्य कब से आरम्भ किया जाना है; तथा

(ज) यदि नहीं, तो योजना को त्याग दिया गया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) बम्बई को विशाखापटनम् से मिलाने के लिए कोई नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव नहीं था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यदि लाइन बनी तो वह ज़रूर हैदराबाद राज्य से गुज़रेगी ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(च) जी नहीं ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ज) ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया गया है ।

यातायात का समन्वय

३८२. **श्री तेलकीकर** : यातायात मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यातायात समन्वय योजना के अन्तर्गत हवाई सर्विसों को (i) रेलवे (ii) मोटर-सर्विस (iii) अन्तर्देशीय स्टीमर सर्विस तथा (iv) तटीय जहाज़ सर्विस से समन्वित करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : समस्त प्रकार के यातायात साधनों को समन्वित करने के लिए केन्द्रीय यातायात बोर्ड के रूप में पहले ही से व्यवस्था है । इस बोर्ड की रचना तथा कृत्यों को मैं १९ नवम्बर १९५२ को श्री विद्यालंकार द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६६ के उत्तर में बता चुका हूं चूंकि हवाई यातायात तथा यातायात के अन्य साधनों के बीच अभी कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है, इसलिए इसके सम्बन्ध में बोर्ड ने कोई विचार नहीं किया है ।

बीकानेर उद्योग निगम, गंगानगर

३८३. **श्री मुरारका** : खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में बीकानेर उद्योग निगम, गंगानगर में कुल कितना गन्ना पेला गया;

(ख) कितने गन्ने के दाम नकद रुपयों में चुकाये गये कितने के वस्तुओं के रूप में;

(ग) क्या काश्तकारों से कुछ बकाया दी जानी है, यदि हां तो कितनी; तथा

(घ) क्या काश्तकारों से सरकार के पास प्रबन्धकों द्वारा गन्ने के दाम न दिये जाने के बारे में कोई शिकायतें आई हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पार्लाकीमेडी लाइट रेलवे

३८४. **श्री संगण्णा** : (क) रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे पूर्वी खंड में पार्लाकीमेडी लाइट रेलवे पर पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक में कितनी आय हुई ?

(ख) उक्त काल में खर्चा कितना हुआ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस रेलवे की गाड़ियों पर अधिकतर यात्री गाड़ी में चलने वाले कर्मचारियों को कुछ पैसा देकर उनकी अनुमति से यात्रा करते हैं ?

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर 'हां', में हो, तो इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क).....

१९४७-४८	३,६५,५३२ रु०
१९४८-४९	३,२७,०९५ रु०
१९४९-५०	३,१७,५७२ रु०
१९५०-५१	३,०३,६९९ रु०
१९५१-५२	३,७३,६४५ रु०

(ख)

१९४७-४८	२,१३,१७६ रु०
१९४८-४९	३,८७,४२३ रु०
१९४९-५०	५,४३,२३७ रु०
१९५०-५१	७,३७,५२१ रु०
१९५१-५२	७,८३,९०० रु०

(ग) जी नहीं । अभिलेखों से पता चलता है कि इस लाइट रेलवे पर सितम्बर १९५१ से जुलाई १९५२ के बीच टिकिट-चेकरों ने ६१६७ यात्रियों को बिना टिकट के या गलत टिकट के लिये पकड़ा और उनसे उचित किरायों के रूप में ५,९०७ रुपये वसूल किये ।

(घ) बिना टिकट या गलत टिकट लिए यात्रा किये जाने को रोकने के लिए, पार्लाकीमेडी लाइट रेलवे की हर गाड़ी के साथ एक ट्रेवलिंग टिकट एक्ज़ामिनर चलता है; अक्सर गज़ेटेड अधिकारी द्वारा अचानक चेकिंग भी किया जाता है ।

पार्लाकीमेडो लाइट रेलवे (इजन)

३८५. **श्री संगण्णा**: (क) **रेल** मत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पूर्वी खंड की पार्लाकीमेडी लाइट रेलवे (पुरानी बी० एन० रेलवे) पर चलने वाली गाड़ियों में पुराने इंजन और डिब्बे ही होते हैं ?

(ख)यदि हां, तो इन्हें बदलने के लिय सरकार ने क्या व्यवस्था की ह ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि डिब्बों में बिजली तक का प्रबन्ध नहीं है ?

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सारे इंजनों को चलते हुए २५ वर्ष भी नहीं हुए हैं और उनकी हालत काफी अच्छी है। अभी वे कई वर्ष और काम दे सकते हैं। डिब्बे अवश्य पुराने हैं और उन्हें बदलने का समय आ गया है ।

(ख) वर्ष १९५३-५४ और १९५४-५५ के दौरान में स्टाक को यथासंभव बदलने का विचार है ।

(ग) डिब्बों में तेल के लैम्प लगे हुए है। रात के समय गाड़ियों के साथ एक लैम्प-वाला चलता है जो जरूरत पड़ने पर लैम्पों को जलाता है ।

(घ) चूंकि डिब्बों को शीघ्र बदलने के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं इसलिए इन पुराने डिब्बों में बिजली लगाने से कोई लाभ नहीं ।

छोटी सिंचाई परियोजनायें

२८६. **श्री एन० बी० चौधरी: खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष से छोटी सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये दिए जाने वाले अनुदानों में कमी करना सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की जायेगी; तथा

(ग) क्या राज्य सरकारें भी अनुदानों में इसी तरह की कमी करेंगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां । अब भी भारत सरकार की नीति यही है कि छोटी सिंचाई परियोजनाओं को जहां तक हो सके ऋण द्वारा ही रुपया दिया जाये; और कुओं को खोदने के लिये सहायता भी सीमित की जाये और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से मिलने वाली यह सहायता २५ प्रतिशत तक ही रहे । 'अधिक अन्न उपजाओ' जांच समिति ने भी सिफारिश की है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' के लिये सहायता में कमी की जाये और अन्त में उसे समाप्त कर दिया जाये ।

(ख) विशेष प्रकार की योजनाओं को कहां तक सहायता देना जारी रखा जाये, इ पर अभी विचार हो रहा है ।

(ग) यह राज्य सरकारों से सम्बन्धित मामला है ।

गन्ने के दाम

३८७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गन्ने के दो भाव क्यों निश्चित किये गये हैं, जबकि बिहार में चीनी के कारखानों के शुरू होने से लेकर कारखानों के फाटकों पर और बाहर एक ही भाव बना रहा है और वस्तुत: चुकाये जाने वाले दामों में कोई भेद नहीं रहा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में जब केन्द्रीय सरकार द्वारा फाटक पर लाये गये और रेल द्वारा लाये गये गन्ने के एक से दाम निश्चित किये गये थे, तो चीनी के दाम में रेल से गन्ना लाने का व्यय पूरा करने के लिए ७ आने प्रति मन की वृद्धि की अनुमति दे दी गई थी। चीनी में ७ आने प्रति मन की वृद्धि की छूट गन्ने के संबन्ध मेंलगभग २ आना ४ पा० प्रति मन आती थी। इस साल, फैक्टरियों को रेल से लाये गन्ने के यातायात-व्यय को पूरा करने में समर्थ बनाने के विचार से, रेल से लाये गये गन्ने का अधिकतम मूल्य एक सामान्य दर पर निश्चित कर दिया गया है जो फाटक पर लाये गन्ने के दाम से दो आना प्रति मन कम है। बिहार सरकार द्वारा रेल से लाये गये गन्ने और फाटकपर लाये गये गन्ने के दाम १९३८-३९ तक अलग अलग निश्चित किये जाते थे।

मीटर गेज वैगन

३८८. **श्री यू० एम० त्रिवेदी**: (क) **रेल** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मीटर गेज के कितने वैगनों में आटोमेटिक वेकुअम ब्रेक लगे हैं ?

(ख) पुरानी ओ० टी० रेलवे द्वारा बनाये गय वैगनों में आटोमेटिक बेकुअम ब्रेक क्यों नहीं थे ?

(ग) सारे वैगनों में इस चूक के कारण कितने समय का नुकसान हुआ ?

(घ) सारे वैगनों में इन ब्रेकों को लगाने के लिए सरकार क्या क़दम उठा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नवम्बर १९५२ के अन्त तक १४,७१५ मीटर गेज वैगनों में आटोमेटिक वेकुअम ब्रेक लगाये गये हैं।

(ख) पुरानी ओ० टी०रेलवे द्वारा वैगन नहीं बनाये जाते थे।

(ग) तथा (घ). कोई चूक नहीं हुई है। मीटर गेज रेलों को १९५० में ही आदेश दिये गये थे कि सारे वैगनों में जिनमें ओटोमेटिक वेकुअम ब्रेक नहीं हैं, ऐसे ब्रेक लगाने की व्यवस्था की जाये। सारे नये वैगनों में वेकुअम ब्रेक लगे हैं।

राजस्थान भूमिगत जल परिषद्

३८९. **श्री भीखाभाई** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान भूमिगत जल पर्षद् में इस समय कौन कौन हैं;

(ख) क्या पर्षद् का कोई सदस्य उन क्षेत्रों में गया है जहां पानी की बहुत सख्त कमी है; तथा

(ग) पर्षद्, स्थापना के बाद से, क्या काम करता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) राजस्थान भूमिगत पर्षद् के सदस्यों की सूची सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६३]**

(ख) जी हां। यूनिट जोधपुर डिवीजन में काम कर रहा है जहां पानी की हमेशा तंगी रहती है।

(ग) दिसम्बर १९४९ में स्थापना के बाद से, पर्षद् न २५ नल कूप बनाये हैं जिसमें से २० सफल हुए हैं।

पहाड़ी स्थान

३९०. **श्री एन० एम० लिंगम** : यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के विचार से भारत में पहाड़ी स्थानों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; तथा

(ख) क्या सरकार को उटाकामंड की स्थानीय पर्यटक मंत्रणा समिति से इस पहाड़ के विकास के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पहाड़ी स्थानों से सम्बन्धित आन्तरिक पर्यटक यातायात को विकसित करने के लिए सरकार विभिन्न कार्यवाहियां करती रही है । इनमें रियायती रेल टिकट जारी करना, पहाड़ी स्थानों में सम्मेलन आयोजित करना तथा प्रकाशन सामग्री निकालना शामिल हैं । पहाड़ी स्थानों में पर्यटकों को सुविधायें देने के विचार से पर्यटक कार्यालय भी स्थापित किये जा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं । परन्तु उसने नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में पर्यटक प्रकाशन सामग्री को तैयार करने में कुछ सुझाव दिये हैं ।

कृषिसार

३९१. **श्री के० सी० सोधिया** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत में, राज्यवार, रासायनिक कृषिसारों की कुल मांग कितनी थी ?

(ख) कुल मांग में से, कितनी मात्रा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सीधी खरीदी गई और कितनी प्राइवेट व्यापारियों द्वारा ?

(ग) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत काश्तकारों को कुल कितनी मात्रा दी गई ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) (क) १९५०, १९५१ व १९५२ के पत्री वर्षों में राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षों ने अमोनियम सल्फ़ेट की जितनी मांग की थी, उसका एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६४**]

(ख) एक विवरण, जिसमें राज्य सरकारों तथा प्राइवेट पार्टियों को संग्रह में से दी गई मात्रा दिखाई गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६४**]

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत, राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित मात्रायें दी गई थी :

वर्ष	अमोनियम सल्फ़ेट
(१) १९४९-५०	८४,३६१ टन
(२) १९५०-५१	९९,४०२ टन
(३) १९५१-५२	१,२९,१५० टन

ट्रेक्टर (आयात)

३९२. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में भारत में (१) सरकार द्वारा और (२) प्राइवेट फ़र्मों द्वारा कुल कितने ट्रेक्टर आयात किये गये ?

(ख) प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत इन आयातों का कुल मूल्य कितना था ?

(ग) उक्त आयातों में किन किन देशों का हिस्सा था और कितना ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी कृष्णप्पा) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६५**]

अभ्रक की खानें

३९३. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : (क) **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान की अभ्रक खानों में काम करने वाले मज़दूरों की संख्या कितनी है और एक पुरुष मज़दूर या स्त्री मज़दूर को किस हिसाब से मज़दूरी दी जाती है ?

(ख) कितने खान मालिक मज़दूरों को बोनस देते हैं, किस दर पर और कितने कितने समय बाद ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) मज़दूरों की दैनिक औसत सं लगभग १०,३०० है। एक विवरण जिसमें उनकी औसत दैनिक आय दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६६**]

(ख) सूचना इकट्ठी की जारही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का पुनः कृषि योग्य बनाया जाना

३९४. [**श्री संगण्णा** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के आरम्भ होने के समय से उड़ीसा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में जंगलों को साफ़ करके कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई गई ?

(ख) इस पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(ग) पुनः कृषि योग्य बनाई गई इन जमीनों पर उगाये गये अनाज का वार्षिक मूल्य कितना है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग) भारत सरकार ने उडीसा में भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाये जाने का काम शुरु नहीं किया है इस विषय में राज्य सरकार से आवश्यक सूचना देने के लिये प्रार्थना की गई है। सूचना प्राप्त होने पर उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

पर्यटक

३९५. **प्रो० डी० ०सी० शर्मा** : **यातायात** मत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१ तथा १९५२ में अमरीका, इंग्लैण्ड, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, तथा अन्य देशों से भारत में कितने पर्यटक आये; तथा

(ख) भारत में पर्यटक यातायात को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार क्या क़दम उठा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

	१९५१ में	१९५२ के प्रथम नौ महीनों में
अमरीका	३५००	३२३०
इंग्लैंड	५९८४	४३१३
चीन	२५१	१९६
जापान	५००	३४४
आस्ट्रेलिया	२४०	१९९
अन्य देश	९५२५	७९९६
कुल	२०,०००	१६,२७८

अक्टुबर तथा नवम्बर १९५२ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान २२ जुलाई १९५२ को अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के भाग (ख) के बारे में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है। उसके बाद से न्ययार्क में एक पर्यटक कार्यालय तथा बनारस और आगरे में छोटे छोटे पर्याटक सूचना कार्यालय खोलने का फ़ैसला किया गया है।

कलकत्ता-मद्रास रेलव लाइन

३९६. **पंडित लिंगराज मिश्र** : **रेलवे** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय कलकत्ता-मद्रास रेलवे लाइन को उड़ीसा राज्य के ऐसे क्षेत्रों से होकर जहां रेल नहीं जाती, कलकत्ता-नागपुर लाइन से मिलाने के लिए जिन नई रेलवे लाइनों को बनाने का विचार है, उनका परिमापन हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो वे लाइनें कौन सी हैं और उन की लम्बाई तथा लागत कितनी है; तथा

(ग) क्या अगले दो या तीन वर्षों में इनमें से किसी परियोजना का काम शुरू करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) जी हां। लाइनों की लम्बाई और अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

लाइन का नाम	लम्बाई	अनुमानित लागत
	मील	रुपये
(१) तलचेर से सम्बलपुर	९०.४३	४.५ करोड़
(२) तलचेर से रूरकेला बाराकोट होकर	११७.७०	७.० करोड़
(३) कन्टथंजी से सम्बलपुर बोलंनगिर होकर	११५.२०	७.० करोड़
(४) खुर्दा रोड से बोलनगीर सोनपुर होकर	१७९.००	८.० करोड़

(ग) अगले दो या तीन वर्षों में जिन परियोजनाओं को शुरू किया जायेगा उनके बारे में अभी अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है।

कर्नाटक व्यापार मंडल अभ्यावेदन

३९७. श्री नेसवी : **रेलवे** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाटक व्यापार मंडल से हुबली जिले की यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेन) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक व्यापार मंडल के अवैतनिक सचिव को उक्त मंडल द्वारा किये गये प्रस्तावों के बारे में यह सूचित किया गया था :

(१) कि धारवाड-हुबली-गडग सेक्शन पर दो लाइनें बनाने में बहुत खर्चा आयेगा और वहां इस समय जितना यातायात है उसको देखते हुए ऐसा करना उचित न होगा।

(२) कि स्टेशनों पर लूप लाइनों के बनाने के प्रश्न पर हर अलग मामले को दृष्टि में रख कर विचार करना होगा। यह चीज़ संचालन के दृष्टिकोण से वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

(३) कि गडग-शोलापुर सेक्शन पर टेलीफ़ोन एक्सचेंज को आवश्यक रुपया मिलने पर ही स्थापित किया जा सकेगा। मोरमुगाव हार्बर पर टेलीफ़ोन एक्सचेंज बनाने के प्रश्न पर पहले विचार किया गया था। परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण तथा इस कारण कि गोआ विदेशी क्षेत्र में स्थित है, उसे छोड़ दिया गया।

बी० सी० जी० के टीके

३९९. **डा० राम सुभग सिंह : स्वास्थ्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत में कितने व्यक्तियों के बी. सी. जी. के टीके लगाये गये; तथा

(ख) उक्त काल में इस कार्य के लिए कितने व्यक्तियों की परीक्षा की गई ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) (क) तथा (ख). इस वर्ष की दूसरी तिमाही में ५२५,७२७ व्यक्तियों के बी. सी. जी के टीके लगाये गये और इस कार्य के लिए १,५८४,३९३ व्यक्तियों की परीक्षा की गई।

असरकारी तथा अर्द्धसरकारी रेलवे

४००. **श्री मुरारका** : (क) **रेल** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कौन कौन सी सरकारी तथा अर्द्धसरकारी रेलें चल रही हैं ?

(ख) ऐसी हरेक रेलवे की कुल लम्बाई क्या है ?

(ग) ऐसी हरेक रेलवे कम्पनी की चुकाई गई पूंजी कितनी है ?

(घ) वर्ष १९५०-५१ में इन रेलवे कम्पनियों ने कितना लाभ कमाया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६७]** कुछ आंकड़े जो इस समय उपलब्ध नहीं हैं बाद में दे दिये जायेंगे ।

टेलीफ़ून कनेक्शन

४०१. **श्री आर० एन० एस० देव : संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य के वे जिला प्रधान केन्द्र जहां ट्रंक टेलीफ़ोन कनेक्शन हैं (राज्य वार);

(ख) प्रत्येक राज्य के वे जिला प्रधान केन्द्र जहां ट्रंक टेलीफ़ोन कनेक्शन नहीं हैं (राज्य वार);

(ग) उन जिला प्रधान केन्द्रों के नाम (राज्यवार) जो १९४८, १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ के अलग अलग वर्षों में ट्रंक टेलीफ़ोन प्रणाली से सम्बद्ध किये गये; तथा

(घ) भूतपूर्व देशी रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप बनने वाले नये ज़िलों के उन प्रधान केन्द्रों के नाम जो १९४८ से ट्रंक टेलीफ़ोन प्रणाली से संबद्ध हैं और वे किस किस वर्ष में संबद्ध किये गये (हर ज़िला प्रधान केन्द्र के आगे राज्य का नाम दिया जाये) ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सड़क निधि

४०२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन : यातायात** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में किन्हीं सड़कों की केन्द्रीय सड़क निधि में से देख-रेख तथा मरम्मत आदि की जाती है; यदि हां तो वे सड़कें कौन सी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में उनमें से हर एक की देख रेख आदि पर अलग अलग कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या राष्ट्रीय राज्यपथ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में कोई सड़कें या पुल बनाने की योजना है; तथा

(घ) यदि है तो क्या सरकार ऐसी सड़कों और पुलों की, उनकी लम्बाई तथा स्थिति के साथ, एक सूची सदन पटल पर रखेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). बिहार की या किसी अन्य राज्य की किसी सड़क की केन्द्रीय सड़क निधि में से देखरेख और मरम्मत आदि नहीं की जाती ।

(ग) तथा (घ). माननीय सदस्य का ध्यान ३० जुलाई १९५२ को अतारांकित प्रश्न संख्या ६२७ के बारे में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है जिसमें १९५१-५२ से १९५५-५६ के राष्ट्रीय राजपथ विकास-कार्यक्रम में शामिल की गई सड़कों और पुलों के सम्बन्ध में सूचना दी गई है । उसमें दिये गये निर्माण कार्यों के अतिरिक्त , कार्यक्रम में बिहार के बारे में निम्नलिखित कार्य भी शामिल किये गये हैं :—

(१) राष्ट्रीय राजपथ ६ पर पोचाखाली नाला पर एक पुल का निर्माण ।

(२) राष्ट्रीय राजपथ ३१ पर किटचीनिया नदी पर एक पुल का निर्माण ।

(३) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ के एक १६ मील के टुकड़े का ठीक किया जाना ।

(४) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ के सातवें मील पर महानन्दा नदी पर आने जाने की अस्थायी सुविधाओं की व्यवस्था ।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

४०३. श्री मोहन लाल सक्सेना : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिया गया हो कि "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के सिलसिले में अखबारों में विज्ञापन करने पर गत तीन वर्षों में कितना रुपया खर्च हुआ ?

(ख) "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के सम्बन्ध में "दैट वेकेन्ट पैच आफ़ लैन्ड" शीर्षक के अन्तर्गत जो विज्ञापन किया गया था उस पर गत तीन वर्षों में कितना खर्च किया गया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां । एक विवरण जिसमें अखबारों में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन सम्बन्धी विज्ञापन पर १९४९-५०' १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में किया गया खर्चा दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(ख) १,६८६ रु० ३ आ० ० पा०

गोधरा-मउ रेलवे लाइन

४०४. श्री एन० एल० जोशी : रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के गोधरा स्टेशन से ब्राडगेज रेलवे लाइन को मीटरगेज रेलवे लाइन से मऊ या इन्दौर स्टेशन पर मिलाने का कोई प्रस्ताव है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस लाइन के बनने में कितना समय लग जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इन्दौर का हवाई अड्डा

४०५. श्री एन० एल० जोशी: संचरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्दौर हवाई-अड्डे की जहाज़ उतरने की ज़मीन को सीमेंट का बनाने में कितना समय लग जायेगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): इन्दौर हवाई अड्डे के रनवे को फिर से सीमेंट कंकरीट से बनाने का विचार नहीं है । वर्तमान रनवे डकोटा हवई जहाज़ों के उड़ने और उतरने के लिए ठीक है ।

मलेरिया

४०६. श्री एन० बी० चौधरी: (क) स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि क्य

गत तीन वर्षों में मलेरिया का अपात बढ़ा है या घटा ?

(ख) क्या सरकार ने इसके बढ़ने या घटने के कारण मालूम किये हैं ?

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जहां तक सूचना उपलब्ध है, गत तीन वर्षों में मलेरिया का आपात घटा है ।

(ख) तथा (ग). घटने का कारण यह है कि भारत के कई राज्य जैसे दिल्ली, बम्बई, मैसूर, मद्रास, कुर्ग और अजमेर तथा कोयला क्षेत्र अपने मलेरिया-निरोधक संघठनों को धीरे धीरे मज़बूत बनाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास तथा मैसूर में विश्व स्वास्थ्य संध के मलेरिया नियंत्रण प्रदर्शन दलों की कार्यवाही से तथा मलेरिया रोकने के नवीनतम तरीकों के प्रयोग से भी बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं ।

छोटी सिंचाई योजनायें

४०७. **श्री एन० बी० चौधरी : खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १५ अगस्त १९४७ से मार्च १९५२ के काल में प्रत्येक राज्य में भारत सरकार की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली छोटी सिंचाई योजनाओं की संख्या;

(ख) १९५२-५३ में इन योजनाओं की संख्या; तथा

(ग) क्या १९५३-५४ के लिए सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १९४७-४८ से १९५१-५२ तक के हरेक वर्ष के बारे में सूचना देने वाला विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६९]** अगस्त १९४७ से मार्च १९४८ के बारे में सूचना अलग उपलब्ध नहीं है ।

(ख) एक विवरण जिसमें राज्यवार सूचना दी गई, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ५, अनबन्ध संख्या ६९]**

(ग) अभी नहीं ।

पश्चिमी बंगाल में डाकघर

४०८. **श्री एन० बी० चौधरी** : (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७-४८ में पश्चिमी बंगाल में कितने डाकघर थे ?

(ख) वर्ष १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में पश्चिमी बंगाल में कितने नये डाकघर खोले गये ?

(ग) इन नये डाकघरों में से कितने डाकघरों का काम गैर-विभागीय कर्मचारी चलाते हैं और कितनों का काम विभागीय कर्मचारी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ३१-३-१९४८ को पश्चिमी बंगाल में डाकघरों की संख्या १६१२

(ख)

वर्ष	पश्चिमी बंगाल में खोले गए डाक घरों की संख्या
१९४८-४९	१३७
१९४९-५०	२९७
१९५०-५१	१५०
१९५१-५२	६१६

(ग) इन नये डाकघरों में ११३७ डाकघरों का काम गैरविभागीय कर्मचारी चलाते हैं और ६३ काम विभागीय कर्मचारी

पश्चिमी बंगाल में डाक व तार कर्मचारी

४०९. **श्री एच० एन० मुकर्जी : संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और उसके उपनगरों की जनसंख्या में १९४७ के बाद हुई वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए क्या डाकियों, तार चपरासियों, पैकरों तथा निम्न श्रेणी के अन्य कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो तो यह वृद्धि कितनी हुई है और जनसंख्या में हुई वृद्धि से इसका अनुपात कितना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) पहली अगस्त १९४७ से पहली अगस्त १९५२ के काल में डाकियों की संख्या १३७७ से १७५०, तार चपरासियों की ५५ से ९०, पैकरों की ५८७ से ६३० और निम्न श्रेणी के अन्य कर्मचारियों की २०४ से ३५७ हो गई है। चूंकि इन तारीखों के बारे में जनसंख्या के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है अतः प्रश्न के अन्तिम भाग में मांगी गई सूचना इकट्ठी नहीं की जा सकी।

अंक ६

संख्या ३

शनिवार,

६ दिसम्बर, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

———:o:———

भाग २——प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

स्थगन प्रस्ताव —

निर्मला कालेज दिल्ली के छात्रों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध मूलवंशीय विभेद [पृष्ठ भाग १३३९——१३४०]

बन्धबनगर बस्ती में शरणार्थियों को बेदखली की सूचनाएं [पृष्ठ भाग १३४०——१३४७]

तामिलनाड क्षेत्र में आंधी [पृष्ठ भाग १३४७——१३४९]

सदन पटल पर रखे गये पत्र —

(१) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी का १९५०-५१ के लिये संतुलन-पत्र [पृष्ठ भाग १३५०]

(मूल्य ६ आने)

(२) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी का
१९५०-५१ के लिये लाभ-हानि लेखा [पृष्ठ भाग १३५०]
(३) १९५०-५१ के लेखाओं पर दिल्ली परिवहन
व्यवस्था के महाप्रबन्धक की वित्तीय समीक्षा [पृष्ठ भाग १३५०]
(४) १९५०-५१ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन
प्राधिकारी के वार्षिक लेखे पर लेखा-परीक्षाप्रतिवेदन [पृष्ठ भाग १३५०]
पाकिस्तान से आव्रजन (नियंत्रण) निरसन विधेयक—
पारित हुआ [पृष्ठ भाग १३५०—१४०८]
लोहा तथा इस्पात समवायों का एकीकरण विधेयक—
विचार प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त— [पृष्ठ भाग १४०८—१४२४]

लोक सभा

शनिवार ६ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

निर्मला कालेज दिल्ली के छात्रों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध मूलवंशीय विभेद

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना आई है। श्री श्रीकान्तन नायर का निम्न प्रस्ताव है—इसी प्रश्न को श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी उठाया है:

"निर्मला कालेज दिल्ली के अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता वाले छात्रों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध मूलवंश के आधार पर विभेद करने के कारण और कालेज यूनियन के प्रारम्भिक समारोह की मंजूरी देने से इंकार करने के कारण और अहिंसक सत्याग्रहियों पर हिंसात्मक आक्रमण के कारण, कालेज के छात्रों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति।"

इस अमरीकी मिशन के काले ज पर सरकार का क्या नियन्त्रण है?

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा): यह समस्त भारतीय राष्ट्र का अपमान है। वह महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से संयुक्त है। उसे अर्थ सहायता भी मिलती है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने इस विषय में एक अल्प-सूचना प्रश्न भेजा है।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): मुझे अभी तो क्वश्चन नहीं मिला है। लेकिन गवर्नमेंट तैयार है कि अगर क्वश्चन मिल जाये तो मंडे को वह जवाब दे दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में इससे प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। सोमवार को माननीय मन्त्री सब तथ्य संकलित करके इसका और अल्प-सूचना प्रश्न का भी उत्तर दे देंगे। इस स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

बन्धबनगर बस्ती में शरणार्थियों को बेदखली की सूचनाएं

उपाध्यक्ष महोदय: दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का है:

"कि यह सदन एक आशुसम्पाद्य सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिये कार्य स्थगित करे जो इस कारण उत्पन्न

[उपाध्यक्ष महोदय]

हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के लिये भूमि-अधिग्रहण करने के लिये बन्धबनगर बस्ती, दमदम, पश्चिमी बंगाल के २०० शरणार्थी परिवारों को बेदखली की सूचना दी गई है और उन्हें बेदखली के विरुद्ध अपील करने के लिये पर्याप्त अवसर भी नहीं दिया गया है।"

बेदखली की सूचना किसने दी है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सूचना केन्द्रीय सरकार की ओर से सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् ज़िला दंडाधीश ने दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिला दंडाधीश तो प्रान्तीय सरकार का पदाधिकारी है।

श्री के० के० बसु (डायमंड हारबर) : प्रान्तीय सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : अधिग्रहण केन्द्रीय सरकार की ओर से किया जा रहा है। वह भूमि सेना विभाग को चाहिये, परन्तु २४ परगना के जिला दंडाधीश ने वास्तविक कार्यवाही की है। वह सक्षम पदाधिकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री।

पुनर्वास मन्त्री (श्री ए० पी० जैन) : डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जो स्थिति बताई है वह ठीक प्रतीत होती है। इससे सम्बद्ध अधिनियम की धारा ३ में लिखा है—"जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी सम्पत्ति की किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये, जो संघ का प्रयोजन हो, आवश्यकता हो या होने की सम्भावना.....।" अब अधिनियम में सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा की गई है "कोई व्यक्ति या प्राधिकारी जिसे सभी कृत्य करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने शासकीय सूचनापत्र में प्राधिकृत किया हो.....।" इस बात के विषय में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मैं शासकीय सूत्रों से तथ्यों का पता नहीं लगा सका हूं। माननीय महिला सदस्य ने सूचना में जो तथ्य बताये हैं और उन्होंने कल मुझे जो अनेक पत्र दिये हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि पश्चिमी बंगाल में दमदम के निकट कोई जमीन है जिसमें कुछ सौ विस्थापित परिवार अप्राधिकृत रूप से रह रहे हैं। २४-परगना के कलक्टर ने अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा ३ के अधीन सूचना जारी कर दी। उस सूचना से उस सम्पत्ति के स्वामी को या जो उस पर काबिज है उसे कहा गया कि वह सूचना प्राप्त होने के १५ दिन के भीतर ही कारण बताये कि सम्पत्ति का अधिग्रहण क्यों न किया जाये। उस सूचना की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जिला दंडाधीश ने धारा ३ (२) तथा धारा ४ के अधीन दूसरी सूचना इस आशय की निकाली कि सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया जाये।

इस बात पर विवाद है कि पहली सूचना बन्धबनगर बस्ती के मंत्री को पहुंची या नहीं। यदि यह मान लिया जाये कि मन्त्री को कोई सूचना नहीं मिली और २४-परगना के कलक्टर ने अधिनियम की धारा ३ (२) तथा ४ के अधीन अधिग्रहण का आदेश दे दिया है तो प्रश्न यह है कि इसका क्या उपचार है और क्या यह हाल ही की घटना है। धारा ३ (२) तथा ४ के अधीन सूचना तो १५ नवम्बर १९५२ को दी गई थी जिसे २१ दिन बीत चुके हैं। अब, जो भी कुछ हुआ वह १५ नवम्बर को हुआ और इसलिये माननीय महिला सदस्य का यह कथन ठीक नहीं है कि यह हाल ही की घटना है। वास्तव में माननीय महिला सदस्य ने कुछ अति कर दी है। वे कहती हैं कि स्थगन प्रस्ताव इसलिये आवश्यक हो गया है कि इन व्यक्तियों को अपील करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया

गया है। स्थगन प्रस्ताव के पश्चात् जो नोट दिया गया है उसमें वे कहती हैं कि शरणार्थियों को पश्चिमी बंगाल सरकार या पुनर्वास मन्त्रालय कोई भी यह नहीं बता सका है कि अपीलीय प्राधिकारी कौन है। अधिनियम की धारा १० में स्पष्ट लिखा है कि अपील २१ दिन के भीतर ही केन्द्रीय सरकार से की जा सकती है। यदि महिला सदस्य उसे पढ़ने का कष्ट करतीं तो कठिनाई उत्पन्न ही नहीं होती।

वह २१ दिन की कालावधि आज समाप्त हो रही है। मन्त्री को शिकायत थी तो वे केन्द्रीय सरकार से अपील कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया।

डा० एस० पी० मुखर्जी: उन्होंने अपील की है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय को अभिवेदन भेज दिया गया है।

श्री ए० पी० जैन : यदि वह अपील लम्बित है तो केन्द्रीय सरकार उस पर विनिश्चय करेगी। स्थगन प्रस्ताव का तो कोई आधार नहीं बन पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या अपीलीय प्राधिकारी, प्रतिरक्षा मन्त्री उस कार्यवाही को रोक सकते हैं, उस आदेश को निलम्बित कर सकते हैं?

श्री ए० पी० जैन: मेरे विचार में उन्हें ऐसा करने से रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है। वास्तव में आज कोई बेदखली नहीं की जा रही है। १५ नवम्बर को उन्हें सूचना दी गई थी कि ३० दिन में जमीन खाली कर दें। सूचना १५ दिसम्बर को समाप्त होगी। यदि स्थगन प्रस्ताव का कारण सूचना देना था तो वह १५ नवम्बर को दी गई थी, यदि उसका कारण बेदखली है तो वह अभी हुई नहीं है। यह स्थगन प्रस्ताव अच्छा विज्ञापन हो सकता है परन्तु इसमें कोई सार नहीं है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : पता नहीं इसमें कटाक्ष किस लिये है। माननीय मन्त्री इसे विज्ञापन बताते हैं। २५०० व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ता है और उन्होंने अभ्यावेदन किया है कि इसी बस्ती को अनुमोदित बस्ती स्वीकार किया जाये और उन्हें वहीं रहने दिया जाये।

श्री० एस० पी० जैन : माननीय महिला सदस्य ने मुझे आकर कुछ पत्र दिये थे। मैंने पश्चिमी बंगाल सरकार से पूछा है। मैं ने उन्हें बताया कि मुझे उनसे तथ्यों का पता न लगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। और आज स्थगन प्रस्ताव आ गया है जो केवल विज्ञापन ही तो है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य के लिये ऐसा कहना उचित नहीं है। उससे बेकार गर्मी पैदा होती है। माननीय सदस्य माननीय मन्त्री से मिली होंगी परन्तु उन्हें सदन में आने का अधिकार है। २०० परिवारों का प्रश्न है, लगभग २००० व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। माननीय मन्त्री सदन के अभिकर्ता ही हैं उन्हें यहां किसी के यहां आने को प्रचार नहीं बताना चाहिये।

श्री ए० पी० जैन: जब माननीय सदस्या मेरे पास आईं, तो मैंने कहा "मने पश्चिमी बंगाल सरकार से पूछा है और इस समय मैं और कुछ नहीं कर सकता।" तब फिर स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न कहां उठता है जबकि माननीय सदस्या को पता है कि प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी माननीय सदस्य को मन्त्री के पास आने का अधिकार है, पर क्या उन्हें इससे सदन में आने का अधिकार नहीं रहता?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मेरे सहयोगी यही कहना चाहते थे कि इसका पर्याप्त प्रकाशन हो गया है। विज्ञापन प्रकाशन को ही कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री का केवल प्रकाशन से ही आशय था। परन्तु 'विज्ञापन' शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: माननीय मन्त्री जी ने जो धारा पढ़ कर सुनाई है उससे भी हमें यह पता नहीं लग सका है कि अपीलीय प्राधिकारी कौन है। अपील की अन्तिम तारीख ७ दिसम्बर है।

श्री ए० पी० जैन: अपीलीय प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार है। अपील उपयुक्त मन्त्रालय को चली जायेगी। प्रायः अधिग्रहण का सम्बन्ध भवन-व्यवस्था तथा संभरण मन्त्रालय से है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: (गुड़गांव): प्रतिरक्षा सचिव के पास अपील की जा सकती है।

डा० एस० पी० मुखर्जी: वे लोग इस ज़मीन पर १९५० से थे। वह अविकसित क्षेत्र था और एक गैर-सरकारी व्यक्ति का है। उन्होंने जंगल काट कर सड़कें बनाईं, अस्थायी मकान बनाये, एक नलकूप बनाया और एक पाठशाला भी खोली। अब उन्हें निकलने के लिये कहा जा रहा है। पुनर्वास मन्त्रालय की नीति ऐसी बस्तियों को प्रोत्साहन देने की है। अतः उनकी बस्ती को अनुमोदित बस्ती स्वीकार किया जाये। चाहे यह स्थगन प्रस्ताव नियमित हो या न हो, माननीय मन्त्रीजी को सहानुभति रखनी चाहिये और प्रतिरक्षा मन्त्रालय से कहना चाहिये ताकि आदेश वापस ले लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: अधिग्रहण किस के कहने से किया गया है?

श्री ए० पी० जैन: मुझे तो पता नहीं है, पर सदन में जो कुछ कहा गया है उससे पता लगता है कि अधिग्रहण प्रतिरक्षा मन्त्रालय के कहने पर किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या वहां नल-कूप खोदे गये हैं और पाठशाला आदि सुविधायें प्रदान की गई हैं?

श्री ए० पी० जैन: मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। परन्तु ऐसी अप्राधिकृत बस्तियों में सरकार कोई पाठशाला नहीं बनाती।

उपाध्यक्ष महोदय: जब पूरे तथ्य पता नहीं हैं तो मेरे विचार में यह मामला सोमवार तक स्थगित रहना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री उस दिन सब बातों का स्पष्टीकरण कर देंगे। तभी मैं निश्चय करूंगा कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाये या नहीं। मुझे विश्वास है कि जब तक यह विषय संसद् के समक्ष है तब तक सरकार जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करेगी।

श्री ए० पी० जैन: मैं आपकी अनुमति से स्थिति का स्पष्टीकरण कर देता हूं। इस मन्त्रालय की नीति यह है कि जब भी किसी जमीन पर अप्राधिकृत रूप में लोग बसे हों, तो यदि वह कुछ वित्तीय मंजूरी के अन्तर्गत हो, तो हम उन बस्तियों को विनियमित कर देते हैं। यदि ऐसा करना निश्चित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत न होने के कारण या किसी अन्य कारण से सम्भव न हो तो हम उन्हें वैकल्पिक स्थान देते हैं। इस मामले में मुझे पता नहीं है कि निकटवर्ती क्षेत्र में कोई खाली जमीन है या नहीं और प्रतिरक्षा मन्त्रालय को इस जमीन की ही अपेक्षा क्यों है। यदि शरणार्थियों को निकाला जायेगा तो हम उन्हें वैकल्पिक स्थान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि यह कार्य उनके हितों के विरुद्ध है तो माननीय मन्त्री को उन्हें निकालने से पहले ही वैकल्पिक स्थान देना चाहिये, जब तक आपात की स्थिति ही न हो और उस भूमि की प्रतिरक्षा के लिये आवश्यकता न हो। इन सब मामलों पर जानकारी प्राप्त करके माननीय मन्त्री स्पष्टीकरण

करेंगे। अतः यह प्रस्ताव सोमवार तक के लिये स्थगित रहेगा।

तामिलनाड क्षेत्र में आंधी

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास कुमारी ऐनी मेसकरीन, श्री मुनिस्वामी, श्री वीर स्वामी और श्री आनन्दन नम्बियार से एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना आई है। उस प्रस्ताव का उद्देश्य एक आशुसम्पाद्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करना है जो उस क्षति के विषय में है जो ३० नवम्बर १९५२ को तामिलनाड में अपूर्व आंधी के कारण हुई जिससे कि करोड़ों रुपये की सम्पत्ति, सहस्रों जीवन तथा गृह नष्ट हो गये और लोगों को अवर्णनीय कष्ट हुआ विशेषतः दक्षिणी अर्काट, तंजोर और त्रिचनापल्ली जिलों में। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह केन्द्रीय विषय कैसे है?

श्री नम्बियार (मयूरम्): ६ दिसम्बर १९५२ के "दिल्ली एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है कि तंजोर जिले में ३० नवम्बर को जो आंधी आई उसमें कलक्टर के प्रतिवेदन के अनुसार १३४ व्यक्तियों की प्राण हानि हुई है, १००० ढोर मर गये हैं। केन्द्रीय सरकार पर भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि संचार साधनों को क्षति पहुंची है। गाड़ियां ठीक नहीं चल रही हैं और केन्द्रीय सरकार के कई भवनों पर भी असर पड़ा है।

नागापत्तिनम को सबसे अधिक हानि पहुंची है। वहां हस्पताल में १० फट पानी है। वहाँ पत्तन पर भी बुरा हाल है। करैकल में ४२ लोग मर गये हैं। त्रीचि में भी भारी हानि हुई है। अतः तत्काल सहायता दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: में जानना चाहता हूं कि इसमें जल्दी क्या है; गम्भीरता क्या है; और तीसरे केन्द्रीय सरकार की इसमें क्या अभिरुचि है। यह तो राज्य का विषय है। परन्तु सदन यह जानना चाहता है कि केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या किया है। ऐसी महान् आपत्ति का सम्पूर्ण राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है। यह आसाम भूकम्प के समान मामला है। शायद राज्य सरकार पूरा अनुतोष न कर सके।

गृह-कार्य उपमन्त्री (श्री दातार): मैं भारत सरकार की ओर से एक विवरण देना चाहता हूं। हमें इस प्रस्ताव की सूचना आज प्रातः १० बजे ही मिली है। हमारे पास अभी मद्रास सरकार से कोई समाचार नहीं आया है फिर भी इस सूचना के प्राप्त होते ही हमने मद्रास सरकार से तार द्वारा सम्बन्ध जोड़ा है। पूरा विवरण आने में तो कुछ समय लगेगा ही तबतक यह विषय कृपया स्थगित रहे। अगले सप्ताह किसी दिन सदन पटल पर एक वक्तव्य रख दिया जायेगा। सरकार तब यह भी बतायेगी कि वह सम्बद्ध व्यक्तियों को क्या सहायता देने जा रही है। इस बीच, भारत सरकार की ओर से मैं केवल भारत सरकार की ही नहीं वरन् इस सभा की पूर्ण सहानुभूति अभिव्यक्त करता हूं कि बहुत से लोगों को विविध जिलों में, दक्षिण अर्काट, तंजोर, त्रिचनापल्ली और सलेम में अपूर्व कठिनाइयां सहन करनी पड़ी हैं। यह विषय कृपया स्थगित रखा जाये।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण—पूर्व): क्या सरकार ने इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिलने पर ही मद्रास सरकार से पूछा है कि क्या आपत्ति आ गई है? ये घटनायें तो ३० नवम्बर तथा १ दिसम्बर की हैं। समाचार पत्रों में भी उनकी बहुत चर्चा हुई है। क्या भारत सरकार को मद्रास सरकार से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई?

श्री दातार: मैं उन्हें तथा सभा को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पूछ-ताछ आरम्भ कर दी है और इस सूचना के प्राप्त होने के पश्चात् मद्रास सरकार को तार

[श्री दातार]

भेजा गया है। दूसरी बात सरकार के भी लिये पूरा विवरण प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि संचार साधनों में भारी बाधा पड़ गई है। अतः भारत सरकार सभी सामग्री सदन के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र रखेगी, और मद्रास सरकार की सहायता करने में भी, जो हमारे आभारों से संगत हो, सरकार को बहुत प्रसन्नता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या अब मैं संचार उपमन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या वे संचार की स्थिति के बारे म कुछ कहना चाहते हैं?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर): जहां तक संचार का सम्बन्ध है हमने स्थिति को सम्भालने के लिये तत्काल कार्यवाही की है। सम्बद्ध डी०ई० टी०को मद्रास से विमान द्वारा त्रिचनापल्ली भेजा गया और त्रिचनापल्ली तथा कोयम्बतूर एवं अन्य स्थानों के बीच संचार साधन पहली तारीख को ही पुनः स्थापित कर दिये गये। मेरे विचार में अब तक सभी बड़े संचार-साधन ठीक हो गये हैं और जो छोटे भाग रह गये हैं उन्हें ठीक किया जा रहा है।

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन): इस सम्बन्ध में पत्रों के समाचारों से बहुत उद्धरण दिये गये हैं। इन समाचारों से ही पता लगता है कि संचार-साधन ठप्प हो गये हैं और समस्त जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है। हमें दक्षिण रेलवे से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। हमें पूरे तथ्य ज्ञात नहीं हैं। ज्यों ही जानकारी मिलगी हम उसे सभा के समक्ष रख देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: तीनों मन्त्रालयों की ओर से माननीय मन्त्री आगामी सप्ताह पूरी स्थिति बतायगे। मामला मंगलवार तक के लिये स्थगित रहेगा।

सदन पटल पर रखे गय पत्र

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी का १९५०-५१ के लिये संतुलन-पत्र

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी अधिनियम, १९५० की धारा ३८ की उपधारा के अधीन सदन-पटल पर निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति रखता हूं:

(१) १९५०–५१ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी का संतुलन-पत्र तथा उसकी पूंजी का विवरण;

(२) १९५०–५१ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी का लाभ-हानि लेखा;

(३) १९५०–५१ के लेखाओं पर दिल्ली परिवहन व्यवस्था के महा-प्रबन्धक की वित्तीय समीक्षा; और

(४) १९५०–५१ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के वार्षिक लेखे पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन और दिल्ली परिवहन व्यवस्था के महा-प्रबन्धक का उत्तर और खाद्य, पुनर्वास तथा संभरण के महा लेखापति का अनुपूरक प्रतिवदन। [पुस्तकालय में रख गये। देखिये संख्या पी –८५/५२]

पाकिस्तान से आव्रजन (नयंत्रण) निरसन विधेयक ––समाप्त

उपाध्यक्ष महोदय: सदन श्री जे० के० भोंसले द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अब अग्रेतर विचार करेगा:

"कि पाकिस्तान के आव्रजन (नियन्त्रण) अधिनियम १९४९ के निरसन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल पश्चिमी कटक): श्रीमान् कल में पूर्वी बंगाल से

कलकत्ता के समीपस्थ क्षेत्रों में शरणार्थियों के आने के कारण वहां के लोगों की भावना के विषय में कह रहा था। मैं उड़ीसा का हूं परन्तु मेरा बंगालियों से सम्बन्ध है अतः मुझे उनके विषय में समाचार मिलते रहते हैं।

शरणार्थी समस्या के विषय में मेरा ख्याल है कि बंगाल की उपेक्षा की जा रही है, यद्यपि बंगाल--विशेषतः पूर्वी बंगाल के लोग स्वतन्त्रता के युद्ध में बहुत आगे थे।

नेहरू-लियाकत करार के समय से गत तीन वर्षों में पाकिस्तान ने एक सुव्यवस्थित षडयन्त्र चलाया है। संचार मन्त्री ने कहा है कि डाक बीमा पालिसियों के बारे में १९४९ म पाकिस्तान को एक सुझाव भेजा गया था परन्तु अभी तक उत्तर नहीं आया है। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के अनुरोध के बावजूद भी सरकार ने पाकिस्तान के साथ दृढ़ता से व्यवहार नहीं किया है।

मैं सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं। लाखों शरणार्थियों का पुनःस्थापन करना इस निर्धन देश के लिये सम्भव नहीं है। ठीक है कि हम पुनर्वास पर २५ लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, जबकि इस कार्य के लिये २५ करोड़ रुपये भी कम होंगें। यह शरणार्थी अनुभव करते हैं कि यहां उनका स्वागत नहीं होता, वे भाड़ से निकल कर भट्टी में गिर रहे हैं, तो वे मुस्लिम बन जाते हैं। और नया मुसलमान बहुत कट्टर होता है अतः वे काला पहाड़ के समान बन जायेंगे जिसने अफगान शासनकाल में उड़ीसा जाकर हिन्दू प्रतिमाओं को भंग किया तथा हिन्दू संस्कृति का विध्वंस किया। काला पहाड़ के समान वे सहस्रों नये मुसलमान यहां आकर पाकिस्तान बनाना चाहेंगे और आपको उस समय इस समस्या के हल करने के लिये शस्त्र उठाने होंगे।

अतः मैं सदन से और सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार पर जोर डालें कि वह दृढ़ कार्यवाही करे। मैं युद्ध नहीं चाहता। युद्ध के बिना भी अन्य उपाय हो सकते हैं। सरकार को चाहिये कि पाकिस्तान की शरारत को बन्द करे। चेम्बरलेन ने हिटलर की शरारत को नहीं रोका था, जिसका परिणाम दूसरा महायुद्ध हुआ। चाहे आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइये--चाहे कुछ और करिये, अन्यथा सीमा पार से किसी दिन काले पहाड़ आकर हिन्दुस्तान को पाकिस्तान बनाने का प्रयत्न करेंगे। तब प्रत्येक हिन्दू उठ खड़ा होगा और कहेगा "तुष्टीकरण से कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा; अब शस्त्र उठाइये, केवल शस्त्र, कुछ और नहीं।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, यह छोटा सा बिल है, अगर इसके क्लाजेज को देख तो यह समझ में नहीं आता कि इसका क्रिटिसिज्म (आलोचना) क्यों किया जा रहा है। अगर नेहरू-लियाकत पैक्ट का वह हिस्सा जो फ्रीडम आफ़ मूवमेंट (संचरण की स्वतन्त्रता) के मुताल्लिक है उसे पासपोर्ट सिस्टम ने खत्म कर दिया है तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई चारा नहीं है सिवा इसके कि वह ऐसा ऐक्ट बनावे। अगर गवर्नमेंट इस ऐक्ट को पास नहीं करती तो इसका नतीजा यह होगा कि एक तरफ़ तो पासपोर्ट सिस्टम रहेगा और दूसरी तरफ़ परमिट सिस्टम (अनुज्ञापत्र प्रणाली) रहेगा और इससे लोगों को दिक्कत होगी। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है शायद ही कोई मेम्बर साहब इस हाउस में होंगे जो इस बिल की इस बिना पर मुखालिफ़त करते होंगे। मैं तो समझता हूं कि एक तरफ़ से तो यह बिल मुफ़ीद भी है। मैं इस बिल का एक तरह से स्वागत भी करता हूं। हम चाहते थ कि वेस्टर्न पाकिस्तान से लोग हमारे यहां न आवें और मुल्क के दूसरे हिस्सों में न जायें। पिछली दफ़ा जब लड़ाई होने का डर था तो सकड़ों स्पाईज

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

(गुप्तचर) हिन्दुस्तान में वारिद हुए। क्योंकि वह लड़ाई के इमकान का ज़माना था इसलिये गवर्नमेंट ने उनके साथ सख्त कार्यवाही की। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के किसी हिस्से से ऐसे वक्त में हमारे यहां आदमी आवें। इसलिये जहां तक वैस्टर्न पाकिस्तान का ताल्लुक है हम उसके लिये तो पासपोर्ट सिस्टम हटा कर परमिट सिस्टम करने का ख्याल भी नहीं कर सकते हैं। दिक्कत सिर्फ़ ईस्टर्न पाकिस्तान और वैस्टर्न बंगाल की है और वह दिक्कत दरअसल बहुत बड़ी है। यह जो स्पीचेज़ हम रोज़मर्रा सुनते हैं इनमें दरअसल बड़ी भारी सचाई है जिसको हम दबा नहीं सकते। खुसूसन जबकि मैं ९० लाख आदमियों का ख़याल करता हूं जो कि हमारे खून का खून और हमारे चमड़े का चमड़ा हैं, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो मेरा दिल हिल जाता है जब हम डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी साहब की खून को हरकत देने वाली और दिल को हिला देने वाली तकरीरों को सुनते हैं और जब हम सुनते हैं कि उन औरतों के साथ जो यहां आना चाहती थीं कैसा सलूक किया गया और जो हमारे भाई ईस्टर्न पाकिस्तान में हैं उनके साथ कैसा सलूक होता है तो हमको बहुत तकलीफ़ होती है। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बर साहिबान और मिनिस्टर साहिबान और तरह के ख्यालात रखते हैं यह कहना दुरुस्त नहीं होगा। मैं जानता हूं कि एक भी मेम्बर इस हाउस में ऐसा नहीं होगा, खुसूसन हमारे लीडर साहिबान, जो इस बात को महसूस न करता हो। साथ ही साथ मैं यह भी अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमको अजीत प्रसाद जी से अपील करने की जरूरत नही है कि वह मेहरबानी करके इस तरफ़ ध्यान दें। मैं जानता हूं कि श्री अजीत प्रसाद जी ने रिफ्यूजीज़ के वास्ते क्या किया है। अभी श्री नारंगधर दास साहब ने फ़रमाया कि हमारे रिसोर्सेज़ थोड़े हैं और हम अपने रिसोर्सेज़ से ही काम ले सकते हैं। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया रिफ्यूजीज़ के वास्ते बहुत कुछ कर रही है लेकिन हम पूरे तौर से उन को रिहैबिलिटेट नहीं कर पाये हैं। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, लेकिन गवर्नमेंट के ज़राये कम हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि इन ९० लाख आदमियों को अगर वह यहां आना चाहें तो किसी तरह की मुश्किल न पड़े। जो रिफ्यूजीज़ उधर से यहां आते हैं उन का ख़ातिरख्वाह इन्तिजाम नहीं हो पाता है और उनको ऐसा महसूस होता है कि वह भट्टी से आग में आ गये हों। और उनको बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने वह जमाना देखा है कि जब पाकिस्तान से हिन्दू लोग स्यालदा स्टेशन पर आते थे और वह जो नज़ारा रिफ्यूजी कैम्प में देखा था उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। उस वक्त आदमियों को इस तरह रखा जाता था कि लोग पैर फ़ैला कर सो भी नहीं सकते थे। मैं जानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने उनके लिये क्या क्या कार्यवाही की है। हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं उन से ज्यादा हम क्या कर सकत हैं। इसलिये मैं लाला अचिंतराम जी की तज़वीज़ को बहुत ज़ोर से सपोट करता हूं। मैं निहायत अदब से अजीतप्रसाद जी की खिदमत में और गवर्नमेंट की खितमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि उनके अमेंडमेंट को कबूल कर लेना चाहिये। अगर वह इसको लीगल्ली कबूल न कर सकें तो उनको पूरे तौर पर यह ऐश्योरेंस (आश्वासन) देना चाहिये कि वह उन ९० लाख आदमियों के पास यह मैसेज़ (message) भेज देंगे कि जिस तरह हिन्दुस्तान हमारा है उसी तरह उनका भी है। जिस तरह हम हिन्दुस्तान के सिटीज़न (नाग--

रिफ्यूजी) हैं उसी तरह उनको भी यहां का सिटीज़न होने का हक है। रिफ्यूजीज़ जो यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान को आज़ादी उनकी कब्रों पर मिली है तो वह ठीक ही कहते हैं। इस लिये इन रिफ्यूजीज़ के साथ जितना अच्छा भी सलूक हम कर सकते हैं हमको करना चाहिये। जिस वक्त यह झगड़ा हुआ और पार्टीशन हुआ उस वक्त गवर्नमेंट ने बड़ा भारी ऐश्योरेंस दिया था कि रिफ्यूजीज़ के साथ अच्छा सलूक किया जायगा और दोनों मुल्कों में माइनारिटीज सेफ़ रहेंगी। मुझे याद पड़ता है कि चटर्जी साहब ने एक दफ़ा यह सुनाया था कि महात्मा जी ने यह फ़रमाया था कि अगर किसी वक्त पाकिस्तान के साथ लड़ाई मुमकिन व जाईज़ हुई तो वह इस वास्ते होगी कि पाकिस्तान ने माइनोरिटीज़ के साथ इंसाफ़ नहीं किया और उनको उनके हकूक नहीं दिये गये। इसी बिना पर वह लड़ाई जस्टीफ़ायेबिल होगी।

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम सब लोग लड़ाई के खिलाफ़ हैं, लड़ाई से डरते हैं। लेकिन इन ९० लाख आदमियों को इस तरह से इस तरह की ज़िन्दगी बसर करने के वास्ते मजबूर नहीं किया जा सकता। यहां आने को जगह हो या न हो वहां उनको इस तरह की तकलीफ़ में नहीं देखा जा सकता। इस वास्ते जहां तक हम लोगों का सवाल है मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमको उन्हें यह पैग़ाम पहुंचा देना चाहिये कि यहां हिन्दुस्तान में जब भी वे आवेंगे उन को यहां वैलकम किया जायेगा। जो कुछ रूखा सूखा हमारे पास है उसमें हम उन को हिस्सेदार बनायेंगे। इस वास्ते इन कायदों की सख्तियों को उन पर लागू मत कीजिये। इस हिन्दुस्तान में आने का उन का हक है। उनका हक है कि वह यहां आवें और उनको यहां वैलकम किया जाये। मुझे उम्मीद है कि यह कहने में गवर्नमेंट को कोई ताम्मुल नहीं होगा और ऐसा ऐश्योरेंस वह इन लोगों को ज़रूर देगी

लेकिन ताहम मैं यह मानता हूं कि यह एश्योरेंस इस मसले का कोई हल नहीं है। पाकिस्तान ने यह तय किया हुआ है कि वहां पर वह हिन्दुओं को नहीं रहने देगा। यह पाकिस्तान का कल्ट है और यह इतना सही है कि जो लोग यह समझते हैं कि शायद कुछ अर्से के बाद पाकिस्तान की अकल ठीक हो जाये और हिन्दुस्तान उस को ठीक कर सके, यह बिल्कुल ग़लत ख्याल है। पाकिस्तान तभी चुप होगा जब वह वहां से ऐसे तमाम हिन्दुओं को निकाल देगा जिनको वह समझता है कि वे कभी भी उसके निज़ाम में तकलीफ दे सकेंगे या दखल दे सकेंगे। हम ने तो कल यह भी सुना कि कुछ मुसलमानों को भी पाकिस्तान हिन्दुस्तान से नहीं आने देना चाहता। जिनके लिये वह समझता है कि वह शायद उसके निज़ाम में दखल दे सकें। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो सवालात हैं जो हमारे सामने आते हैं ये इतने तकलीफदेह हैं कि इनका हल कुछ न कुछ होना चाहिये। कल ही हमने सुना, हमारे सरदार हुक्म सिंह साहब ने फरमाया कि हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल इम्पोटेंट (नपुंसक) है, हैल्पलैस (असहाय) है। उन्होंने अपना यह ख्याल ज़ाहिर किया कि इस हैल्पलैसनैस से हम दुखी हैं। लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि उनका ऐसा ख्याल कि हमारी गवर्नमेंट इम्पोटेंट है, दुरुस्त नहीं है। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल पोटेंट है और मैं मिसाल देता हूं कि किस तरह से वह पोटेंट है। हमारी गवर्नमेंट, मैं मानता हूं, पिनप्रिक्स का जवाब पिनप्रिक्स से नहीं देना चाहती। छोटी छोटी चीज़ों का जवाब वह धमकियों से नहीं देना चाहती लेकिन आपको मालूम होगा कि जिस वक्त काश्मीर के हमले का डर हुआ, जिस वक्त ३० हज़ार

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

फौज़ मेरे ज़िले में गवर्नमेंट ने देश के बचाव के लिये भेजी थीं, डर था कि अमृतसर से लोग चले जावेंगे, अमृतसर के बार्डर से लोग जाने भी लगे थे, उस वक्त गवर्नमेंट ने महसूस किया और पं० नेहरू ने एक ही तकरीर की थी जिसने सब मामला साफ कर दिया। हमारे दोस्त पंडित नेहरू को बुरे अल्फ़ाज़ में याद करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उनकी जात व शान के खिलाफ एक एक लफ्ज़ जो कहा जाता है वह सिर्फ कांग्रेसमैन को ही नहीं बल्कि सब देशवासियों को तकलीफदेह होता है। तो उन्होंने मुक्के का जवाब मुक्के से नहीं दिया लेकिन चन्द लफ्ज़ कहने से ही अमृतसर की भगदड़ को दूर कर दिया। जो तकरीरें पाकिस्तान में होती थीं कि यहां ऐरोप्लेन से रेड (raid) होगी और यह होगा, वह होगा और रात दिन काश्मीर की लड़ाई की जो तैयारियां चल रही थीं उनको उन्होंने एक दम खत्म कर दिया। मैं सरदार साहब से पूछना चाहता हूं कि वह यह बतायें कि क्या यह गवर्नमेंट पोटेंट है या इम्पोटेंट है, जिसके प्राइम मिनिस्टर की एक ही तकरीर से सारा लड़ाई का बुखार चला गया। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट पोटेंट है और बिल्कुल पोटेंट है और जब मौका आवेगा तो यह मालूम हो जायेगा :

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मौका कब आवेगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे दोस्त पूछते हैं कि मौका कब आवेगा। मैं इस बारे में यह साफ कर देना चाहता हूं कि इस मसले में कोई भी शख्स पार्टीजन एटीट्यड नहीं ले सकता है। अगर किसी शख्स को कहीं तकलीफ है, अगर पाकिस्तान में इन ९० लाख आदमियों को तकलीफ है, तो सारे इस देश के लोग इस तकलीफ को महसूस करते हैं जैसे उधर बैठे हुए मैम्बर लोग इसको महसूस करते हैं उसी तरह से हम लोग भी इधर बैठे हुए महसूस करते हैं। जिस तरह से डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी को यह तकलीफ मालूम होती है उसी तरह से हम भी इस तकलीफ को महसूस करते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : यह तो सेंटीमेंटस् कहने के लिये बहुत अच्छे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अदब से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आज वहां पर पाकिस्तान ने फलानी चीज़ बन्द कर दी तो यहां से कोई और चीज़ बन्द हो जाये, यह इस सवाल का इलाज नहीं है। यह चीज़ मुमकिन नहीं है कि इस तरह से कोई मसला हल हो जाये जिससे कि उसका काज़ एंड इफैक्ट दिखाई दे सके। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्या कभी आपने नेशन्स की लाइफ में या प्राइवेट लाइफ में इस तरह की चीजें देखीं हैं कि बटन दबाया और रोशनी हो गई। आखिर यह चीज़ें हैं जो कुछ अर्से से चली आ रही हैं। आप लोग आम तौर पर यह देखते हैं कि पाकिस्तान हर एक मामले में हमको दुःख देता है और चाहे जो ज्यादतियां करता है और यहां से जवाब नहीं होता। क्या आप चाहते हैं कि यहां पर जो लोग कार्यवाही करते हैं उसी का हम ढिंढोरा पीटें। सब तरह की बातें होती हैं यहां भी होती हैं और वहां भी होती हैं। यह कहना कि यहां कुछ नहीं होता है, कतई दुरुस्त नहीं है। लेकिन ताहम हम भी उसी तरह से महसूस करते है जिस तरह से कि हमारे दूसरे भाई महसूस करते हैं। लेकिन क्या इलाज किया जाय, क्या जवाब हम दे सकते हैं। इस के बारे में इकानामिक सैंक्शन्स के सिवा मैं ने कुछ नहीं सुना। चन्द दोस्त यह कहते हैं। हमारे कम्युनिस्ट भाई तो कहते हैं कि वहां की फ़िज़ा भी अच्छी हो रही है। वहां भी लोग मानते हैं कि इस तरह की

कार्यवाही नहीं की जाय। मैं इन सारी तकरीरों का इन भावनाओं का एहतराम तो करता हूं, पर मुझे यकीन नहीं है कि आज पाकिस्तान उस तरफ चल रहा है जिससे कि हमारे इस मामले का हल हो जायेगा। मैं यह भी यकीन नहीं करता कि इकानामिक सैंक्शन्स जो हमारे दोस्त बताते हैं वे कारगर होंगे और उनसे पाकिस्तान पर ऐसा असर पड़ेगा कि वह अपना रवैया तबदील कर लेगा अगर यह यकीन होता तो मैं गवर्नमेंट से कहता कि वह इकानामिक सैंक्शन्स को लागू कर दे। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इन चीज़ों से कोई असर हो सकता है।

इस के अलावा अभी चन्द रोज़ हुए मैंने तकरीरें सुनीं जबकि यहां पर हाउस में बहस हुई थी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर को भी सुना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कुछ इस तरफ के आदमियों को बुरा भला कहा कि तुम बुरा करते हो गलत करते हो। बहरहाल उन्होंने जो तकरीर की उसके अन्दर भी ज़ाहिरा तौर पर कोई इलाज नहीं दिखाई दिया जिससे मैं अपने दल को तसल्ली दे सकूं कि पाकिस्तान की ज्यादतियों का कोई जवाब है, इस तरह का कोई उत्तर है कि जो आम तौर पर पबलिक को तसल्ली दे सके। जनाब वाला, लड़ाई से हम डरते हैं। जब दो मुख्तलिफ कौमें, दो मुख्तलिफ सावरैन गवर्नमेंटें किसी बात पर तसफ़िया नहीं कर सकतीं तो उसका एक ही इलाज है, और वह यह है कि वे लड़ाई करें। अगर किसी बात पर इत्तिफाक़ न हो तो लड़ाई करें। हम लड़ाई नहीं करना चाहते पाकिस्तान के बारे में मुझे पता नहीं कि वह क्या चाहता है, वह लड़ाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो इसका एक ही इलाज है और वह मेरे दोस्त अचिंत राम जी ने हाउस के सामने पेश किया था। वह इलाज महात्मा गांधी जी के बताये हुये रास्ते के अनुसार था। जिस वक्त १५ अगस्त, १९४७ को यहां दिल्ली में जशन मन रहे थे उस वक्त हमारे राष्ट्र के पिता दूसरी जगह ईस्ट बंगाल में कांटों पर चल कर आग बुझाने का काम कर रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि इस मसले का एक ही इलाज है। महात्मा जी की तजवीज़ थी कि वह यहां हिन्दुस्तान के १०० मुसलमानों को पहले भेजेंगे जो कुर्री हवाई ठीक बनावेंगे और फ़िर वह खुद तशरीफ़ ले जावेंगे। उनका कहना था कि यह जो रिफ्यूजीज़ वहां से आये हैं इनको वहां वापस ले जाना होगा। इन की जो वहां जायदादें वगैरह हैं इनको वहां वापस दिलावेंगे और जो मुसलमान यहां से चले गये हैं उनको भी यहां वापस लाना होगा। अगर वह ज़िन्दा होते तो मैं यकीन करता हूं कि इस पर ज़रूर अमल होता।

तो इसी के अनुसार मेरे दोस्त लाला अचिन्त राम जी ने एक तजवीज़ रखी थी। एक तो लड़ाई की तजवीज़ है और यह तजवीज़ अमन की थी। वह अमन की तजवीज़ यह थी कि हमारे बुज़ुर्ग मौलाना आज़ाद साहब और आचार्य श्री बिनोवा भावे साहब और कुछ और बुज़ुर्गों को वहां भेजा जाय और वे जा कर ऐसा माहौल पैदा करें जिससे पाकिस्तानियों को अक्ल आ जाये। मुझे नहीं मालूम कि हाउस को यह तजवीज़ पसन्द है या नहीं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अन्दर जो इस वक्त दिमाग़ी तबदीलियां हो चुकी हैं उसकी वजह से आया ऐसी तजवीज़ कारगर भी होगी या नहीं।

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह तजवीज़ थी, और इसके बारे में सोचना चाहिये था, या तो हमारी गवर्नमेंट को या और दूसरी बाडीज़ को जो इसके अन्दर अपना अमल कर सकती हैं वह इस तजवीज़ पर अमल करतीं या फ़िर कोई और दूसरी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ही तजवीज़ आती । मुल्क में आज जो इस बात से फ़्रस्ट्रेशन है कि पाकिस्तान हम पर ज्यादतियां करता है और यहां से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया जाता, आखिर कब तक पाकिस्तान की ज्यादतियां को हम सहते जायेंगे ? और इसी फ़्रस्ट्रेशन के कारण पब्लिक में एक ए स्कूल आफ़ थौट का सेक्शन है जो यह समझता है कि पाकिस्तान में जो हिन्दुओं पर तकलीफ़ें हैं या जो कनवरशन्स (धर्म परिवर्तन) होते हैं, उन सब की ज़िम्मेदार यह हमारी अपनी गवर्नमेंट है, क्योंकि वह कोई ऐक्शन नहीं लेती । सच तो यह है कि जो जुल्म को सहता है वह जुल्म का उतना ही एबेटर है जितना ज़ालिम है, उससे कम कसूर उसका नहीं होता । इस प्वाइंट आफ़ व्यू से वह लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिये हमारी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, उसके इनऐक्शन की पालिसी की वजह से और जुल्म को सहते जाने से पाकिस्तान को और शह मिलती है कि वह हमारे लोगों पर जुल्म करता रहे, यह उनकी दलील है । और इधर खबरें आती हैं कि वहां प्राइम मिनिस्टर्स कानफ़्रेंस में दोनों मुल्कों के फाइनेंस मिनिस्टर मिल कर कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस से दोनों देशों में आपसी समझौता हो जाये और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि काश्मीर के बारे में भी फ़ैसले के लिये बात हो रही है और उसके लिये यहां कोई साहब तशरीफ़ भी लाये हुए हैं जो यहां पर इस मसले को हल करने के लिये बातचीत करने लगे हैं । मुझे पता नहीं क्या सदाकत है । लेकिन मैं इतना तो गवर्नमेंट की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं और बहुत ज़ोर के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज मुल्क के अन्दर जो हालत है उससे गवर्नमेंट को बेखबर नहीं होना चाहिये । आज गवर्नमेंट यह न समझ कर चुपचाप बैठ जाये कि आज गवर्नमेंट व्यू के बहुत सारे लोग हैं और वह गवर्नमेंट के साथ हैं । यह दुरुस्त है कि वह दूसरी मुखालिफ़ पार्टीज़ के लोगों की तरह बहुत ज्यादा ऐसी बातें कह कर गवर्नमेंट पर ज़ोर नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ से गवर्नमेंट को यह न समझ लेना चाहिये कि उनके दिलों में उसी तरह की जलन नहीं है जैसे कि दूसरे लोगों के दिलों में है । मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे जैसे तुच्छ आदमी के लिये गवर्नमेंट से यह कहना कि तुम फ़ौरन वार डिक्लेयर कर दो, या इकानामिक सैंक्शन डिक्लेयर कर दो मुनासिब नहीं होगा, और मैं यह बात भी छुपाना नहीं चाहता कि मुझे खुद इसका कोई इलाज नहीं सूझता जो मैं गवर्नमेंट की खिदमत में कह सकूं कि आप इसे अमल करके पाकिस्तान को ठीक रास्ते पर ला सकते हैं । लेकिन इतना तो मैं ज़रूर जानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पिछले चन्द सालों से पाकिस्तान के प्रति जो अपीज़मेंट की पालिसी रही है कि पाकिस्तान कुछ ही करता रहे, हम उस का कोई जवाब नहीं देंगे, यह अपीज़मेंट की पालिसी हमारी दुरुस्त और माकूल नहीं है और उसका नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तान के लोग इस पालिसी को कमज़ोरी की पालिसी समझते हैं और उनकी ज्यादतियां हमारे साथ दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं । हमारी गवर्नमेंट, मैंने एक बार नहीं शुरू से लेकर अब तक यही पाया है कि हमारी गवर्नमेंट की जो पालिसी पाकिस्तान के प्रति रही है वह अपीज़मेंट की रही है और इस सिलसिले में मैं बड़े अदब से गवर्नमेंट की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि पांच वर्ष तक अपीज़मेंट की पालिसी पर चलने के बाद कम से कम अब तो रिसीप्रोसिटी की पालिसी पर अमल करना शुरू कर दें ।

सरदार हुक्म सिंह : हम और क्या कहते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप इससे बढ़ कर कहना चाहते हैं। मैं तो यह चीज़ अपनी गवर्नमेंट पर और उस बड़े स्टेट्समैन पर जो दुनिया भर के अन्दर अमन चाहता है और जो आज कोरिया की लड़ाई को खत्म करना चाहता है वह वर्ल्ड पालिटिक्स में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को एक ही जगह देखना चाहता है और जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता और सब जगह अमन का ख्वाहा है उस पर छोड़ना चाहता हूं, मुझे अपनी गवर्नमेंट और उसके नेता, और लीडर पंडित नेहरू पर पूरा यकीन है कि वह इस सवाल को हल कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आखिर में हमारी गवर्नमेंट इसका ठीक हल निकाल लेगी और ज़रूरत के अनुसार इस पर ज़रूर ठीक तौर पर अमल करेगी, लेकिन आप लोग इस गवर्नमेंट पर यकीन नहीं करते हैं, यही मेरे और आप में फ़र्क है। मैं आपकी तरह बिन त्रिपास नहीं करना चाहता और न हीं इस तरह की कोई रेमेडी पेश करना चाहता हूं कि वार कर दी जाये या जैसा आप चाहते हैं कि इकानामिक सैंक्शन डिक्लेयर कर दिया जाय। लेकिन क्या आप को खुद भी इस का यकीन है कि इकानामिक सैंक्शन जस्टीफ़ायबुल होगा? और उससे कोई खास फ़ायदा आपको होगा आप खुद ही अपने इन सुझावों के बारे में सीरियस नहीं हैं, खुद ही उनको पेश करते हैं और फ़िर खुद ही वापिस ले लेते हैं। मैं खुद इस चीज़ को मानने को तैयार हूं कि मैं कोई इस सवाल को हल करने के लिये सौल्यूशन नहीं दे सकता जिस के बारे में मैं यह कह सकूं कि यह मेरा हल कारगर साबित होगा। लेकिन मैं गवर्नमेंट पर यह वाज़े कर देना चाहता हूं कि देश के अन्दर इस बात का तकाज़ा है और देश यह नहीं चाहता कि आइन्दा इस तरह की पालिसी बरती जाय जिससे पाकिस्तान यह महसूस ही न करे कि वह कितनी ज्यादतियां कर रहा है। मेरा कहना सिर्फ़ यह है कि हम को ऐसी पालिसी पर अमल करना चाहिये जिससे उसको ज्यादतियां करने में शह न मिले। मुझे यह सुन कर बड़ा दुख हुआ कि दस लाख मन चावल पाकिस्तान को यहां से भेजा गया, यहां तो लोग एक एक दाने को मोहताज हैं और रोज़ राशन कम होता है और हम लोग राशन रूल्ज़ के कारण गांवों से अनाज शहर में ला नहीं सकते और वहां इतना गल्ला पाकिस्तान को चला जाय, गवर्नमेंट को इस का जवाब देना चाहिये कि यह बात जो कही गई है दुरुस्त है या नहीं और अगर दुरुस्त तो यह निहायत अफ़सोस की बात है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब मैं उधर से अपने लायक दोस्त की आसाम के बारे में तकरीर सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीन वर्ष के अन्दर १९४७ से १९५० तक आसाम के अन्दर बार से पांच लाख आदमी दाखिल हो गये और हमारी गवर्नमेंट खरगोश की नींद सोती रही। फ़िर एक बिल लाये हैं जिसके अन्दर यह लिखा था कि यहां पर जो बाहर से आये हैं उनको निकाल दिया जायेगा जब यह तजवीज हुई कि जो ऐसे लोगों को हारबर करेंगे उनकी जायदाद ज़ब्त कर ली जाय तो गवर्नमेंट ने उसको माना नहीं। नतीजा क्या हुआ, आज आसाम की हालत क्या है? जो लोग आसाम की हालत जानते हैं वह जानते हैं कि गवर्नमेंट की इस पालिसी का असर आसाम पर ज्यादा से ज्यादा पड़ा है। कल हम ने अपने एक दोस्त की बातें सुनीं किस तरह से हिल ट्राइब्स में ज़हर फ़ैलाया जा रहा है और पाकिस्तान की पालिसी उन को हम से एलिनेट कर रही है। हमारी अपनी पालिसी दुरुस्त होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि दरअसल कोई मुल्क दूसरे मुल्क को क्या तबाह करेगा,

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तबाह करने वाले तो हम खुद ही हैं। मैं डाक्टर मुखर्जी और श्री देशपांडे जी की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं जो कल बड़े ज़ोर शोर और धूम धड़ाके के साथ उस गाली में भी शामिल थे जो कल एक हमारे दोस्त ने पंडित नेहरू को दी थी और जिस को बाद में उन्होंने वापिस ले लिया.....

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैंने कल गाली नहीं दी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप ने उसको ऐफ़र्म किया। मैंने डाक्टर मन मोहन दास की कहानी सुनी कि इस देश के अन्दर क्यों पाकिस्तान बना और इस देश के अन्दर क्यों यह चीज़ हो गई। यह इस वजह से हुई कि हम अपने सोशल सिस्टम को तबदील नहीं करते और जो हमारा करने का फ़र्ज़ है हमने उस पर अमल नहीं किया, आज आप देखिये कि हमारा अछूत भाइयों के साथ क्या सलूक हैं? और मैं तो समझता हूं कि यह पाकिस्तान किसने बनाया, यह देशपांडे, चटर्जी, मुखर्जी और भार्गव ने बनाया, क्योंकि हम ने अछूतों के साथ खराब सलूक किया। खाली दस सालों की गारन्टी हमने उनको दी है, लेकिन असल प्रैक्टिस में कोई भाई मुझे बतलाये कि हमारा अछूत ज़ाति वालों के साथ कैसा सलूक रहा है? आप उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं और अगर सलूक आपका उनके प्रति ठीक नहीं है, तो फ़िर किस तरह से इन्तज़ाम होगा? उन आदमियों को बुला कर ही सवाल हल नहीं हो जाता क्योंकि उनके साथ सलूक तो आपका अब तक खराब होता आया है और इससे तो बेहतर है कि उन्हें वहीं रहने दें और मरने दें, पाप लगे तो लगे, लेकिन अगर आप उनको भी इंसान समझते हैं और अपना भाई समझते हैं तो आपको अपना सलूक अच्छा करना होगा और जब तक हम सब मिल कर इसके लिये कोशिश नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं समझता हूं कि यह मामला हल नहीं होगा। मैं साफ़ तौर पर यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि मेरी राय यह है कि अगर वह ९० लाख आदमी यहां आना चाहें तो यहां पर आ सकें, यह उनका घर है, पर मैं साथ ही यह भी चाहता हूं कि हम जो दस साल में हिन्दुस्तान के अन्दर बहिश्त बनाना चाहते हैं, पांच साल तो बीत चुके, और हमने उसके बनाने की ओर पूरी तरह कदम नहीं उठाया, लेकिन अब भी वक्त है, अगर अब भी गवर्नमेंट के अलावा वह लोग भी जो गवर्नमेंट को आज मजबूर करते वह खुद अपने अमल से यह दिखलावें कि दरअस्ल हम बिल्कुल सीरियसली हिन्दुस्तान के अन्दर वह बहिश्त बनाना चाहते हैं जिस के अन्दर ९० लाख आदमियों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो हम अपने मकसद तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। जब तक हमारी अपनी मौजूदा आदत नहीं बदलती और हम यह अहसास नहीं करने लगते कि हम अपने अछूत भाइयों के साथ कितनी सख्ती करते हैं, उन ९० लाख आदमियों को बुलाना ज्यादा असर नहीं रखता। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम गवर्नमेंट को ऐश्योरेंस दें कि उन ९० लाख आदमियों के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं लगाई जायेगी और उन को सब प्रकार की आसानियां दी जायेंगी। दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि गवर्नमेंट हाउस को ऐश्योर करे कि उसकी जो अपीज़मेंट की पालिसी है उसको वह रिसीप्रोसिटी की पालिसी में तबदील करेगी। तीसरी बात जो मैं अर्ज़करना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दू सभा का खास फ़र्ज़ है, मैं महासभा का मैम्बर तो नहीं लेकिन मैं हिन्दू होने के नाते यह कह सकता हूं कि हमारा सब का फ़र्ज़ है, कि हम

ऐसे हालात बनायें जिनके अन्दर पाकिस्तान के वास्ते यह काम करना नामुमकिन हो जाये, उन आदमियों के वास्ते आना आसान हो और हम अपने फ़र्ज़ को समझें । आखिर में मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि हालांकि मेरे पास कोई इस मसले को हल करने के लिये स्पेसिफ़िक सौल्यूशन नहीं है । मैं चाहता हूं कि कम से कम उस वक्त तक जब तक हमारे पास कोई सौल्यूशन न हो हम इन तीन चार चीजों पर अमलपैरा हों और उनको तसल्ली दिला सकें कि ९० लाख आदमियों के वास्ते कोई सस्ती और रुकावट नहीं होगी ।

श्री गिडवानी (थाना) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा बिल्कुल बोलने का इरादा नहीं था, मैंने देखा है कि काफ़ी इस सवाल पर बात-चीत हुई है । परन्तु जब हमारे मन्त्री महोदय ने कल कहा कि जब कोई सवाल ऐसा आता है तो फ़िर पाकिस्तान की बात शुरू हो जाती है । लेकिन वह इसको समझ नहीं सकते, और वह समझें भी क्या, 'जो तन लागे सो तन जाने' । दूसरों को क्या मालूम ? बंगाल के अन्दर जो कुछ हो रहा है वह उसी बीमारी और उसी रोग का चिन्ह है, उसी बीमारी की निशानी है जिससे यह सारा मामला हुआ, यानी हिन्दुस्तान का बंटवारा और बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान का रवैया अथवा, पाकिस्तान की मनोवृत्ति ।

पार्टीशन को करीब आज पांच वर्ष, तीन महीने और बीस दिन हुए, कांग्रेस की मंशा थी कि बटवारे के होने के बाद देश के अन्दर शान्ति, देश के अन्दर साम्प्रदायिक समस्या का समाधान हो जायेगा, वह पूरी नहीं हुई । इसकी गवाही है, कि इतने समय के उपरान्त भी आज हमारी पार्लियामेंट के अन्दर उसी कम्युनल प्राबलेम (साम्प्रदायिक समस्या) उसी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध पर बहस हो रही है । बंगाल की तरफ़ जो हो रहा है वह तो आप के सामने है । हमारा सिंधी का एक अखबार है जो कि बम्बई से निकलता है, उस ने लिखा है कि परसों एक जहाज कराची से आया, उसमें २३ हिन्दू सिन्ध से आये, उनमें से एक बयान करता है कि एक हिन्दू एक गांव में जा रहा था, उस को कत्ल करके उसकी लाश को एक बोरी के अन्दर डाल दिया । इसलिये हमें विवश हो कर यहां आना पड़ा । परसों एक खबर आई कि एक कार्यकर्त्ता जो (निष्क्रमण शिविर) कराची में काम करता था जिसका नाम डा० भगवान दास है, वह कराची में शरणार्थियों की सेवा करता था, एक बड़ा अच्छा सोशल वर्कर था, उसको पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में रख दिया है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह बातें कैसे हो रही हैं । लेकिन यह आप को कैसे मालूम ? यह तो उनको मालूम हो सकता है जिनके रिश्तेदार, जिनके अजीज, जिनके कुटुम्बी ऐसी मुसीबत में हों । और अगर वह चुप कर के बैठ जायें, ऐसी बातें सुन कर तो वह इन्सान नहीं, वह पत्थर हैं, मनुष्य नहीं, वह हैवान हैं और हैवान से भी बदतर हैं । तो मैं अपने मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब तक इस रोग का पूरा और बुनियादी इलाज नहीं होता है तब तक इस समस्या का समा-धान नहीं हो सकता, तब तक यह सब चलता रहेगा, यह आपको समझ लेना चाहिये । हां, अगर आप जिन्दा नहीं हैं, अगर आप मुर्दा बन गये हैं अगर हिन्दुस्तान में कोई जान नहीं रही तो बात अलग है । मैं बतलाना चाहता हूं कि यह एक छोटा सा बिल है जिसका पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का बहुत कम सम्बन्ध है । बंगालियों के साथ इसका काफी सम्बन्ध है, जैसा कि मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अभी आप को बताया । लेकिन असल बात यह है कि मेरी शिकायत तो यह है कि पाकिस्तान जो कुछ भी करे हमारे मित्र

[श्री गिडवानी]

मन्त्री महोदय यही कहते हैं कि हम बेबस हैं इस बेबसी के बारे में मैं आपको बतलाऊं कि जब बटवारा हुआ और मैं दिल्ली आया तो मैंने दिल्ली में मगरबी पाकिस्तान के कांग्रेसी नुमाइन्दों की यानी पंजाब सरहद और सिंध तीनों प्रान्तों के जो कांग्रेसी काम करने वाले थे, उनकी एक मीटिंग स्वर्गीय लाला देशबन्धु गुप्ता के घर पर बुलाई उस सभा में सभी पुराने कांग्रेसी थे, कितने कांग्रेसी तो उस वक्त के काम करने वाले थे जबकि बहुत से आज के कांग्रेसी जन्मे भी नहीं थे। उसमें ऐसे कांग्रेसी मौजूद थे जो सन् १९०७ से कांग्रेस में काम करते चले आते थे, जो ४० वर्ष से काम करते आए हैं, ३० बरस से आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेम्बर थे, जैसे दीवान भंजूराम गांधी और चौधरी कृष्ण गोपाल दत्त। हम सब ने एक प्रस्ताव पास किया और उस की एक कापी मैंने उस सभा के सदर की हैसियत से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधान मन्त्री के पास भेजी। उसमें हमने यह कहा था कि आपने पाकिस्तान के साथ यह फैसला किया है कि जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से आते हैं वह सब अपनी चीजें ले आयेंगे सिवाय मर्चेन्डाइज के यानी जो चीजें व्यापार की हैं उनको छोड़कर बाकी जो उनके इस्तेमाल की चीजें हैं, कपड़ा है, बर्तन हैं, या इस तरह के और सामान हैं वह सब ला सकते हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया यह सबको मालूम है। बहन सुचेता कृपलानी तथा आचार्य कृपलानी ने जो सिन्ध में उस समय आये थे देखा था कि स्त्रियों और लड़कियों की नई साड़ी तक छीन ली गई थीं। और आचार्य कृपलानी की एक भतीजी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ, उससे कहा गया कि पुरानी पहनो, नई साड़ी पाकिस्तान से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यहां आते वक्त डाक्टरों के स्टेथास्कोप ले लिये गये और बच्चों के दूध की बोतल ले ली गई। तो हम लोगों ने बैठ कर यह रेजोल्यूशन पास किया और पंडित जी के पास भेजा। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी यह सब क्या बात हो रही है। तो पंडित जी ने कहा कि "We are protesting"। यहां से मैंने देखा था कि जो भी मुसलमान पाकिस्तान गये वह अपने साथ सभी कुछ ले गये। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो वह अपने साथ यहां से न ले गये हों।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यहां से तो वह सोना तक ले गये हैं।

श्री गिडवानी: सोना तो खैर ले ही गये थे लेकिन मैंने देखा है कि वह अपने कुल्हाड़े तक ले गये। मैंने सिन्ध में देखा कि जो लोग हिन्दुस्तान से मुसलमान एवैक्वी होकर आये तो वह लोग अपने साथ पुराने चूल्हे तक ले कर आये, पुराने हुक्के ले आये थे और कुल्हाड़े तक ले आये थे। रोज के इस्तेमाल की और चीजों का तो कहना ही क्या। मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी यह सब क्या हो रहा है, बच्चों के दूध की बोतल, दवाइयां, एक्सरे ऐपरेटस, स्टेथासकोप सभी कुछ वहां छीने जा रहे हैं तो पंडित जी ने कहा कि: "मैं क्या करूं? वह विदेश है, हम असहाय हैं?" मैंने कहा कि यह बहुत बुरी बात है, और अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिये। आपने तो पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में समझौता किया है। पंडित जी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ प्रोटैस्ट (protest) कर सकते हैं। दिसम्बर १९४७, में सब कांग्रेसमैनों ने सिन्ध, पंजाब तथा फ्रंटियर के जो थे उन्होंने यह रेजोल्यूशन पास किया कि

"यह इम्बेसाइल (निर्बल) नीति से काम नहीं चलेगा, और प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है।" तो उस वक्त पंडित जी हमारे ऊपर बड़े गुस्सा हुए, मेरे काफी पुराने दोस्त थे और पार्टीशन के पहले ११ दिन मेरे साथ मेरे प्रान्त का दौरा कर चुके थे। एक एक दिन में लगभग उनको तीस तीस हजार की थैली दी गई। कुल मिला कर सिन्ध वालों ने तीन लाख रुपयों की भेंट की। फूलों और हारों का तों कहना ही क्या है। इन ११ दिनों में हम २४ घण्टे साथ रहे। लेकिन मैंने उस दिन पंडित जी से बात की तो मैंने कहा कि इसमें गुस्सा होने की क्या बात है ? पंडित जी गांधीजी के भक्त तो हैं, लेकिन गुस्सा के मामले में गांधीजी की शिक्षा नहीं मानते। गांधीजी तो रोज सुबह शाम गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा करते थे। दूसरे अध्याय में कहा गया है: कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मृत्यु होती है।

काश्मीर वार्तालाप हुआ, जिस दिन समस्या पर लोक सदन में पंडित जी फिर गुस्सा में आ गये तो मैं हैरान हुआ हालांकि हाल ही में तो वे सांची में बुद्ध भगवान के शिष्यों के दर्शन करके लौटे थे। आखिर इस में हम चाहते ही क्या हैं, हम चाहते हैं कि रेसीप्रोकल एक्शन (जैसे को तैसा) लिया जाय।

१ म० प०

इसके बाद सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के पश्चात् ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री गिडवानी: मैं यह कह रहा था कि जब तक हम इस समस्या की बुनियाद में नहीं जायेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

अब सवाल उठता है, जैसा कि आप ने फरमाया कि इस का इस बिल के साथ क्या सम्बन्ध है। आप को डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बतलाया कि पास-पोर्ट सिस्टम के रहत हुए भी जो पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले हिन्दू या कुछ मुसलमान जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उन को पास-पोर्ट नहीं मिलता। और जो लोग वहां बैठे हैं उन की दिक्कत तो आप को मालूम ही है। तो सवाल फिर उठता है कि जब एक तरफ एक ऐसी सरकार है जिस के साथ जो भी समझौता होता है वह उस समझौते को अमल में नहीं लाती तो फिर दूसरी सरकार किस तरह से उस को अमल में ला सकती है, या वह चुप चाप बैठी देख सकती है। तब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिये। जैसा मैं न पहले भी भी कहा, कि एक बार नहीं कई बार जितने हमारे समझौते पाकिस्तान सरकार के साथ हुए हैं उन समझौतों का यही परिणाम हुआ है, कि हम तो उन को मानत हैं और वह उन को नहीं मानते। इसलिये सवाल उठता है कि क्या करना चाहिये। मेरे दोस्त लाला अचिंत राम ने एक संशोधन दिया है और इस के पहिले भी दिया था जब पूर्वी बंगाल दिवस पर बहस हुई थी कि हमें एक डैपुटेशन भेजना चाहिये ताकि वह पाकिस्तान में हमारी सद्भावना का, मुहब्बत का संदेश पहुंचाय। मुझसे उन्हेंने यह बात कही। वह मेरे मित्र हैं। मैंने उन से कहा भाई इस पुरानी बात को कब तक अज़माते रहोगे। जब एक व्यक्ति जिस को हम संसार में महान् से महान व्यक्ति मानते हैं, जिस को हम बापू महात्मा गांधी के नाम से पुकारते हैं, अगर वह श्री जिन्ना के पास ११ बार दरवाज़े पर जा

[श्री गिडवानी]

कर भी उसे कनवर्ट नहीं कर सका, अर्थात् उस के विचारों में परिवर्तन न ला सका तो क्या हम में उन से ज्यादा शक्ति है कि हम पकिस्तानियों को ठीक रास्त पर ला सकें।

इसके अलावा आप हिन्दू-मुस्लिम के सवाल को छोड़िये, आप पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के सवाल को छोड़िये। आप के सामने एक जिन्दा गांधी है, जिस का नाम खान अब्दुल गफ्फार खां है। वह जिन्दा मर रहा है। उस को रोज़ रोज़ इंच इंच कर के मारा जा रहा है और हम उस के लिये क्या कर पा रहे हैं। आप की मुब्बत का पैगाम पाकिस्तान सरकार पर क्या असर डाल रहा है? हिन्दुस्तान में उन के बहुत से दोस्त हैं, वह उन का दिन भी मानते हैं। जब हम एक ऐसी महान् आत्मा को दुख: से, पाकिस्तान के जुल्मों से नहीं बचा सकते हैं तो किस तरह से किसी और तहरीके से या कोई सद्भावना मिशन भेजने से हम पाकिस्तान पर असर डाल सकेंगे? तो सवाल उठता है कि जब सद्भावना मिशन से भी काम नहीं चल सकता, जैसा कि इतिहास गवाही देता है, और हमारी और कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलता, तो फिर हम को क्या करना चाहिये। मेरे मित्र ठाकुर दास जी ने कहा कि कुछ तो होना चाहिये लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिये। कौन कहता है कि लड़ाई होनी चाहिये?

मैं एक सवाल करता हूं कि जिस का शरणार्थी समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं एक बात श्री ठाकुर दास जी से और कांग्रेस के भाईयों से पूछना चाहता हूं। हमारे हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में पान पैदा होता है। पाकिस्तान वालों ने हम को तंग करने के लिये हमारे यहां के दस हज़ार पान पैदा करने वाले कुटुम्बों को परेशान करने के लिये पान का अपने यहां आना बन्द किया है। लेकिन हमारी सरकार ढ़ाका में पैदा होने वाले पान को हिन्दुस्तानी हवाई जहाज़ों में हिन्दुस्तान में ला कर बेचती है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब क्या है। यह कोई गवर्नमेंट है या कोई धर्मादा खाता है, या कोई गौशाला है, कृपा शाला है, या धर्मशाला है, या राजनीति है। मेरी समझ में अब तक यह नहीं आया कि यह क्या समस्या है। हमारे यहां दस हज़ार आदमी भूके मरें और हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के पान पर बन्दिश नहीं लगाती, यही नहीं बल्कि उस को इंडियन ऐयरवेज़ के के हवाई जहाज़ों में यहां ला कर बेचती है। कल हम को पार्लियामेंट में इस का जवाब मिला था। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि यह क्या है। क्या इस के पीछे कोई पालिसी है? इस को क्या कहा जा सकता है। सिर्फ यही कि हम नातवां हैं, बेबस हैं और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि नामर्द हैं।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर): हां मैं ऐसा कहता हूं।

श्री गिडवानी: क्या हमारे लिये हर बात में जो कि पाकिस्तान करता जाता है यह कहना ठीक है कि हम बेबस हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या एक ३५ या ३६ करोड़ आबादी वाले देश को एक ९ करोड़ आबादी वाले देश के सामने यही कहना चाहिये कि हम बेबस हैं। मैं अपने भाई अचित राम जी से पूछना चाहता हूं कि अगर ९० लाख हिन्दू जो पूर्वी बंगाल में अभी हैं यहां आने दिया जाये तो उन की क्या हालत होगी। पार्टीशन हुए पांच साल तीन सहीने और बीस दिन हुए लेकिन जो पचास लाख आदमी पश्चिमी पाकिस्तान से यहां आये थे उन की अब क्या दशा है? अगर वह ९० लाख आदमी यहां आ जायें और पाकिस्तान उन को आने दे तो उन की हिन्दुस्तान में क्या अवस्था होगी। वह तो मौत के

मुह म पड़ेंगे। इस के अलावा हमारे देश की आर्थिक स्थिति का भी तो सवाल है। अब सवाल उठता है कि इस का क्या इलाजहै? पर यह बतलाना हमारा काम नहीं है। हम तो यह बतला सकते हैं कि क्या तकलीफ है। हम को तो नीम हकीम कहा जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हम क्वेक हैं या वह नीम हकीम हैं जिन के हाथ में सत्ता है। एक रोगी पांच साल तीन महीने और बीस दिन से एक वैद्य, हकीम या होम्योपैथ का इलाज कर रहा है लेकिन उस का मर्ज नहीं जाता, मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, तो ऐसी हालत में आप उस वैद्य या हकीम को नीम हकीम कहेंगे या नहीं? हम तो कहते हैं कि तदबीर बतलाना हमारा काम नहीं है, यह तो सरकार का काम है। लेकिन अगर आप हमारे साथ बैठें तो कुछ बतलायें भी हमारा तो यह ख्याल है कि जब तक हमारी यह ज़हनियत है, जिस को मैं सेक्यूलेरिटिस की बीमारी कहता हूं, जो कि सक्यूलरिज़ म के नाम से मशहुर है, और अब तक इस का इलाज नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस बीमारी का इलाज होना चाहिये।

श्री ऐस० एन० दास (दरभंगा मध्य): आप ही इस बीमारी का इलाज बतलाइये।

श्री गिडवानी: इस का इलाज यही है कि हम को एक जिन्दा और गैरतमन्द क़ौम की तरह रहना चाहिये। हर बात में यह नहीं कहना चाहिये कि हम बेबस हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह से कहना कोई इलाज नहीं है। आप सोचिये, हम भी सोचेंगे। आप दूसरों की भी बातें सुनें। मैंने एक सवाल अभी पान का किया है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम बेबस हैं। हम कुछ नहीं करेंगें। पाकिस्तान हामारा पैसा नहीं देता। कर्ज़ नहीं देता, पाकिस्तान लोगों को यहां नहीं आने देता। लेकिन हम पांच बरस से हर मामले में यही आवाज़ सुनते हैं कि हम बेबस हैं। मैं जानता हूं कि मेरी यह आवाज़ पत्थर पर पड़ रही है। फिर भी मैं महसूस करता हूं कि पत्थर भी लगातार पानी की चोट से घिस जाता है, इसी आशा से में बोल रहा हूं। और इसलिये मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारी पोजीशन में आप अपने को डालिये। अभी मैं यहां से गया तो एक दुखी आदमी आया। मेरा तो दिन रात इसी मामले में गुजराता है। तो मेरे सामने जो तस्वीर आती है, उस को आप अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव न कीजिये, लेकिन इस का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक किसी नुक्तनज़र से देखिये और सोचिये कि क्या करना चाहिये। यह सवाल आप के सामने है। पाकिस्तान के साथ कोई भी चाहे पोलिटिकल मामला हो, चाहे वह राजनैतिक हों, व्यापारिक हो या कोई और हो इन सब का एक रास्ता निकालिये। तभी आप इस समस्या को सुलझा सकेंगे। मैं यह नहीं कहता कि आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई करें। लेकिन जो आज सरकार की नीति पाकिस्तान के सम्बन्ध में है वह ठीक नहीं है और उसी में परिवर्तन लाने के लिये कोई उपाय सोचिये। लेकिन इस तरह से बेबसी दिखलाना अपनी कौम पर कलंक है। अपनी मर्दानगी पर और अपनी हिम्मत पर धब्बा है। बस इतना ही कह कर मैं खत्म करता हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): हम सब को इस पार-पत्र प्रणाली के लागू होने पर खेद है। इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जनता और उसके हित इस प्रणाली के विरुद्ध हैं।

१५ नवम्बर को प्रधान मंत्री ने कृपा करके यह कहा था कि वे पाकिस्तान के साथ इस विषय पर फिर नये सिरे से वार्ता करने के लिये उद्यत तथा तैयार हैं। उस समय विधि मंत्री ने कहा था कि 'कई तार पहले

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

हो भेजे जा चुके हैं। इसका अर्थ मैं तो यह लगाता हूं कि प्रधान मंत्री का आश्वासन व्यर्थ था, प्रयत्न किये भी जा चुके थे और वे बेकार सिद्ध हो चुके थे और इस मामले पर आगे बात करना निरर्थक है। फिर भी मुझे आशा तथा भरोसा है कि प्रधान मंत्री के आश्वासन पर अमल होगा और आगे भी प्रयत्न किये जायेंगे।

इस चर्चा के दौरान में कई ऐसी बातें कही गई हैं जो दोनों देशों के जनसाधारण की दृष्टि से अत्यन्त असंतोष जनक हैं। डा० मुखर्जी ने 'आर्थिक प्रतिबन्धों' का हानिकारक मार्ग दर्शाया है। वे एक ओर तो शांतिवादी बनते हैं और दूसरी ओर प्रत्येक अवसर पर आर्थिक प्रतिबन्ध की मांग दौहराते हैं दोनों बातें साथ कैसे चल सकती है। हमारी सरकार तो आर्थिक प्रतिबन्ध न लगाने के लिये बचन-बद्ध है। राष्ट्रमंडल-सम्मेलन में दोनों देशों के प्रतिनिधियों में वाणिज्य संबन्धी वार्ता हुई है और हमें आशा करनी चाहिये कि हमारे आर्थिक सम्बन्ध सुन्दर एंवं सुखद बनाना आरंभ हो जायेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार-संतुलन ऋण की ओर है। १ अप्रेल से ३१ दिसम्बर १९५१ में हमने ९२.४४ करोड़ रुपये का माल आयात किया और २८.५३ का माल निर्यात किया। अतः आर्थिक प्रतिबन्ध की नीति से हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। इस से बंगाल के लोगों की कठिनाइयां भी बढ़ ही जायेंगी। आर्थिक प्रतिबंध की बात करने से शक्ति प्रयोग या दृढ़ कार्यवाही की बात करने से, पाकिस्तान के प्रतिक्रियावादी लोगों को गड़-बड़ करने का अवसर भी मिल जायेगा। आर्थिक प्रतिबन्ध की बात करने से जनसाधारण को हानि ही होगी। हमें आशा करनी चाहिये कि साम्प्रदायिक समस्या अतीत की वस्तु बन जाये।

मेरे मित्र श्री सारंगधर दास ने यह आशंका प्रकट की कि पूर्वी बंगाल में हिन्दू मुसलमान बन जायेंगे। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वे हिन्दू इतिहास, संस्कृति तथा संस्थाओं और हिन्दुत्व की जीवन-शक्ति के विषय में नहीं जानते। मुस्लिम शासन में भी हिन्दू धर्म निर्मूल नहीं हुआ। पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं ने जिस साहस तथा चरित्र-शक्ति तथा दृढ़ता का परिचय दिया है उसे देखते हुए वे कभी धर्म-परिवर्तन नहीं करेंगे।

पाकिस्तान में हमारे लोगों को कष्ट तो अवश्य है, परन्तु पाकिस्तान में इस समय जो लोग जेल में हैं वे अधिकांश में साम्यवादी दल के हैं। परिस्थिति गंभीर अवश्य है, परन्तु हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे कि वह सुधरे। आज भी पूर्वी पाकिस्तान में पार-पत्र प्रणाली के विरुद्ध जनसाधारण में रोष हैं, जिससे पता लगता है कि वहां के शासक-वर्ग की दाल आसानी से नहीं गल रही है। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि वहां के लोगों में लोकतंत्रत्मक भावनाएं उभर ही नहीं सकती और वहां की प्रतिक्रियावादी सरकार सदा ही चलती रहेगी। कोरिया युद्ध के आरंभ होने पर उनके प्रधान मंत्री लियाकत अली खा ने दक्षिण कोरिया की सहायता के लिये सेना भेजने की बात कही थी परन्तु लोकमत के अननुकूल होने से वह ऐसा न कर सका। अब पाकिस्तान में जनसाधारण भारत-पाकिस्तान मैत्री की बातें करने लगा है, पार-पत्र प्रणाली के समाप्त करने के पक्ष में विराट सभाएं हो रही हैं। वहां की संविधान-सभा में जो भाषण होते हैं उनसे पता चलता है जल में लहरें उठने लगी हैं और वहां का शासन-वर्ग अधिक समय तक सुख से नहीं चल सकता। अतः हमें संघर्ष के वर्तमान कारणों को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये :

मेरे मित्र डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी चाहते हैं कि दोनों बंगालों में पुनः एकता हो जाय, परन्तु ऐसा कैसे हो सकता है जब कि आप दृढ़ कार्यवाई की और आर्थिक प्रतिबन्धों की बात करते हैं। जो लोग उधर रह गये हैं उनसे आप मित्रता भी चाहते हैं परन्तु उनपर तनिक भी भरोसा नहीं करते।

डा० ए० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण पूर्व): मेरी ओर से आलोचना सदा पाकिस्तान सरकार की होती है, वहां की जनता की नहीं।

श्री एच० एन० मुखर्जी: तो फिर मेरे मित्र डा० मुखर्जी अपने इस कथन को याद रखें। यदि आपको पाकिस्तान के लोगों पर विश्वास है कि उनका आन्दोलन सफल होगा तो उनकी सहायता कीजिये। वे अपनी समस्याएं आप हल कर के अपना भाग्य स्वयं अपने हाथ में ले लेंगे। तब दोनों बंगालों के लोग हाथ मिलायेंगे, गले लगेंगे और हमारे स्वप्नों का स्वराज आयेगा। परन्तु यह बात आर्थिक प्रतिबन्धों या युद्ध की बातों से नहीं होगी।

३ म० प०

अतः हमारा उद्देश्य साम्प्रदायिक मतभेद को मिटाने का होना चाहिये। आप पाकिस्तान के लोगों पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें अवसर दीजिये। कई बार दस बीस वर्ष तक अंगारे जलते रहते हैं और एक ही दिन विस्फोट हो जाता है? वहां भी कभी कभी ऐसे ही लक्षण दिखाई देते हैं।

मैं चाहता हूं कि सदन मेरे माननीय मित्र लाला अचिंत राम के इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करे कि जो लोग भारत में आकर शरण लेना चाहते हैं उनके विषय में औपचारिकताओं को कुछ टीला रखा जाये।

श्री य० एस० मलय्या (दक्षिण कनड़ा-उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं "कि प्रश्न को अब प्रस्तुत किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): श्री गुहा, श्रीमती सुचेता कृपलानी और डा० मुखर्जी ने उन कठिनाइयों की ओर संकेत किया है जो पार-पत्र प्रणाली से दोनों बंगालों के लोगों पर पड़ गई हैं। जैसा कि इस विधेयक पर मैं पहले वाली अपनी वक्तृता में कह चुका हूं, पार-पत्र प्रणाली हमने अपनी ईच्छा से आरंभ नहीं की है। वास्तव में हमने पाकिस्तान सरकार को संकेत कर दिया है कि यदि पाकिस्तान सरकार राजी होगी तो हम सम्पूर्ण भारत पकिस्तान प्रणाली को समाप्त कर देंगे। भारत-सरकार के लिये ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है कि भारत के राष्ट्रजन पाकिस्तान जा सकें और पाकिस्तान से नेक नीयत वाले दर्शक भारत आ सकें। हमने इस पार-पत्र प्रणाली के रहते हुए भी लोगों की कठिनाइयों को कम करने का सर्वोपरि प्रयत्न किया है। चाहे कुछ भी हो इस विधेयक का उद्देश्य तो अनुज्ञा-पत्र प्रणाली को समाप्त करना ही है और उससे तो बंगाल के लोगों की कठिनाइयां नहीं बढ़ती। लाला अचिंत राम ने यह इच्छा प्रकट की है कि जो लोग आगे पाकिस्तान स भारत आना चाहें उन्हें भारत सरकार को आने देना चाहिये और सदन के विचाराधीन इस विधेयक का या पार-पत्र प्रणाली का प्रयोग उन्हें देश के बाहर रखने के लिये न किया जाये। मैं यह बात बलपूर्वक कहता हूं कि इस विधेयक का लोगों को देश से बाहर रखनेसे कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने और श्री एन० सी० चटर्जी तथा श्री वी० जी० देशपांडे ने विधेयक के खंड ३ (१) में एक संशोधन की प्रस्थापना

[श्री जे० के० भोंसले]

की है कि पाकिस्तान के अल्प-संख्यक सम्प्रदायों के किसी सदस्य को किसी अनुज्ञा-पत्र या किसी पार-पत्र प्रणाली का कोई नियम भंग करने वाला नहीं समझा जायेगा, यदि वह भारत में उसके राष्ट्रजन के रूप में रहने के लिये प्रव्रजन कर आये । यह विधेयक तो केवल एक निरसनकारी विधान है जिसमें कुछ ऐसे अपवाद खंड हैं जिनसे सरकार को यह शक्ति मिल सके कि वह ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके जो अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन करें । पाकिस्तान से भारत को आने के इच्छक अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के सदस्यों के मामलों पर उस समय भी उदारता से व्यवहार किया जाता था जब कि पाकिस्तान से प्रव्रजन (नियंत्रण) अधिनियम लागू था । जो लोग भारत में प्रव्रजन कर आये हैं और यहां बसने के इच्छक हैं उन्हें ऐसा करने की सभी सुविधाएं दी गई हैं । इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् उन के विरुद्ध अपवाद-खंडों को लागू करने का प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं होता । जो लोग पार-पत्र प्रणाली जारी होने के पश्चात् पाकिस्तान से प्रव्रजन करना चाहें उनके विषय में भी एक उपबन्ध रख दिया गया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के सदस्यों को आपातिक प्रमाण-पत्र दिये जा सकते हैं । ऐसे मामलों में सम्बद्ध राजनैतिक अधिकारी निष्क्रमणार्थी को एक एक आपातिक प्रमाण-पत्र दे देगा जिस से कि वह किसी पार-पत्र या दृष्टांक के बिना इस देश में आ सकेगा । अतएव सच्चे निष्क्रमणार्थियों को स्थायी निवास के लिये इस देश में आने में कोई कठिनाई नहीं होगी । अतएव मेरा यह निवेदन है कि तीन माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्थापित संशोधन न तो पाकिस्तान के उन अल्प संख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये आवश्यक है जो भारत आ चुके हैं और न उन पर लागु होता है जो आगे आना चाहें और जिन के लिये पार-पत्र विनियमों में विशेष उपबन्ध रखा गया है ।

श्री देशपांडे ने यह आंशका प्रकट की है कि यह अपवाद-खंड अल्प-संख्यक संप्रदायों के उन लोगों के विरुद्ध काम आ सकता है जो भारत में प्रव्रजन कर आये हैं या आगे प्रव्रजन करके आयेंगे । उनकी आशंका भ्रान्तिमूलक है । पश्चिमी पाकिस्तान में यदि अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के कोई व्यक्ति रह भी गये हैं तो वे बहुत थोड़े हैं । पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के सदस्यों के लिये कई सदस्यों द्वारा जो आशंका प्रकट की गई है, उन के लिये अनुज्ञा-पत्र प्रणाली कभी लागू ही नहीं की गई अतः उनके विरुद्ध यह उपवाद-खंड लागू नहीं हो सकता । इसके विपरित पार-पत्र प्रणाली में भी एक उपबन्ध रख दिया गया है कि उन्हें आपातिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर भारत आने दिया जायेगा जो ढाका में हमारा उप-उच्चायुक्त जारी करेगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या फिर भारत में आने के विषय में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के लिये अलग अलग विनियम होंगे ?

श्री जे० के० भोंसले : हां, हमने विशेष उपबन्ध रखा है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): जब वह खंड आयेगा तब मैं इसे और स्पष्ट कर दूंगा ।

श्रीमती सुषमासेन (भागलपुर दक्षिण) : पूर्वी बंगाल के देहातों की अशिक्षित महिलाओं को इन विनियमों का तुरन्त कैसे पता लगेगा

और वे आपातिक प्रमाण-पत्रों को कैसे और कहां से प्राप्त कर सकेंगी ?

श्री जी० के० भोंसले : मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हमारे उप-उच्चायुक्त ने उधर के अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के सदस्यों को ये तथ्य बता दिये होंगे और जब वे भारत आना चाहेंगे तब एक दूसरे से पता लगा ही लेंगे।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरू) : क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में अधिकांश हरिजनों को परमावश्यक सेवा में समझा जाता है और भारत नहीं आने दिया जाता ? क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

श्री पी० एन० राजभोज : स्पीकर महोदय मै कल इसी बारे में बोला था इसका जवाब नहीं दिया गया है । इसलिये मुझे बहुत दुःख है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना दुःख अपने तक ही सीमित रखें । माननीय मंत्री उत्तर दे चुके हैं । यदि उनकी बात का उत्तर नहीं दिया गया तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैं माननीय मंत्रियों से आशा करता हूं कि वे प्रत्येक महत्वपूर्ण चर्चा पर ध्यान दें और फिर उत्तर दें ।

विचार -प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

खंड २.–(१९४९ के अधिनियम २३ का निरसन आदि)

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३–(अपवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री अचिन्त राम का संशोधन नियमानुकूल है ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मैं संशोधन में अंतर्विष्ट भावना को स्वीकार करता हूं, परन्तु मुझे भय है कि संशोधन की जिस रूप में रचना की गई है उस रूप में उसकी संविधानिक वैधता संशयास्पद है, उस पर सदन में जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है उससे तो और भी गड़ बड़ बढ़ गई है । खंड ३ को देखने से पता चलेगा कि हमने यह व्यवस्था की है कि यदि कोई अनुज्ञा-पत्रधारी १५ अगस्त से पूर्व या पश्चात् अनुज्ञा-पत्र सम्बन्धी नियमों का अतिक्रमण करे तो उस पर प्रव्रजन अधिनियम के निरसन के बावजूद भी मुकदमा चल सकेगा । १५ अक्तूबर के पश्चात् कोई अनुज्ञा-पत्र नहीं मिल सकता, अतः जो व्यक्ति १५ अगस्त के पश्चात् पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान से आयेगा, उस पर अपवाद खंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से भारत को अल्पसंख्यको के प्रव्रजन को सुकर बनाने के लिये यह संशोधन आवश्यक है । वास्तव में १५ अक्तूबर से सम्पूर्ण अनुज्ञा-पत्र व्यवस्था ही समाप्त की जा रही है और उस दिन के पश्चात् कोई अनुज्ञा-पत्र नहीं दिया जायेगा । इस अपवाद खंड की किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में कोई संगति नहीं है जो १५ अक्तूबर १९५२ के पश्चात् भारत आये ।

मैं सदन को स्पष्ट आश्वासन देता हूं कि हम अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के किसी ऐसे सदस्य पर मुकदमा नहीं चलायेंगे जो उस समय प्रवेश कर आया हो जब कि अनुज्ञा-पत्र प्रणाली जारी थी और जो उस प्रणाली का उल्लंघन करे, जब तक कि वह अनुज्ञा-पत्र जाली न हो या कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न न होता हो । कुछ समय पूर्व मुझे से सदन में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या किसी हिन्दू या सिख को अनुज्ञां-पत्र

[श्री ए० पी० जैन]

संम्बन्धी नियमों के अतिक्रमण के कारण देश से निकाला गया है, और मैंने कहा था कि किसी को नहीं निकाला गया। हम ऐसे ही करते रहे है और आगे भी हमारा ऐसे ही करने का विचार है। डा० मुखर्जी ने पूछा है कि अनुज्ञा-पत्र प्रणाली के निरसन के पश्चात् पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के भारत आने की क्या व्यवस्था होगी। पार-पत्र प्रणाली में 'आपातिक प्रमाण-पत्रों की व्यवस्था की गई है। वह एक विशेष प्रकार का अनुज्ञा-पत्र है जो अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के किसी सदस्य को दिया जायेगा जो पाकिस्तान से स्थायी निवास के लिये भारत आना चाहे। वह प्रमाण-पत्र हमारा उप-उच्चायुक्त देगा, जिसे हिदायतें भेज दी गई हैं कि वह ऐसे प्रमाण-पत्र उदारता से दे,और हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के व्यक्तियों को जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिये प्रव्रजन करना चाहें प्रत्येक संभव सुविधा प्रदान की जाये।

प्रव्रजक को कोई पार-पत्र या दृष्टांक या कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। श्रीमान् यह ठीक है, जैसा कि सदन की एक माननीय सदस्या ने कहा है, कि आपातिक प्रमाण-पत्रों संबन्धी विधियां, नियम तथा विनियम जनता के निरक्षर वर्ग तक कदाचित न पहुंच सकें। परन्तु ऐसा परिस्थिति में ही हमें काम चलाना है। हम प्रव्रजन के लिये सभी सुविधाएं देने का प्रयत्न करेंगे, फिर भी कुछ कठिनाई हो सकती है, हम आपातिक प्रमाण-पत्रों के विषय में कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो उस पर विचार करने के लिये तैयार होंगे। हां, यह मेरे मंत्रालय का कार्य नहीं है, वरन वैदेशिक,कार्य मंत्रालय यह काम कर रहा है, और शायद कुछ समय पश्चात् गृह मंत्रालय इस कार्य को संभाल लेगा। परन्तु सरकार की यही मंशा है कि स्थायी निवास के लिये भारत आने के इच्छुक अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के व्यक्तियों को प्रत्येक सुविधा दी जाये और इस विषय में हम प्रत्येक युक्तियुक्त सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री वी० जी० देशपांडे : अनुसूचित जातियों के सदस्यों को परमावश्यक सेवा अधिनियम के अधीन पाकिस्तान से भारत नहीं आने दिया जाता। क्या उन्हें आपातिक प्रमाण-पत्र दिये जा सकते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : विधि के अधीन उन्हें ये आपातिक प्रमाण-पत्र दिये जा सकते हैं। परन्तु हाल ही में मुझे एक शिकायत मिली थी कि सिंध में हमारे हरिजन भाइयों के मार्ग में कुछ वाधाएं डालो जा रही। और वे निर्वाध रूप से भारत नहीं आ सकते। मैंने वह प्रश्न हमारे उच्चायुक्त को भेज दिया है जिसने पाकिस्तान सरकार के साथ यह प्रश्न उठा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझा था कि माननीय मंत्री संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

श्री ए० पी० जैन : मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं ने यह कहा है कि मैं इस संशोधन की भावना को स्वीकार करता हूं। वास्तव में इसकी सांविधानिक वैधता पर मुझे संदेह है, क्योंकि इसका यह निर्वचन हो सकता है कि धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों के लोगों में विभेद किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : "पाकिस्तान के राष्ट्रजन" में नही समझता कि इसमें कोई धर्म का प्रश्न है।

श्री ए० पी० जैन : "अल्पसंख्यक" का अर्थ होगा "धार्मिक अल्पसंख्यक"।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के इस कथन के पश्चात् भी यदि माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तावित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ।

लाला अचित राम (हिसार) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ १ पर, पंक्ति १४ के पश्चात्, निम्न परन्तुक प्रविष्ट किया जाये :

(परन्तु पाकिस्तान के अल्पसंख्यक सम्प्रदायों का कोई सदस्य किसी अनुज्ञा-पत्र या पार-पत्र के किसी नियम का उल्लंघन करने वाला नहीं समझा जायेगा, यदि वह भारत के राष्ट्रजन के रूप में भारत में रहने के उद्देश्य से यहां प्रव्रजन कर के आ जाये ।)

जो मिनिस्टर साहब ने हलके हलके से बात की कि यह माइनारिटी (अल्पसंख्यक) की बात है, उस के मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता । यह माइनारिटी के खिलाफ है, इस के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता । अभी जो दूसरा पहलू है, कांस्टीट्यूशनल, उस के मुताल्लिक मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । इस वक़्त जो बिल आप के सामने पेश है, मैं समझता हूं कि जब तक हम इस के एम्स एंड आब्जैक्ट्स को न पढ़ जायें तब तक यह साफ़ नहीं होता कि हम क्या करें, क्या न करें इस बिल के एम्स एंड आब्जैक्ट्स में क्या लिखा हुआ है । एक तो यह बिल १९४९ का जो ऐक्ट है, उस की रिपील करता है । यह है नम्बर एक । नम्बर दो यह है, इस विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान से प्रव्रजन (नियंत्रण) निरसनकारी अध्यादेश १९५२ को अधिनियम का रूप देना है । दूसरा प्रावीजन यह है । इस बिल के पास करने में दो बातें हैं । अब जो बिल पेश हो रहा है इस में एक सेविंग क्लाज (savings clause) है । सेविंग्ज में यह जो १९४९ का ऐक्ट है उस के मुताल्लिक तो लिख दिया गया है कि इस का यह एप्लिकेशन होगा, यह नहीं होगा । जिस ऐक्ट को रिपील करना है उस की सेविंग्ज आ सकती है और जिस को ऐक्ट में कनवर्ट (convert) कर रहे हैं, उस की सेविंग्ज क्यों नहीं आ सकती इस की वजह भी मुझे बताइये । इस वास्ते जो अमेंडमेंट मैं कर रहा हूं वह बिल्कुल ठीक है, कांस्टीट्यूशनल है, और बिल्कुल इन लाइन है । इस लिये इस को रूल आउट करना मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं होगी । अब आप की इजाज़त से मैं बाकी अमेंडमेंट के बारे में अपनी स्पीच जारी रखता हूं ।

साहब सदर, असल बात यह है कि इस वक्त हाउस में इतनी डिबेट हुई उस के बाद जो लोगों का ट्रेंड है, विचार है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो तमाम ख्यालात को रिप्रज़ेंट करती है, उस के लिये यह मुनासिब था कि वह इस बिल को लाते वक्त इन तमाम बातों पर गौर कर लेती । जो लोगों के विचार हैं उन पर गौर कर लेती । लेकिन, खैर वह नहीं किया । अभी आप ने एक स्टेटमेंट किया और उस में मुझ को एतराज है । लेकिन इस डिबेट से एक बात तो वाज़ै हो जाती है, कि यह जो हाउस है वह इस पर किस तरह विचार कर रहा है । इस हाउस के अन्दर तमाम इस अमेंडमेंट के पक्ष में हैं । हमारे जो मैम्बर अपोज़ीशन में हैं वह भी बोले उन्हों ने भी उस की स्पिरिट को सपोर्ट किया । और मुझे बडी खुशी हुई कि हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों ने भी सपोर्ट किया तो इस से मालूम पड़ता है कि कनसेनसस आफ ओपीनियन इस हाउस के अन्दर उन को छोड़ दीजिये जो कि बाहर आज लोग हैं और ईस्ट बंगाल डे मनाते हैं, जो लोगों का ख्याल है उस से कम से कम वे तमाम इस अमेंडमेंट को चाहते हैं । वे चाहते हैं कि इस

[लाला अचिंत राम]

अमेंडमेंट को सपोर्ट किया जाये । । मैं ने एक दूसरी बात हाउस के अन्दर और देखी । आम तौर पर यह बात कही जाती है कि हमारा ताल्लुक इस मामले में बहुत नहीं हो सकता । जो पाकिस्तान के अन्दर माइनारिटीज़ हैं दूसरे मुल्क के अन्दर हैं, जैसे एक फ़ौरेन कंट्री के अन्दर । इस हाउस में जो डिस्कशन हुआ उस ने यह भी बात साफ़ कर दी कि अगर यह हाउस मुल्क की फीलिंग को रिप्रैज़ेंट करता है तो 'कंट्री इज़ फ़ीलिंग वैरी स्ट्रांगली आन दिस प्वाइंट' । वह समझता है कि यह हमारी ज़िम्मेदारी है । यह बात नहीं है कि वह दूसरे मुल्क में हैं इस वास्ते हम को मतलब नहीं कि उन की सिक्योरिटी हो या न हो । कम से कम हाउस के अन्दर जो लोग हैं उन के विचार ऐसे नहीं हैं । यह बात मैं इसलिये कर रहा हूं कि वहां पर इनसिक्योरिटी है । इस चीज़ को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कबूल कर चुके हैं । इनसिक्योरिटी वहां पर है । थिंग्ज़ आर नाट सैटिसफ़ैक्टरी । बाक़ी तो सारे इस को मान ही चुके हैं और कांग्रेस के दोस्त भी इस चीज़ को मानते हैं । अब सवाल यह है कि इन हालात के अन्दर सिक्योरिटी कैसे हो, यह बात आप के सामने है । सिक्योरिटी लाने के लिये मैं समझता हूं कि मुख़्तलिफ़ तरीके बताये गये हैं । मैं ने भी एक तरीका सजेस्ट किया था जिस का पंडित ठाकुर दास जी ने ज़िक्र किया और औरों ने भी ज़िक्र किया । तरीके असल में दो हैं, एक वायलैंस (हिंसा) का और एक नानवायलैंस (अहिंसा) का है । मैं मुखर्जी साहब की जो कम्यूनिस्ट हैं । तकरीर को बड़े गौर से सुन रहा था कि वे बतायें कि क्या तरीका है । उन्हों ने कोई खास तरीका नहीं बताया । सिर्फ कम्युनल न होना यह काफ़ी नहीं है । कुछ ठोस बात बताइये । अगर आप चाहते हैं कि हल निकले तो हल या तो लड़ाई का है उस को आप मुनासिब नहीं समझते, वह ठीक नहीं है तमाम चीज़ों के खिलाफ़ है । अगर यह तरीका नहीं है तो फिर रास्ता क्या है ? इसलिये मैं गवर्नमेंट से कहता हूं और उन आदमियों से कहता हूं जो मानते हैं कि लड़ाई का रास्ता नहीं चाहिये, कि फिर रास्ता क्या है । हाथ पर हाथ धर कर बैठने से काम नहीं चलेगा । मैं ने यह अर्ज़ किया था कि इस वक्त यहां पर मौलाना आज़ाद साहब महसूस करते हैं इस बात को कि माइनारिटीज़ की दिक़्क़त क्या है, उन को क्या तकलीफ होती है, क्या कष्ट होता है । क्योंकि जैसा डाक्टर चोइथराम जी ने कहा रिफ्यूजीज़ का मसला वही समझ सकता है जो कि रिफ्यूजी हो, जिस को एक एक इंच पर दिक़्क़त पैदा हो । इस वास्ते मौलाना आज़ाद साहब समझ सकते हैं, कि माइनारिटीज़ को क्या कष्ट होता है, इसलिये मैं ने कहा था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया एक ईस्ट बंगाल माइनारिटी मिनिस्ट्री कायम करे और उस के इन चार्ज मौलाना साहब हों । मैं मौलाना साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जैसे कि वह मुल्क में कई वक्त काम पर आगे आये हैं, मैं जानता हूं कि उन्हों ने कई बार मुल्क में वक्त पड़ने पर बहुत काम किया है, उसी तरह 'ही शुड कम आउसट टु सेव दी कंट्री, नाट इंडिया बट पाकिस्तान एज़ वैल ।' मैं उम्मीद करता हूं कि वह आवेंगे और अपनी सरविसेज़ आफर करेंगे कि आई बिकम इनचार्ज आफ दिस माइनारिटी मिनिस्ट्री । और इस के लिये नानवायलैंट फोर्सेस मोहय्या हों, सब तरफ के आदमी हों, कम्युनिस्ट भाई भी जो इस मामले में नानवायलैंट, तरीके पर विश्वास करते हों । जितनी नानवायलैंट फोर्सेज हों, विनोवाजी हैं, पंडित जी खुद हैं, और जितने

इस मुल्क के अन्दर आदमी हैं जो नान-वायलैंट तरीके पर चलना चाहते हैं और वार मैथडस को पसन्द नहीं करते हैं, वह तमाम इस में हों और मौलाना साहब की मदद में हों। और उस मिनिस्ट्री की उम्र पांच साल की हो, पांच साल वह मिनिस्ट्री काम करे और यहां से वहां २०० आदमी ऐसे जायें जो कि मुल्क के पार्टीशन को ऐक्सैप्टेड फैक्ट मानते हों, वह ईस्ट बंगाल में जा कर काम करें। पार्टीशन आफ दी कंट्री हैज़ कम, वी ऐक्सेप्टेड इट ब्लाइन्डली। ऐसे आदमी वहां भेजे जायें जो नान-वायलैंस में विश्वास करते हों और जिन लोगों के अन्दर किसी के प्रति दुश्मनी न हो ऐसे लोगों को वहां काम करने भेजा जाये। मैं समझता हूं कि हमारे आज़ाद साहब, आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बैस्ट पौस्बिल फोर्सेज को मौबिलाइज़ करें और गवर्नमेंट आफ इंडिया इस काम के लिये कुछ रुपया दे, और अगर उस आरगैनाइज़ेशन को रुपये की ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट उस की मदद करे, प्रत्येक आदमी को चार पांच सौ रुपया दे दे। वह लोग वहां जा कर पांच साल काम करें और अपने काम और प्रोग्रेस की रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया को दें। वहां पाकिस्तान में पहुंच कर वे लोग प्रेस के टोन को ठीक करें, जैसा अगर कहीं ऐबडक्शन का केस होता है तो उस को गवर्नमेंट के नोटिस में लायें, लोगों को उन की प्रापरटी रेस्टोर करायें, उन को देखना चाहिये और इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि प्रेस अपना रोल ठीक तरह अदा करे। प्रेस से मिल कर काम करें और इस बात की कोशिश करें कि वहां का वायुमंडल अच्छा बन सके। मैं खरे साहब से नहीं कह रहा जो बिल्कुल इस बारे में उम्मीद ही नहीं रखते और इस को लाइलाज समझते हैं।

डा० एन० बी० खरे : मुझे सचमुच बिल्कुल उम्मीद नहीं है।

लाला अचिंत राम : मैं यह बात उन आदमियों और मेम्बरों से कह रहा हूं जो इस वक्त ज़िम्मेदार समझे जाते हैं।

हम युद्ध नहीं चाहते, आर्थिक प्रतिबन्ध नहीं चाहते। फिर आप इस का कोई हल निकालिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक साथ ही दूसरी ओर के तर्कों को बुरा बता रहे हैं कि डा० मुखर्जी के तर्क व्यर्थ क्यों हैं। उन्हें इस विषय पर ही सीमित रहना चाहिये।

लाला अचिंत राम : सभापति जी, माफ कीजिये, मेरा ख्याल है कि शायद चूंकि आप मेरी हिन्दी या हिन्दुस्तानी को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिये कुछ कनफ्यूज़न हो रहा है। मैं जो बतला रहा हूं उस की मंशा यह है कि आप अगर वह सामान नहीं कर सकते जो मैं ने आप को बतलाया, तो कम से कम परमात्मा के लिये उन को यहां आने तो दीजिये। अब अव्वल तो जो मैं ने सुझाव दिया है, उस पर विचार कीजिये, और तब मुझे कोई अमेंडमेंट और आप को कोई बिल लाने की जरूरत नहीं पेश आयेगी।

जब ईस्ट बंगाल का मसला आता है, मैं अपनी पोज़ीशन साफ़ और वाज़ै कर दूं और इस वास्ते मैं ने अपना अमेंडमेंट पेश किया। यहां पर यह बात कही गई कि इस वक्त जो माइग्रेशन हो रहा है, उस का एक कारण यह है कि आज इंडो-पाकिस्तान रिलेशन्स अच्छे नहीं हैं, और अच्छे सम्बन्ध न होने का कारण काश्मीर की समस्या, शरणार्थी सम्पत्ति समस्या का अभी तक हल न होना है। अगर आप समझते हैं कि यह प्रश्न हल हो गये हैं तब तो दूसरी बात है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि यह प्रश्न अब तक नहीं सुलझ पाये

[लाला अचिंत राम]

मुझे तो पाकिस्तान के नब्बे लाख अल्पसंख्यकों की चिन्ता है। निष्क्रान्त सम्पत्ति या काश्मीर से यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है ।

मैं यह चीज़ यहां पर साफ़ कर देना चाहता हूं कि यहां पर हिन्दू, मुसलमान का सवाल नहीं है, यह मसला ऐसा है जिसे आप को नेशनल लेविल पर तय करना है। अभी भी आप को यह बतलाया गया कि मिनिस्टर साहब वहां सर्टिफिकेट ईश्यू करेंगे, इस मसले पर तीन-चार दिन से डिबेट हो रही है और इस डिबेट के बाद उन्हों ने जो यह हल निकाला है मैं उसे बिल्कुल काफ़ी नहीं समझता। क्या कोई व्यक्ति दूर के देहात से पहले ढाका जायेगा, फिर प्रमाण-पत्र ले कर भारत आयेगा ? यह तो असंभव है । मैं तो यह चाहता हूं कि आप बिल्कुल यह फैसला कर दें कि माइनारिटी का जो आदमी आना चाहे और जो यह महसूस करे कि वह वहां नहीं रह सकता वह यहां आ सके, मेरा बस यही कहने का मक़सद है ।

आप ने कहा कि सर्टिफिकेट वहां से ले लें, वहां से पासपोर्ट मिल जायगा। फर्ज़ कीजिये कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो क्या आप सज़ा देंगे ? अगर वह सर्टिफिकेट नहीं लायेगा तो भी कुछ न किया जायेगा ऐसा कहना चाहिये । आप को इस का ऐलान करना चाहिये कि सर्टिफिकेट लायें तब तो बहुत ही अच्छा लेकिन न लायें तो सज़ा नहीं होगी, और आयें तो सज़ा नहीं होगी। यही एक हल है । यह तो आप ने कहा हल्के से कि यह माइनारिटी की बात करता है । बात यह है कि माइनारिटी का जो सवाल है उस में आई वान्ट टु बर्स्ट दि बब्ल । आप माइनारिटी की बात कहते हैं। मैं आप से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि जब आप ने विश्वास साहब को माइनारिटी मिनिस्टर बनाया था तब यह बात कहां से आई। आप को आवश्यकता अनुभव हुई और आप ने यह मंत्रालय बनाया। इस वास्ते मैं यह कहूंगा कि मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि माइनारिटी लफ्ज़ से घबराहट पैदा हो जायेगी, अगर आप माइनारिटी मिनिस्ट्री बना सकते हैं और आप के सेकुलेरिज़म को धक्का नहीं पहुंचता है तो इस के करने में क्या बात है ? काश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने फरमाया जो मुसलमान वहां से काश्मीर को छोड़ कर गये हैं वह वापस आयें, मैं इस को वैलकम करता हूं, मैं बड़ा खुश हुआ । अब यदि उन को नान-कम्युनल साबित करने के लिये कहना पड़ता है कि हम हिन्दुओं को भी लायेंगे । क्या अच्छी बात होगी, वहां अब हिन्दू तो हैं ही नहीं, आयेंगे कौन । लेकिन ताकि लोग कम्युनल न कहें, इसलिये कि अगर यह कहेंगे कि मुसलमान आजायें तो यह मालूम होगा कि वह कम्युनल बात कहते हैं, इसलिये कहो कि हिन्दू भी आ जायें और मुसलमान भी आ जायें । सिचुएशन यह है कि हिन्दू तो आ गाये, और मुसलमानों के लिये उन्हों ने कहा कि जो आना चाहें आ जायें । बड़ी खुशी की बात है । मैं समझता हूं कि यहां पर कोई भी आदमी नहीं होगा जो कि अब्दुल्ला साहब की नान-कम्यूनल बात को डाउट करेगा । सच ए फाइन मैन । बहुत सी बातें अक्सर ऐसी करनी पड़ती हैं जो कि मुनासिब होती हैं भले ही उन की शक्ल बहुत अच्छी न हो। मैं जानता हूं कि महात्मा जी क्या किया करते थे । जब महात्मा जी ने कहा कि हरिजनों के मामले को हल करो, तो लोगों ने कहा कि हिन्दू भी हल करें, मुसलमान भी हल करें, और ईसाई भी हल करें, नहीं तो यह कम्युनल बात हो जायेगी। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि नहीं यह

बात नहीं है : जो स्वर्ण हिन्दू हैं वही अनटचेबिलिटी में बिलीव करते हैं, इस लिये इस को वही हल करें। हम ने उस वक्त कहा कि गांधी जी कम्युनल मूव करते हैं लेकिन जब इस पर विचार किया तो मालूम हो गया कि नहीं महात्मा जी का इरादा कम्युनल कभी नहीं था। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माइनारिटी की बात कहना, हिन्दुओं की बात कहना खराब बात नहीं है। इसलिये लैट अस फ़ेस दी सिचुऐशन । हल्के से कह देना ठीक नहीं है कि यह कम्युनल प्राबलम है । इसलिये मैं कहना चाहता कि इस को एक्सेप्ट कीजिये कि यह कम्युनल नहीं है। इट इज़ नाट कम्युनल, इट इज़ जस्ट मीटिंग दि सिचुऐशन। इस में खराबी की कौन सी बात है ?

अब जहां तक इस को ऐक्ट में लाने की बात कही गई, तो मैं पूछता हूं कि आखिर यह जो बिल है यह क्या है ? लैट अस ऐनालाइज़ इट। इस का मतलब सिर्फ यह है कि जो एफ़र्ट हम ने की उस एफ़र्ट में हमें फेल्योर हुई। हम नहीं चाहते थे कि पासपोर्ट सिस्टम जारी हो, लेकिन आज हमारी बहुत कोशिश के बावजूद पासपोर्ट सिस्टम जारी हो गया। हमें नाकामयाबी हुई। लेकिन मैं उन भाइयों से कहता हूं कि मुझे अफ़सोस नहीं है। मैं यकीन करता हूं कि पंडित जी ने या हमारी गवर्नमेंट ने जो तरीका एडोप्ट किया वह समय को देखते हुए ठीक था। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट की पालिसी बहुत खराब रही है, आई बैग टु डिफर फ्राम दैट प्वाइंट आफ व्यू। मैं समझता हूं कि उस वक्त जैसे झगड़े हो रहे थे उस को देखते हुए अगर नेहरू-लियाकत पैक्ट न हुआ होता तो क्या होता। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती। मान लीजिये मेरा कुर्ता है, वह यहां से फट जाता है, वहां से फट जाता है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि यह सारा कुर्ता फटा हुआ है। मान लिया कि नेहरू-लियाकत पैक्ट में कुछ खराबियां थीं, या जितना गुड उसे करना चाहिये था उतना नहीं किया, लेकिन तब भी उस की वजह से हालत बहुत सुधरी है।

डा० एन० बी० खरे : गुड़ किया लेकिन शकर नहीं किया।

लाला अचिंत राम : यह गलती आप के देखने के तरीके की है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने ठीक किया और नेहरू-लियाकत करार बहुत कुछ सफल रहा। यह ज़रूर है कि ब्रीचेज़ हुई हैं, लेकिन वह ब्रीचेज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हुई हैं, इस ख्याल से कि हम इस पैक्ट को रूल आउट कर दें यह क्रिटिसाइज करने का तरीका गलत है। जरा सोचिये तो कि एक लाख आदमी आये, दो लाख आदमी आये, तीन लाख आदमी आये, १४ लाख आदमी आये। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह एक अक्लमन्दी की बात थी, इट वाज़ एन ऐक्ट आफ विज़डम आन दी पार्ट आफ पंडित नेहरू। मैं इस ख्याल में शामिल हूं कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश की और जो भी इन्तजाम मुमकिन हो सकता था वह रिफ्यूजीज़ के लिये किया गया और मुल्क का फायदा किया।

अब जहां तक और चीज़ों का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान से पासपोर्ट का सिस्टम जारी हुआ उस में माइनारिटी पर रुकावट डाली है, शायद इस बुराई में से कोई भलाई निकल आये।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) : श्रीमान्, मैं थोड़े से शब्द उस भ्रान्ति को मिटाने के लिये कहना चाहता हूं

[श्री बिश्वास]

जो कि यहां मेरे माननीय मित्रों के मन में प्रतीत होती है। इस संशोधन का क्या उद्देश्य है ? इस का उद्देश्य उन प्रव्रजकों की रक्षा करना है जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, और इस में यह सुझाव दिया गया है कि यदि किसी पार-पत्र या दृष्टांक के नियमों का उल्लंघन हो जाये तो उन्हें उस उल्लंघन के लिये दंड न दिया जाये और भारत को चाहिये कि उन्हें बिना किसी रोक टोक के आने दे। मैं यह बता देता हूं कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है, जो लोग पाकिस्तान से भारत को किसी यात्रा-पत्रों के बिना आये उन्हें दंड देने का भारत की ओर से कभी प्रश्न नहीं उठा और न कभी उठेगा। यदि पार-पत्र नियमों का कोई उल्लंघन होगा तो वह पाकिस्तानी पार-पत्र नियमों का ही उल्लंघन होगा। ठीक हो या गलत हमारा उस पर कोई बस नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस बात का ध्यान रखें।

चाहे वह प्रव्रजक हो या अन्य कोई, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक संप्रदाय का कोई सदस्य यदि पाकिस्तानसे भारत प्रव्रजन करना चाहता है, तो भारत के कोई भी ऐसे पार-पत्र नियम या दृष्टांक नियम नहीं हैं जिन से उसे भय हो कि उसे ऐसी विधियों या पार-पत्र नियमों के उल्लंघन के लिये दंड दिया जायेगा।

आपातिक प्रमाणपत्रों के विषय में मैं स्थिति को एक क्षण में स्पष्ट कर देता हूं।

जब पाकिस्तान ने पार-पत्र प्रणाली लागू क चाहा तब भारत ने विर ध किया था और कहा था कि यह दिल्ली करार के उपबन्धों के विरुद्ध होगा। उन्हों ने उत्तर दिया कि पार-पत्र नियमों से दिल्ली पैक्ट का अतिक्रमण नहीं होगा। ठीक हो या गलत हो, हमें यही उत्तर मिला। हम ने उन की बात मान ली। थोड़े दिन पहले ही जब मैं ढाका में था और वहां के मेरे समान मंत्री श्री अज़ीज़ुद्दीन अहमद से बात कर रहा था तब मैं ने सब से पहले उन्हें यही कहा "आप ने कहा है दिल्ली पैक्ट का उल्लंघन नहीं होगा। आप कृपया लिख दीजिये कि आप के पार-पत्र नियमों या दृष्टांक नियमों को ऐसे प्रकार कार्यान्वित या निर्वचित नहीं किया जायेगा कि वे दिल्ली करार के उपबन्धों के विपरीत हों।" उन्हें यह बात माननी पड़ी, कोई और उपाय ही नहीं था। अतः यह बात अब लिखत में है। जब मैं ढ़ाका में था तब एक प्रैस विज्ञप्ति निकाली गई थी।

डा० एस० पी० मुखर्जी : उस पर अमल नहीं किया गया।

श्री बिश्वास : मुझे पता नहीं है कि वह यहां के पत्रों में छपी या नहीं, परन्तु दोनों सरकारों के बीच यह बात अभिलेख-बद्ध हो गई है कि पार-पत्र प्रणाली को ऐसे प्रकार कार्यान्वित या निर्वचित नहीं किया जायेगा कि प्रव्रजन यातायात में कोई बाधा पड़े—उस यातायात में जिस की व्यवस्था अप्रैल १९५० के दिल्ली करार में को गई थी। इतनी सफलता मिली थी। वास्तव में उस पर अमल हो रहा है या नहीं वह दूसरी बात है। मैं अपने से या माननीय सदस्यों से यह बात छिपाना नहीं चाहता कि हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जो प्रव्रजक आना चाहते हैं उन के मार्ग में तरह तरह की बाधायें डाली जा रही हैं। वास्तव में मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि जब पारपत्र प्रणाली आरम्भ की जाने वाली थी तब दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हो गई थीं कि जहां तक प्रव्रजकों का सम्बन्ध है, उन्हें पाकिस्तान के चेकिंग के स्थान से गुजरने दिया जायेगा, चाहे उन के पास यात्रा-पत्र न भी हों, परन्तु, वास्तव में, उस पर अमल नहीं किया गया।

डा० एस० पी० मुखर्जी : किस ने नहीं किया ?

श्री बिश्वास : पाकिस्तान ने । जो लोग आना चाहते थे उन्हें चेकिंग के स्थान पर रोक लिया गया । फिर उन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया । उन्हों ने यह सफाई दी कि इन प्रव्रजकों को जाने देने के विषय में उन्हें कराची से हिदायतें नहीं आई हैं । फिर पत्र-व्यवहार हुआ और उन्हें यह बताया गया कि कराची ने वह व्यवस्था स्वीकार कर ली थी जिस का कि हम ने सुझाव दिया था। उन्हों ने यह कहा था कि वे उसे पार-पत्र नियमों में नहीं रखेंगे परन्तु वास्तव में वे इस करार का पालन करेंगे ।

फिर उन्हों ने दूसरा प्रश्न उठाया "हम ने यह नहीं कहा था कि कोई यात्रा-पत्र अपेक्षित नहीं होगा । हमने तो यह कहा था कि पार-पत्र की अपेक्षा नहीं होगी परन्तु कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक होगा ।" हम ने कहा, "आप का तो यही समाधान होना चाहिये कि वे प्रव्रजक हैं; कि यदि पार-पत्र प्रणाली न होती तो उन्हें निर्बाध यातायात की संचरण की स्वतंत्रता होती ।" उन का उत्तर यह था "ठीक है, परन्तु पाकिस्तान में आप के उप-उच्चायुक्त को यह कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति प्रव्रजक है या नहीं । यदि कोई न्यायालय से बच कर भागना चाहे तो उप-उच्चायुक्त के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिस से कि इस विषय में उस का समाधान हो सके ।" वह व्यर्थ तर्क था । जब दिल्ली पैक्ट पूरी तरह लागू था और पारपत्र प्रणाली नहीं थी तब क्या होता था ? कोई भी आ सकता था और किसी के मार्ग में इस आधार पर कोई बाधा नहीं डाली जाती थी कि वह न्यायालय से बच कर भाग रहा होगा । हम चाहते हैं कि वही स्थिति अब भी चलती रहे । मामला यहीं पर रुका पड़ा है । उस का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । उन का कहना यह है कि कोई दस्तावेज आवश्यक है और वह दस्तावेज पाकिस्तानी अधिकारी से लेना होगा, क्योंकि वही यह कहने में सक्षम है कि कोई व्यक्ति सचमुच प्रव्रजक है या नहीं । परन्तु इतना तो लिखत में आ गया है और दोनों सरकारें इस पर सहमत हो गई हैं कि जहां तक प्रव्रजन-यातायात का सम्बन्ध है दिल्ली पैक्ट वैसे ही रहेगा । जो भी यात्रा-सुविधायें उस करार के अन्तर्गत प्राप्त थीं वे अब भी लागू समझी जायेंगी । स्थिति ऐसी है ।

इस संशोधन के विषय में मैं यह कहना चाहता था । इस प्रकार का संशोधन मेरी समझ में नहीं आ सकता था, यदि भारत किसी के विरुद्ध इस आधार पर कोई कार्यवाही करे कि वह पार-पत्र नियमों का उल्लंघन कर रहा है । जब वह भारत आयेगा तो उसे बिना किसी रोक टोक के आने दिया जायेगा । वह उल्लंघन भारत के पार-पत्र नियमों या दृष्टांक के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा । यदि कोई उल्लंघन होगा तो वह सीमा पार के नियमों का उल्लंघन होगा । अतः किसी व्यक्ति को किसी दंड से मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाहे कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रजन के रूप में सदा यहां रहना चाहे या न चाहे, इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता, यदि वह भारत आना चाहेगा तो हम उस के मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे कि उसके पास यात्रा-पत्र नहीं है, यदि वह पाकिस्तान से भारत को सचमुच प्रव्रजन कर रहा है । यह स्थिति है, और यही स्थिति पहले थी और यही स्थिति सदा रहेगी । अतः ऐसी कोई शंका नहीं होनी चाहिये कि हमारी ओर किसी पार-पत्र नियमों के कारण ऐसे किसी व्यक्ति को दंड देना उद्दिष्ट है । मैं यही बताना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधेयक के भार-साधक माननीय मंत्री ने बताया था कि आपात्तिक प्रमाण-पत्रों के बाद कोई पार-पत्र आवश्यक नहीं होगा । अब अल्प-संख्यक कार्य मंत्री ने कहा है कि ऐसे मामलों में भी पाकिस्तानी अधिकारियों का दखल होगा, और अभी तक इस मामले का कोई विनिश्चय नहीं हुआ है । आपात्तिक प्रमाण-पत्रों के विषय में अब भी पाकिस्तानी अधिकारी कह रहे हैं कि वे अपना समाधान करना चाहते हैं कि आवेदिक सचमुच प्रव्रजक हैं या नहीं । इस का अर्थ यह है कि हमारे उप-उच्चायुक्त को उन का निर्णय मानना होगा । ऐसा है तो फिर आपत्तिक प्रमाण-पत्रों से लाभ ही क्या है ?

४ म० प०

माननीय पुनर्वास मंत्री तथा माननीय विधि मंत्री दोनों ने सदन को यह आश्वासन दिया है कि भारत की ओर से ऐसे लोगों के मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली जायेगी । यदि इस आश्वासन को विधेयक में अन्तर्विष्ट कर दिया जाये तो इस में क्या हानि है ? माननीय मंत्रियों और लाला अचिंत राम का मंशा एक ही है । हमें इस की प्रत्याभूति विधेयक में रख देनी चाहिये । मान लीजिये किसी के पास प्रमाण-पत्र है ही नहीं फिर भी भारत उस का घर है, शरणस्थल है । मैं सदन और माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर–मध्य) उपवाचस्पति महोदय जब कभी यहां पर रिफ्यूजीज़ के बारे में बातें होती हैं तो हृदय भर आता है, और जब हम अपनी सरकार का यह जवाब सुनते हैं कि वह असहाय है तब तो हृदय को पत्थर का कर लेना पड़ता है । अगर अब मैं इस सम्बन्ध में और कुछ बोलूंगा तो शायद आप मुझ को ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे इसलिये मैं इतना ही कह कर जो संशोधन है, उस के ऊपर कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वहां पर जो हिन्दुस्तानी लोग रहते हैं या माइनारिटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वह यदि हिन्दुस्तान आना चाहें तो उन को किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिये । और यदि वह यहां आने में किसी कानून को भंग करें तो उन के खिलाफ़ किसी प्रकार की कार्यवाई नहीं होनी चाहिये । इसका मोटा उद्देश्य यही है । हमारी बहिन श्रीमती सेन ने यहां पर एक मिनिस्टर साहब से सवाल किया कि जो आप लोगों ने यह पासपोर्ट का सिस्टम रखा है और इस में यह रखा है कि लोगों को यह करना चाहिये और वह करना चाहिये और इस के पास जाना चाहिये और उस के पास जाना चाहिये तो जो लोग अनपढ़ हैं उन की क्या दशा होगी । यह आप हम को समझाइये । इस का उत्तर हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने यह दिया कि वहां पर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वह वहां सब लोगों को समझा देते हैं और यदि सब को नहीं समझा पाते हैं तो दो-एक आदमी को समझा देते हैं और वह एक दूसरे को बतला देते हैं और सब को इस तरह मालूम हो जाता है । इस सम्बन्ध में लोगों को कितनी तकलीफ होती है इस के कुछ उदाहरण हमारे डाक्टर मुखर्जी साहब ने दिये हैं ।

अब मैं उन को दोहराना नहीं चाहता । जैसा हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि वह दूसरों के पास जा कर समझ लेते हैं, यह तो बात हुई अनपढ़ लोगों की । मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कहता हूं । वह बात भी जरा सी सुन लीजिये । एक हमारे मित्र

कलकत्ता में हाई कोर्ट के ऐडवोकेट हैं । उन के कई एक रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं । वे इंडियन नेशनल्स हैं । उन की वहां पर बहुत प्रापर्टी है और वह यहां आना चाहते हैं । उन्होंने हमको लिखा कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्हों ने १० अक्तूबर को वहां पर दरख्वास्त दी थी कि वे यहां पर आना चाहते हैं और आज एक महीना दस दिन हो गये, पर उन को आने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, न उन को कोई सर्टिफिकेट मिलता है । क्या करें, बड़ी तकलीफ में पड़े हुए हैं । उन्हों ने लिखा कि अब हम को क्या करना चाहिये, कृपा कर के हम को बतलाइये । मैं ने सुना है कि उन लोगों की दरख्वास्त बिहार गवर्नमेंट के पास गई है और वहां से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है । तो मेरे पास जब यह दरख्वास्त आई तो मैं इस कानून को अच्छी तरह जानता नहीं था । मैं ने दो एक मित्रों से पूछा कि क्या करना चाहिये । तो उन्हों ने कहा कि हम ठीक से, अच्छी तरह नहीं समझते हैं । आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से पूछ लीजिये । मैं चन्दा साहब के पास गया और जो पत्र हमारें पास आया था वह उन को दिखाया कि देखिये, मेरे पास यह पत्र आया है, इस में क्या करना चाहये । तो उन्हों ने कहा कि अच्छी बात है, हम को लिख कर भेज दीजिये, इस पत्र को भी भेज दीजिये, तब पीछे आप को बतलाऊंगा । हम ने कहा कि ठीक है । दूसरे दिन मैं ने एक चिट्ठी लिखी और उस पत्र को भी मैं ने उन के पास भेज दिया । एक दिन तो मैं ठहरे रहा । फिर उन को याद दिलाया तो चार पांच दिन के बाद जवाब आया । मैं ने वह पत्र अपने मित्र को भेज दिया । मेरे मित्र का अभी पत्र आया है । वे लिखते हैं कि जो डिप्टी मिनिस्टर साहब लिखते हैं वह ठीक है या जो डिप्टी कमिश्नर कहता है वह ठीक है क्या कहें समझ में नहीं आता । अनपढ़ की बात छोड़िये पढ़े लिखे पार्लियामेंट के मेम्बर और मिनिस्टरों की यह हालत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि वे संशोधन को तो स्वीकार कर नहीं सकते, परन्तु प्रव्रजकों को निर्बाध आने दिया जायेगा । माननीय सदस्य अब बतायें कि इस उपबन्ध की अब क्या विशेष आवश्यकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारा उप-उच्चायुक्त प्रमाण-पत्र दे देगा तब भी अन्तिम निर्णय पाकिस्तानी अधिकारी ही करेंगे ।

श्री ए० पी० जैन : उन्हों ने ऐसा कभी नहीं कहा । उन्हों ने तो यह कहा था कि आपातिक प्रमाणपत्र देने के पश्चात् कोई कुछ नहीं कह सकता ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : अब उन्हें ऐसा कहने दीजिये ।

श्री बिश्वास : बात यह हुई थी । कहा यह गया था कि ढाका में भारत का पाकिस्तान स्थित उप-उच्चायुक्त एक प्रमाण-पत्र दे कर यह प्रमाणित करेगा कि वह व्यक्ति एक प्रव्रजक है और यदि वह उसे चेकिंग के स्थान पर दिखा देगा तो उसे सीमा पार करने दी जायेगी । परन्तु वे हठ कर रहे हैं, "नहीं, औपचारिक दस्तावेज आवश्यक हैं," क्योंकि वहां उपायुक्त यह तस्दीक नहीं कर सकता कि वह प्रव्रजक है या नहीं । उन्हों ने यह विवाद उठाया था । हम ने कहा कि यह प्रमाण-पत्र प्रव्रजन-प्रमाण-पत्र कहलायेगा जो कागज की चिट ही हो सकती है जिस पर यह प्रमाणित किया गया हो कि वह सचमुच प्रव्रजक है । परन्तु उन्हों ने कहा कि यह काफ़ी नहीं है, और वह आपातिक प्रमाण-पत्र होना चाहिये । उन्हों ने यह नाम 'आपातिक प्रमाण-पत्र' रखा और कहा कि यदि वह व्यक्ति भारतीय

[श्री बिश्वास]

राष्ट्रजन है तो उसे 'स्वदेश-पुनरागमन' प्रमाणपत्र भी दिखाना होगा। उन्हों ने इस पर हठ की है। हम ने कहा "नहीं, जिन प्रव्रजकों पर दिल्ली करार लागू होता है उन के विषय में उप-उच्चायुक्त से कोई भी कागज़ की चिट लेना पर्याप्त होना चाहिये," और इसे वे पहिले मान चुके थे। परन्तु अब वे इन यात्रा-पत्रों पर अड़ रहे हैं। उससे यह विवाद उत्पन्न हुआ है, और इस पर अभी तक दोनों सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि इस परन्तुक से रोग का कहां तक उपचार होगा, और यह कहां तक आवश्यक है। हम सरकार को कुछ शक्ति दें तो उस से क्या होगा जब कि दूसरी सरकार मानती ही नहीं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : दुर्भाग्य से माननीय उप-मन्त्री के कथन में और माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के स्पष्टीकरण में अन्तर है। उप-मंत्री ने तो कहा था कि जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उन के लिये पार-पत्रों की अपेक्षा नहीं होगी, उन्हें उप-उच्चायुक्त से केवल आपातिक प्रमाण-पत्र लेना होगा। परन्तु श्री बिश्वास ने अभी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी प्राधिकारी यह हठ कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तानी प्राधिकारी से भी दस्तावेज़ लेना होगा। हम ने पाकिस्तान को कुछ वचन तो दिया ही होगा कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले मुस्लिम प्रव्रजकों को पार-पत्र की अपेक्षा नहीं होगी। यदि पाकिस्तान पूर्वी बंगाल से आने वाले हिन्दू प्रव्रजकों के लिये वह प्रक्रिया लागू नहीं कर रहा जो श्री बिश्वास ने उन से तय की थी तो क्या भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम प्रव्रजकों के विषय में हम इस प्रक्रिया पर, अमल कर रहे हैं ? क्या हम ऐसे असहाय हो गये हैं .....

श्री बिश्वास : हम तो अपनी ओर किसी भी मुस्लिम प्रव्रजक को नहीं रोक रहे हैं। (**बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : आखिर पाकिस्तान सरकार उन्हें क्यों रोकती है जो यहां प्रव्रजन करके आना चाहते हैं ? मेरे ख्याल में उन्हें तो इन लोगों के आने पर हर्ष होता होगा।

श्री बिश्वास : इस प्रश्न का उत्तर तो वही सरकार दे सकती है। (**बाधा**)

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं आप से सहमत हूं। हमारे विचारों में कोई अन्तर नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार को पाकिस्तान सरकार से यह प्रक्रिया स्वीकार करवा लेनी चाहिये कि जो लोग पूर्वी बंगाल से आना चाहें, उन्हें पाकिस्तान प्राधिकारियों से किसी पत्र की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये, और आपातिक प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त होना चाहिये। दूसरी बात पाकिस्तान में हमारे उप-उच्चायुक्त की ओर से बहुत से केन्द्र खोलने चाहियें जिस से कि ग्रामवासियों को ढाका न आना पड़े।

श्री बिश्वास : हम ने पूर्वी बंगाल के विभिन्न भागों में बहुत से दृष्टांक अधिकारी रखने के लिये जोर दिया है, पर अभी हमें सफलता नहीं मिली है। हम पाकिस्तान सरकार के प्राधिकार बिना वहां कोई केन्द्र नहीं खोल सकते।

डा० एस० पी० मुखर्जी : अच्छा तो हम इतने असहाय हो गय हैं कि हमें वहां केन्द्र भी नहीं खोलने देते।

तीसरी बात यह है कि यहां ऐसी शर्त है कि जो व्यक्ति आपातिक प्रमाण-पत्र चाहे उसे यह घोषणा करनी होगी कि वह पाकिस्तान से सदा के लिये भारत आ रहा है। इस का अर्थ यह है कि वे अपनी सम्पत्ति को वहां सर्वथा

त्याग कर आयें। एसी स्थिति में हमारी सरकार को सोचना चाहिये कि वहां हमारा उप-उच्चायुक्त उन की सम्पत्तियों का संरक्षण करे ।

श्री बिश्वास : जहां तक दिल्ली पैक्ट के अन्तर्गत आने वाले प्रव्रजकों का सम्बन्ध है, प्रबन्ध यह था कि उन्हें ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे सदा के लिये आ रहे हैं। वे इच्छानुसार आ जा सकते थे । उन्हें आने के लिये उप-उच्चायुक्त का केवल यही प्रमाण-पत्र देना पड़ता था कि वे दिल्ली पैक्ट के अन्तर्गत प्रव्रजक हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : : दिल्ली पैक्ट को तो छोड़िये । वह तो गया आया ।

श्री बिश्वास : पार-पत्र प्रणाली के प्रारम्भ होने से पहले जो लोग दोनों देशों के बीच आने जाने में स्वतंत्र थे उन्हें अब भी वह सुविधा मिलनी चाहिये ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं ने तो उन की सम्पत्तियों का प्रश्न उठाया था । उनका क्या होगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह बिल्कुल ठीक है कि इस सभा में हम जो कुछ भी पारित करें वह पाकिस्तान पर लागू नहीं होता। दिल्ली पैक्ट के अन्तर्गत आने वालों के मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली जायेगी । चाहे हम इसे पारित करें या न करें, स्थिति वही रहेगी । परन्तु यहां आने वालों की सम्पत्ति का प्रश्न अवश्य तय होना चाहिये । या तो भारत सरकार उन की स्वामी बन जाये, या उनका पाकिस्तान से कुछ फैसला करे, या यहां वैसा ही निष्क्रान्त विधान बना कर प्रव्रजकों को प्रतिकर दे । भारत को ऐसी बात मानने से पहले खूब विचार करना चाहिये जिस का यह प्रभाव हो कि प्रव्रजकों की सम्पत्ति वहां ज़ब्त हो जाये ।

संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

खंड ३तथा खंड १ विधेयक में जोड़ दिये गमे ।

शीर्षक तथा अधिनियमन सूत्र भी विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री जे० के०भोंसले : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"विधयक को पारित किया जाये ।"

श्री ए० सी० गुहा : (शांतिपुर) : तीन विभाजित जिलों दिनाजपुर, मालदा और जलपेगुरी में, कई लोगों की सम्पत्ति दूसरी ओर है । उन्हों ने वहां खेत बोये हैं पर उन्हें वहां फसल काटने के लिये जाने नहीं दिया जाता । इस से देश की भी हानि है । आशा है माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे ।

विधेयक पारित हुआ ।

लोहा तथा इस्पात समवायों का एकीकरण विधेयक---जारी

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोहे तथा इस्पात के निर्माण तथा उत्पादन और उस से सम्बद्ध या आनुषंगिक मामलों में एक दूसरे से घनिष्टत: संयुक्त कुछ समवायों के एकीकरण के लिये, जनसाधारण तथा संघ के हित में विशेष उपबन्ध बनाने के विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाय ।"

श्रीमान्, जहां तक इस सदन तथा इस के पूर्वाधिकारियों का सम्बन्ध है, यह एक नया विधेयक है । अब सरकार दो लोहे तथा इस्पात समवायों के एकीकरण के लिये विधान बना रही है। मैं उन परिस्थितियों को बताना चाहता हूं जिन में सरकार ने यह विनिश्चय किया

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

है । परन्तु इस विधेयक की पूर्ववर्ती घटनाओं का वर्णन करने से पूर्व मैं सदन को यह भी बताता हूं कि सरकार ने २९ अक्तूबर को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था, जिस से 'भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय' और 'बंगाल का इस्पात निगम' को मिला कर एक समवाय बना दिया गया था । और उस अध्यादेश के फलस्वरूप ही यह विधेयक सदन में पेश किया गया है । दोनों समवाय अब एक समवाय के प्रबन्ध के अधीन हैं जिस का नाम 'मार्टिन बर्न तथा समवाय' है । भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय मौलिक प्रतिष्ठान था और बंगाल का इस्पात निगम बाद में बना था जो उष्ण धातु के लिये और शक्ति, जल तथा गैस आदि के लिये पहले समवाय पर आश्रित था । बंगाल के इस्पात निगम द्वारा बनाये गये इस्पात के मूल्य निर्धारण के विषय में प्रशुल्क मंडली ने १९४९ में प्रतिवेदन दिया था उस में दोनों समवायों के बीच के करार की ओर निर्देश कर के कहा गया था कि बंगाल के इस्पात निगम के सामान के असंतुलित होने से, उस का मूल्य टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय समिति के मूल्यों से अधिक रखना पड़ा है । प्रशुल्क मंडली ने १९४९ में अपनी सिफारिशों के संक्षेप में लिखा था "इस्पात निगम की निर्माण लागत टाटा समवाय से सदा अधिक होती है और इस अंतर के प्रधान कारण में ये हैं कि माल का मूल्य अधिक होता है, रिफ्रेक्टरियों पर अधिक खर्च होता है और सामान्यत: निर्माण का खर्च भी अधिक है ।" उन की सिपारिश यह थी "इस्पात उद्योग के उच्चतर हितों के लिये हम अनुभव करते हैं कि भारतीय लोहा तथा इस्पात निगम और बंगाल के इस्पात निगम का एकीकरण अब अभीष्ट होगा । एसे एकीकरण से एकसम प्रबन्ध हो जायेगा जिस से रुपया कम बरबाद होगा और अंततोगत्वा इस्पात की उत्पादन-लागत कम हो जायेगी जो टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय की उत्पादन-लागत से अधिक है । हम इसलिये सिपारिश करते हैं कि बंगाल के इस्पात निगम और भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय को शीघ्र ही दोनों संयंत्रों के एकीकरण की संभावना पर विचार करना चाहिये ।"

१९५१ में, इस समवाय के धारण मूल्यों के पुनरीक्षण का प्रश्न प्रशुल्क मंडली के समक्ष आया और मंडली ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका ४३ क में इन दोनों संयंत्रों के एकीकरण के विषय पर विचार किया । प्रतिवेदन में लिखा है :

> "मंडली ने इस कठिनाई को पहले ही अभिज्ञात किया है और अपने १९४८ के प्रतिवेदन में सिपारिश की है कि दोनों संयंत्रों के एकीकरण की संभावना पर शीघ्र ही विचार किया जाना चाहिये । १९५० में समवाय के प्रबन्धकों ने कुछ कार्यवाही की जिस से कि कार्य करने में दोनों यंत्रों का एकीकरण हो जाये । परन्तु यह महत्वपूर्ण है कि कम से कम इतना एकीकरण तो हो ही जाये कि हीरापुर का कार्य प्रधानत: बंगाल के इस्पात निगम के हितोंके अनुरूपहो । ऐसे एकीकरण के बिना बंगाल के इस्पात निगम में ठीक कार्य होना कठिन होगा ।"

प्रशुल्क मंडली का यह वक्तव्य है । बंगाल के इस्पात निगम के माल के धारण मूल्यों का इस वर्ष फिर पुनरीक्षण हुआ क्योंकि रेल-भाड़े में और उत्पादन-भारों में कुछ वृद्धि हो गई । प्रशुल्क मंडली ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका ११ में फिर इन समवायों के एकीकरण का राग अलापा है । उन्हों ने दोनों समवायों की वित्तीय स्थिति पर भी विचार किया है और कहा है कि यदि १९५१ तथा १९५२ के लिय बंगाल के इस्पात निगम के धारण मल्यों के

पुनरीक्षण को सरकार स्वीकार कर ले तो निगम की स्थिति में सारवान सुधार हो जायेगा। वे आगे चल कर कहते हैं :

> "अधिक महत्वपूर्ण बात यह है जो वास्तव में राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रधान लाभ है कि विलय से दोनों समवायों की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत सुविधा हो जायेगी । इन योजनाओं में वित्तीय आवश्यकताएं इतनी बड़ी हैं कि दोनों में से कोई भी समवाय उन्हें पूरा करने में कठिनाई अनुभव करेगा । दूसरी ओर एकी-कृत समवाय में दोनों संयंत्रों की सम्पत्ति मिल जाने के कारण विकास के लिये अतिरिक्त सम्पत्ति प्राप्त करना सुकर होगा । अतः, विलय से दोनों की आर्थिक दशा सुधरने के अतिरिक्त देश में लोहे तथा इस्पात की उत्पादन-क्षमता बढ़ जायेगी अतएव विलय होना राष्ट्रीय हित में है। हम सिपारिश करते हैं कि वे समवाय यथासंभव शीघ्रत्र दोनों संयत्रों के विलय के लिये दृढ़त से प्रयत्न करें।"

जब प्रशुल्क मंडली बंगाल के इस्पात निगम द्वारा निर्मित इस्पात के धारण मूल्य के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार कर रही थी, उसी समय सरकार इन दोनों समवायों के साथ उनके विकास कार्यक्रम के विषय में बातचीत कर रही थी। विकास योजनाओं पर बहुत छानबीन की गई है। इन योजनाओं के लिये जो विदेशी मुद्रा चाहिये वह दिलवाने के लिये सरकार ने पुनर्निर्माण एवं विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण के लिये इन समवायों के आवेदन पत्र का समर्थन किया । इन योजनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय बंक के प्रतिनिधि-मंडल से भी बातचीत हुई जो कि भारत आया हुआ था, और अंततोगत्वा हमने एक योजना लगभग स्वीकार कर ली है जिससे कि प्रति वर्ष ३,२०,००० टन इस्पात और ३,८०,००० टन ढलवां लोहा अथवा विकल्प में ४०,००० टन इस्पात तथा २,८०,००० टन ढलवां लोहा अधिक होगा । अंतर्राष्ट्रीय बंक से ऋण के लिये वार्ता चल रही है । उस ऋण के लौटाने के विषय में सरकार प्रत्याभूति देगी । सरकार ने समवाय को पांच करोड़ रुपये देने का वचन दिया है और योजना को पूरा करने के लिये सरकार से अधिक सहायता आवश्यक हो सकती है । वास्तव में कितनी सहायता अपेक्षित होगी यह तभी पता लगेगा जब कि विश्व बंक से सहायता के विषय में अंतिम स्थिति ज्ञात हो जायेगी । यह सुधार तभी संभव हो सकेगा जब कि दोनों समवायों को मिला कर एक कर दिया जाये । सरकार इस समवाय को धन उधार देगी और विश्व बंक से भी धन दिलवाया जायगा, इस कारण दो बातें आवश्यक हैं - एक तो यह कि अतिरिक्त इस्पात उत्पादन का उद्देश्य पूरा हो, और दूसरे यह कि यह समवाय लाभदायक हो । इन्ही कारणों से सरकार ने दोनों समवायों पर जोर डाला कि वे यथाशीघ्र एक हो जायें । साधारणतः ऐसा एकीकरण भारतीय समवाय अधिनियम की धारा १५३, १५३-क तथा १५३-ख के अनुसार होना चाहिये, परन्तु वह प्रक्रिया ऐसी लम्बी है कि एकीकरण में बहुत विलम्ब हो सकता है । इस्पात उद्योग के महत्व को देखते हुये, हम इस उद्योग के विकास में विलम्ब नहीं करना चाहते, अतः सरकार ने अनुभव किया कि इन दोनों समवायों के एकीकरण के लिये विधान बनाना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि इस विषय में इन दोनों समवायों के प्रबन्धक सरकार से सर्वथा सहमत हैं और मुझे पता लगा है कि उन्होंने यह प्रस्थापना अपने अपने समवाय के अंशधारियों के समक्ष भी रख दी थी ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए ।]

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

इस सम्बन्ध में दो बातों पर निर्णय होना था। एक तो एकीकरण की प्रक्रिया पर, और दूसरे इस बात पर कि दोनों के एकीकरण को संभव बनाने के लिए दोनों समवायों के अंशों के अनुपात को निश्चित करने का प्रश्न था। पहले प्रश्न पर प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन है जिसमें उस पर विचार किया गया है, दूसरे प्रश्न के विषय में माननीय सदस्यों ने प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन पढ़ ही लिया होगा जिसमें दोनों समवायों के साधारण अंशो का उचित अनुपात निश्चित किया गया है। यह आवश्यक है कि यह निर्धारण किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाये, और प्रशुल्क आयोग तथा उसके पूर्वाधिकारी प्रशुल्क मंडली ने दोनों समवायों की स्थिति पर समय समय पर विचार किया है अतः सरकार ने यह अनुभव किया कि प्रशुल्क आयोग ही इस अनुपात को निश्चित करने के लिये अधिकतम सक्षम है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका ९ में लिखा है :

> "ऊपर कंडिका ५ से ९ में जो लिखा है उस पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् और अन्य संगत बातों का ध्यान रखते हुए, हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय और बंगाल के इस्पात निगम के साधारण अंशों का उचित अनुपात ४:५ होगा और इसलिये हम उसकी सिपारिश करते हैं।"

इन दोनों समवायों के एकीकरण की बात कुछ समय से उड़ रही थी। यह सुविदित है कि अंश-मंडियों (श्रेष्ठिचत्वर) में भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय के अंशों का बहुत ऊंचा स्थान है। अतः यह अनुभव किया गया कि एकीकरण के लिये विधान बनाने का विनिश्चय करने के बाद उस विनिश्चय को कार्यान्वित करने में बहुत समय लग जायेगा तो इन दोनों समवायों के भावी कल्याण के लिये उसके गंम्भीर परिणाम होंगे। अतः इस विषय में, अर्थात् उचित अनुपात के निर्धारण तथा बाद के एकीकरण के विषय में सरकारी कार्यवाही का शीघ्र निर्णय करना था। इसी कारण २९ अक्तूबर १९५२ को अध्यादेश निकाला गया।

उस अध्यादेश के उपबन्ध इस विधेयक में रखे गये हैं और साधारण व्यक्ति को वे कठिन दिखाई देते हैं, परन्तु इस प्रकार के विधि-सम्बन्धी दस्तावेज़ों में सदा ऐसे ही उपबन्ध हुआ करते हैं। प्रधान खंड तो ७ (१) है जिसमें विघटित समवाय अर्थात बंगाल के इस्पात निगम के अंशों के विषेय में हस्तांतरण की शर्तें निश्चित की गई हैं। खंड ७ (१) (क) में इस्पात निगम के अधिमान अंशों का विषय है और प्रत्येक अधिमान अंशधारी को भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय में संख्या तथा मूल्य में उतने ही अधिमान अंश मिल जाते हैं जितने विघटित समवाय में उसके पास हों। खंड ७ (१) (ख) से विघटित समवाय के पांच साधारण अंशों के स्वामी को भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय में चार अंशों का हक्क मिल जाता है। माननीय सदस्यों ने इस विषय में कुछ संशोधन भेजे हैं जिनसे पता लगता है कि उनके मन में इस विषय में कुछ संशय है, अतः मैं यह बता देता हूं कि यें अधिमान अंश कर-मुक्त अंश हैं। अन्य खंडों में आवश्यक कानूनी बातें हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं यह आशा प्रकट करता हूं कि इस कार्यवाही से सदन के तथा सरकार के हितों और इच्छा की पूर्ति होगी कि सरकारी हस्तक्षेप द्वारा देश में लोहे तथा इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जाये। सदा यह कहा जाता रहा है कि व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप प्रायः अनुचित और बेतुका होता

है। मेरे विचार में इस हस्तक्षेप के विषय में यह बात नहीं है और मुझे विश्वास है कि देश तथा सदन उसका स्वागत करेंगे। यह हस्तक्षेप राष्ट्रभर के लाभार्थ किया जा रहा है। अभी तो मुझे यही कहना है। यदि कोई प्रश्न उठेंगे तो वाद-विवाद के अन्त में मैं उनका उत्तर दे दूंगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बी० सी० बोस (मनभूम उत्तर) : दोनों समवायों के पास बहुत से कारखाने और खानें हैं। एकीकरण के पश्चात उनमें से कितने नये समवाय के आधीन आयेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सभी।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं यह विधेयक "दोनों समवायों के एकीकरण" के लिये है। संविधान में इसके लिये कोई भी उपबन्ध नहीं है। माननीय सदस्य ने अनुसूची ७ की सूची १ की मद ४३ का आधार लिया प्रतीत होता है। मद ४३ में लिखा है "व्यापारिक निगमों का जिनके अंतर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगम भी हैं, किन्तु सहकारी संस्थाएं नहीं हैं, निगमन विनियमन और समापन।" मेरा निवेदन है कि एकीकरण का अर्थ निगमन नहीं है। एकीकरण का अर्थ तो है कि दो निकाय पहले ही हैं, परन्तु निगमन का अर्थ है कि पहले कोई निकाय है ही नहीं। अतः यह विधेयक इस सदन के अधिकार-वाह्य है। मैं इस विषय में आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, हमने इस बात पर विचार किये बिना ही अध्यादेश नहीं बनाया। श्रीमान् मैं महान्यायवादी की राय पढ़ कर सुना दूंगा। प्रश्न यह था कि क्या यह विधान "व्यापारी निगमों के विनियम तथा समापन" में आ सकता है। इसके पक्ष में 'चिरंजीत लाल चौधरी **बनाम** भारत संघ' का मामला है। यह १९५० का मामला है।

मैं महान्यायवादी की राय पढ़ देता हूं, जिसे मैं इस समय मान लेता हूं :

> "दो या अधिक समवायों का एकीकरण समवाय-विधि में ज्ञातं विषय है। समवायों के पुनर्निर्माण के लिये प्रबन्ध तथा समझौते सुकर बनाने के लिये इसका बहुधा आश्रय लिया जाता है। अतः ऐसे एकीकरण के विधान को व्यापारी निगमों के विनियमन संबन्धी विधान माना जा सकता है, अतः वह सूची १ की प्रविष्टि ४३ के क्षेत्र में आ जाता है।
>
> इसके अतिरिक्त भी हाल ही के एक विधान द्वारा, संसद् ने, प्रविष्टि ५२ के अधीन, यह घोषणा करदी है कि लोहे तथा इस्पात का उद्योग ऐसा उद्योग है कि लोकहित के लिये उस पर संघ का नियंत्रण इष्टकर है। अत इस उद्योग के सम्बन्ध में सभी विधान जिसमें दो निगमों के एकीकरण का विधान भी सम्मिलित है, प्रविष्टि ५२ के अंतर्गत आ सकते हैं। एक बार संसद् किसी उद्योग को प्रविष्टि ५२ के अंतर्गत घोषित कर देती है तो उसे उस उद्योग के विषय में कुछ भी विधान बनाने की सामर्थ्य मिल जाती है। इस प्रविष्टि का यही प्रयोजन है कि संघ में उद्योग के नियंत्रण को विनियमित करे। इस उद्योग के दो निगमों के एकीकरण का विधान बनाना संघ द्वारा उस उद्योग

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

पर नियंत्रण रखना ही है जो मद ५२ में आ जाता है ।"

मेरे विचार में माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर इससे मिल जाता है ।

श्री वी० पी० नायर: माननीय मंत्री अनुच्छेद १९ के मूलाधिकार के प्रभाव को कैसे हटायेगें । यदि कोई व्यक्ति बंगाल के इस्पात निगम में अंश लेता है तो लाभ हानि सोच कर लेता है । आप उसे नये समवाय का अंशधारी बनने के लिये कैसे ाध्य कर सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: : अनु-. च्छेद १९ (१) (च) से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी यह महान्यायवादी का मत है ।

श्री वी० पी० नायर : सभापति महोदय , मैं चाहता हूं कि आप इस औचित्य प्रश्न पर निर्णय दें ।

सभापति महोदय: यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । आप सदन के समक्ष अपना विचार रख सकते हैं और सदन इसका निर्णय कर सकता है कि उसे इसको पारित करने का अधिकार है या नहीं ।

श्री के० सी० सोंधिया (सागर) : सभापति महोदय, आपके सामने जो बिल पेश हुआ है उस के सम्बन्ध में मुझे दो चार बातें निवेदन करनी हैं । हमारे मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि इन दोनों कम्पनियों के मिल जाने से आगे चलकर के लोहे और इस्पात की पैदावार में काफ़ी ज्यादा तरक्की हो जायगी और इन कम्पनियों के इकट्ठा हो जाने की वजह से इनका काम आसानी से चल सकेगा और इन को और ज्यादा पूंजी मिल सकेगी तथा सरकार इन को नयी पूंजी भी देने वाली है । इन सब बातों को सुन कर के मुझे इस बात की खुशी है कि हम देहात के लोगों को आगे चलकर के लोहा काफी मिलने लगेगा । सभापति महोदय, पिछले पांच साल का यह अनुभव है कि लोहे के सम्बन्ध में देहाती लोगों को सब से ज्यादा दिक्कतें हुई हैं । मैं खुद अपनी बात कहना चाहता हूं कि गाड़ी के खाली टायर ब्लैकमारकेट में चालीस चालीस रुपये में मैंने खुद लिए हैं जिन की कंट्रोल की क़ीमत १८ रुपये थी । अब यहां पर बहुत से बिल तो हम पास कर देते हैं और वह क़ायदे बन जाते हैं । लेकिन आगे चल कर के उन की जो मंशा यहां पर बतलाई जाती है, वह मंशा पूरी होगी या नहीं होगी, इस के बारे में मुझे सन्देह है । लेकिन मिनिस्टर साहब फरमाते हैं , इस लि मैं इस बात को मान लेता हूं और उनको यह अमैलगेमेशन करने के बारे में धन्यवाद देता हूं ।

एक दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि इन दोनों कम्पनियों के शेयरों के तबादले के बारे में जो रेशो टैरिफ़ कमीशन ने मुक़र्रर की है, उस को हमारी सरकार ने जैसे का तैसा चुप चाप मान लिया है । सभापति महोदय, आप इस बात की ओर अप ा ध्यान आकर्षित करें तो मैं आप को टैरिफ़ कमीशन की रिपोर्ट से आंकड़े बतलाऊं । उस से आप को यह साफ़ मालूम हो जायगा कि यह जो हमारी बंगाल स्टील म्पनी है उस के जो आर्डिनरी शेयरहोल्डर्स हैं उन के साथ उस टैरिफ़ कमीशन ने एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी की है । मैं आप को बतलाऊं कि यह जो कम्पनियां हैं एक इंडियन कम्पनी और दूसरी स्टील कम्पनी इन में प्राय: जो पूंजी है वह एक सी लगी हुई है । इंडियन म्पनी की पूंजी चार करोड़ ५० लाख रुपये है और स्टील कम्पनी की ४ करोड़ ४८ लाख रुपये है, यानी बराबर है ।

अब देखिये इंडियन कम्पनी के ऊपर यानी जिस में यह कम्पनी मिलाई जा रही है वह बड़ी कम्पनी जिस को दोनों को मिला करके एक कम्पनी बनने वाली है, उस कम्पनी के लिये डिबेंचर्स एक करोड़ ५८ लाख के हैं, और प्रीफ़ेंस शेयर डेढ़ करोड़ रुपये के हैं और आर्डिनरी शेयर्स २५ लाख और बावन हक़ार के हैं। इन तीनों में चार करोड़ ४९ लाख की पूंजी है, उस में प्रीफ़ेंस शेयर्स एक लाख बीस हजार के हैं और बत्तीस लाख ९८ हजार के आर्डिनरी शेयर्स हैं। अब इन आर्डिनरी शेयर्स में आप देखिये कि जो कम्पनी मिलाई जा रही है उस कम्पनी में आयरन एन्ड स्टील कम्पनी का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, उस के तीन लाख छः हज़ार हिस्से इंडियन कम्पनी में हैं और १२ लाख २० हज़ार स्टील कम्पनी में हैं जो मिलाई जाने वाली है। अब आप देखिये कि इंश्योरेंस कम्पनीज में जो बारह लाख बीस हज़ार के शेयर्स हैं, उन के अलावा छोटे छोटे आदमियों की भी पूंजी मिली हुई रहती है। इस तरह आप देखेंगे कि पूंजी वाले आदमियों के बारह लाख बीस हज़ार के शेयर्स हैं, लेकिन इस के अलावा एक करोड़ रुपये की पूंजी इंश्योरेंस कम्पनीज की लगी हुई हैं। इस वक्त यह जो मिलाई जाने वाली कम्पनी है, उस में एक लाख से ज़्यादा के हिस्से इंडियन कम्पनी के हैं। इंडियन कम्पनी में जो कम्पनी मिलाई जा रही है, और दोनों को मिला कर के जो कम्पनी बनाई जा रही है, उस में मिलाई जाने वाली कम्पनी में विदेशी लोगों की अपेक्षा हिन्दुस्तानियों के शेयर्स ज़्यादा हैं और हिन्दुस्तानियों के उस में आर्डिनरी शेयर्स हैं और जिन शेयरों को हम ने अपने क़लम की एक नोक से दस के आठ कर दिये यानी सौ रुपये के शेयर्स अस्सी रुपये के हो गये। ऐसा क्यों किया गया, मुझे इस की कोई वजह नहीं मालूम होती है। टैरिफ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बतलाया है कि ईक्विटी वैल्यू जो है वह किसी काम की नहीं है। ईक्विटी वैल्यू के मुताबिक़ हम क़ीमत तय नहीं करते हैं। क़ीमत हम इस बात पर तय करते हैं कि आयरन एन्ड स्टील कम्पनी का डिवीडेंड कितना है और इंडियन कम्पनी का डिवीडेंड कितना है। अगर आप सन् ५१ के डिवीडेंड्स् देखें तो आप पायेंगे कि दोनों कम्पनियों में प्रायः एक से डिवीडेंड्स् हैं। फिर यह नहीं मालूम होता कि जब दोनों में से कोई कम्पनी बिक नहीं रही है, दोनों आपस में मिल रहीं हैं तो फिर आर्डिनरी शेयर वालों को क्यों नुकसान पहुंचाया जाय और इन गरीब लोगों के शेयर्स दस रु० से आठ करने का कोई सबब मुझे नहीं मालूम होता है। टैरिफ कमीशन ने जो बात कही है उस बात को आंखें मीच कर जैसे का तैसा मंजूर कर लेना है, इस के सिवा मुझे कोई वजह नहीं मालूम होती है कि ऐसा आखिर क्यों किया गया है सिर्फ ऐसा इसलिये किया गया है कि टैरिफ कमीशन बड़े ऐक्सपर्ट लोगों की बाडी है, लेकिन ऐक्सपर्ट लोग आप जानते ही हैं कि वह सिर्फ अपना और बड़े बड़े लोगों के स्वार्थ को देखना ही जानते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि हमारे गरीब लोगों के साथ इस में कितनी बड़ी बेइंसाफ़ी होती है। इस लिये मैं मिनिस्टर साहब से इस बात की विनती करूंगा कि वह इन गरीब शेयरहोल्डर्स के स्वार्थों की रक्षा करें। जब आप चार करोड़ की पूंजी में से ढाई करोड़ की पूंजी जैसे की तैसी सौ के हिस्से सौ में देते रहे, तो फिर यह जो छोटे शेयर्स वाले थोड़े आदमी बच रहते हैं उन थोड़े से आदमियों को दस, बारह लाख आदमियों को जिन के दस, दस रूपये के शेयर्स हैं और जो सारी पूंजी सवा करोड़ के करीब होगी उन के हिस्सों को क्यों आप घटा कर उन की आमदनी को कम कर रहे

[श्री के० सी० सोंधिया]

हैं, इस बात पर आप जरा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ।

तीसरी बात यह है कि आप का आर्डिनेंस तो पहले हो गया है और उस आर्डिनेंस के मुताबिक अगर हिस्सों में तबदीली हो गई है तो आज इस बात के कहने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जो कमी आप ने कर दी है, उस कमी को अब आप कैसे वापिस लेंगे, यह बात समझ में नहीं आती है । अन्त में मैं आप से यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेहरबानी करके इन आर्डिनरी शेयर वालों के लिये जो आपने आठ और दस का रेशो रक्खा है उस पर आप फिर विचार कर और अगर आप समझें कि उस में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है तो आप उन लोगों को भी जैसा कि आप ने प्रीफ़्रेंस शेयर वालों को जैसे का तैसा हिस्सा दिया है उसी के मुताबिक़ आप इन आर्डिनरी शेयरहोल्डरों को भी जैसे का तैसा हिस्सा दें जिस से उन गरीब लोगों का पेट न कटे। बस मुझे सिर्फ़ इतना ही अर्ज़ करना है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : क्या माननीय मन्त्री यह बता सकते हैं :

(१) भारतीय तथा विदेशी ऋणों के विषय में ब्याज की क्या शर्तें हैं ;

(२) इन ऋणों के वापस भुगतान के लिये क्या शर्तें हैं ;

(३) क्या कोई एसा वचन दिया गया है कि ऋण तभी वापस दिया जायेगा जब समवाय को इस्पात का धारण मूल्य बढ़ाने दिया जायेगा ;

(४) क्या विश्व बंक से कोई ऐसी शर्त की जा रही है कि संयुक्त राज्य अमरीका से सामान के विक्रय को निर्बन्धित रखा जाये; और

(५) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बेंक, भारत तथा समवाय के बीच के संविदे का हमें कुछ संकेत मिल सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऋणे के करार की शर्तें अभी निश्चित नहीं हुई हैं । अतः ब्याज के विषय में मैं निश्चय से कुछ नहीं कह सकता । प्रायः विश्व बंक के ऋणों पर ४। या ४॥ प्रति शत ब्याज होता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आयकर से मुक्त ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : : आप का आशय ब्याज से है ? वह तो सरकार और विश्व बंक के बीच की बात है । समवाय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

दूसरा प्रश्न है कि सामान के खरीदने के के लिये क्या कोई शर्तें हैं ? कोई शर्त नहीं है । जो मुद्रा आवश्यक हो वे वही दे देते हैं— चाहे फ्रांसीसी मुद्रा हो चाहे कोई अन्य

तीसरा प्रश्न था कि इस्पात के मूल्यों के बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई निर्बन्धन है । यह सरकार का काम है । विश्व बंक का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकार का विचार फुटकर भावों को बढ़ाने का नहीं है, जब तक कि लागत न बढ़ जाय । हो सकता है कि उन्हें जो ब्याज देना पड़े उससे लागत बढ़ जाये । धारण मूल्य तो लागत पर ही निर्भर होता है । प्रशुल्क आयोग उस पर विचार करेगा । परन्तु हम इस सम्बन्ध में कोई प्रत्याभूति नहीं दे रहे हैं । नई पूंजी के ब्याज से लागत बढ़ सकती है, परन्तु यदि आशा के अनुरूप उत्पादन भी बढ़ जाये तो शायद लागत न बढ़े ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप भारतीय ऋण की शर्तें तो बता सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम ने पांच करोड़ रुपये का साधारण सरकारी ऋण दिया है जिस पर ४॥ प्रतिशत ब्याज होगा ।

समस्त राशि नहीं ली गई है । उस पर ४॥ प्रति शत ब्याज सरकार जब भी मांगे तब देना होगा । संभवतः सरकार परिस्थितियों के अनुसार उन्हें समय देगी । जहां तक अग्रेतर ऋणों का सम्बन्ध है, हम ने डेढ़ दो करोड़ रुपये मंजूर किये हैं । और शेष इस पर निर्भर होगा कि उन्हें कितनी आवश्यकता है और कितनी सम्पत्ति प्राप्य है या विश्व बंक देता है और वह आवश्यकता से कितनी कम है । हो सकता है वह नौ दस करोड़ रुपये हो ।

श्री के० के० बसु : (डायमंड हारबर) : मारटिन तथा बर्न्स से जो जो प्रबन्ध अभिकरण समझौता था उसका क्या होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वे भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय के प्रबन्ध अभिकर्ता रहेंगे । दूसरा समवाय उस में विलय हो रहा है :

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।